



सत्यमेव जयते

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव

रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिये

मार्गदर्शिका

(जहाँ मतदान ई.वी.एम. से होगा)

2026

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

State Election Commission, Rajasthan

II Floor, Development Building, Secretariat, Jaipur

प्रस्तावना

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में करवाए जाते हैं।

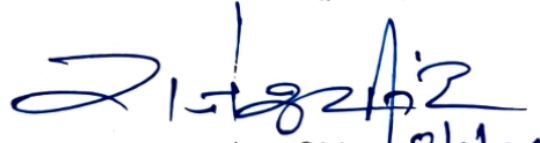
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अतीत में चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर मतपेटी तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है। आगामी पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में पंच-सरपंच के चुनाव मतपेटी द्वारा तथा पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों व नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा करवाया जाना संभावित है।

चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा त्रुटिहीन तरीके से सम्पन्न हो, इस हेतु इस पुस्तिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव के संबंध में प्रत्येक बिन्दु पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों को समाविष्ट किया गया है। मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी और मतदान दल का वैधानिक व नैतिक कर्तव्य है कि वे मतदान प्रक्रिया को विधिवत एवं नियमानुकुल तरीके से संचालित करें। इस संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तिका उनेक समुचित दिशा-निर्देशन हेतु मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। इस पुस्तिका में निर्वाचन संबंधी विधिक एवं नियामक प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों को संकलित किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त आवश्यक संदर्भ सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके तथा वे अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन सहजता, सरलता एवं कुशलता पूर्वक कर सकें।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह निर्देश पुस्तिका सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समुचित मार्गदर्शन करेगी और उनके लिए अत्यन्त उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध होगी।

दिनांक:-

8/1/26


(राजेश्वर सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
राजस्थान, जयपुर
8/1/26

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारंभिक परिचय	1
2.	पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें	5
3.	पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य	10
4.	मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन	25
5.	पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MPSV मॉडल)	33
6.	पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MK-4, MK-5 एवं पुराना मॉडल)	46
7.	रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) चुनाव के कर्तव्य	62
8.	पंच एवं सरपंच चुनाव की मतगणना	77
9.	उप सरपंच चुनाव	83
10.	मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के उपाय	86
11.	मतदाता की पहचान और निविदत्त मत (Tender Vote) तथा मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना	90
12.	मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया	93
13.	मतदान का स्थगन और मतदान को रोका जाना	99
14.	मतदान की समाप्ति तथा मतदान मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मुहर लगाना	102
15.	चुनाव अनियमितताएं	106
16.	मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा कराना	108
17.	पीठासीन अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	110
प्ररूप	डाक मतपत्र हेतु आवेदन (प्ररूप-1)	115
	अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-5)	116
	निर्वाचन के परिणामों की सूची (प्ररूप-7)	126
	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-8)	128
	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-9)	129
	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-10)	130
	शपथ का प्रारूप (प्ररूप-11)	131
	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12)	132
	निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची (प्ररूप-13)	133
	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप-14)	134
परिशिष्ट		
1.	भारतीय न्याय संहिता 2023 के उद्धरण	136
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण	137
3.	राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 से उद्धरण	144
4.	राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धरण	150
	अध्याय-4 पंचों का निर्वाचन सुसंगत (Relevant) नियम	150
	अध्याय-4-क इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान और गणना संबंधित नियम	161

	अध्याय-5 सरपंच का निर्वाचन	168
	अध्याय-6 पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन	169
	अध्याय-9 उप सरपंच का निर्वाचन	170
	अध्याय-10 अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता संबंधित नियम	171
	अध्याय-11 शपथ या प्रतिज्ञान	173
5.	मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची	175
6.	मतदान केन्द्र का ले-आउट	180
6-A	नाम निर्देशन का प्ररूप-4	181
6-B	अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप-4घ	182
6-C	स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटैकिंग	184
6-D	अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा उपाबन्ध-I-B सरपंच के लिए	185
6-E	उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाला सांख्यिकी सूचना फॉर्म	189
7.	पीठासीन अधिकारी द्वारा आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं अंत में की गई घोषणाएँ	190
8.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्ररूप	192
9.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा व पेपर सीलों का लेखा- (प्ररूप-14) - भरा हुआ नमूना	195
10.	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंधी घोषणा का प्ररूप	197
11.	आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची का प्ररूप	198
12	PS,ZP संबंधित सील बन्द/बिना सील किये जाने वाले लिफाफों का विवरण	199
12-A	पंच एवं सरपंच संबंधित सील बन्द/बिना सील किये जाने वाले लिफाफों का विवरण	199
13	मतदाता पर्ची का प्रारूप	200
14	बूथ पर चिपकाने हेतु मतदाताओं का विवरण (नोटिस) जि.प. एवं प.स./पंच. एवं सरपंच	201
15	पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मीमो	202
16	मतदाता की पहचान हेतु विहित फोटो दस्तावेजों संबंधी आदेश	204
17	भारत निर्वाचन आयोग के अमिट स्याही लगाये जाने के संबंध में आदेश	206
18	राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायतीराज संस्थाओं में अमिट स्याही लगाये जाने के संबंध में आदेश	208
19	PS,ZP, पंच एवं सरपंच मॉकपॉल प्रमाण पत्र का प्रारूप	210
20	हिन्दी वर्णमाला	211
21	नाम वापसी की सूचना (सरपंच एवं पंच)	212
22	मीटिंग नोटिस मॉडल फॉर्म (सरपंच एवं उपसरपंच चुनाव)	213
23	प्रतिभूति निक्षेप राशि आवेदन (प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2)	214
24	EVM सील करने का आदेश	216
25	मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. की एस.डी.एम.एम. को सीलबंद करना एवं आदेश।	217

अध्याय—1

प्रारंभिक परिचय

(1) प्रस्तावना एवं पुस्तक की संरचना :-

1. राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपलब्धता के आधार पर EVM/मतपेटी से कराये जायेंगे। पूर्व में भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2014-15 एवं 2019 में नगरपालिकाओं एवं जिलों में पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी गत कई वर्षों से लोकसभा व विधानसभा के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संपन्न कराये जा रहे हैं जिससे वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से सरकारी मशीनरी व आम मतदाता भलिभांति परिचित है। वोटिंग मशीनों के उपयोग से त्वरित गति से मतदान तथा मतगणना एवं परिणाम जारी करना संभव हुआ है और मतदान प्रक्रिया सरल हुई है।
2. पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदान बूथ पर मतदान की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको पर्याप्त वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। मतदान बूथ पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित आपका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि आपको विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों की जानकारी प्राप्त हो, ताकि गलती होने की कोई संभावना ना रहे।
3. मतदान बूथ जिसके लिए मतदान मशीन (Electronic Voting Machine) उपयोग में ली जानी है। उसके लिए मतदान के संचालन के लिए विधि और प्रक्रिया की भली-भांति जानकारी होनी चाहिए और इनकी सही स्थिति से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। आपको मतदान बूथ पर मतदान के संचालन के प्रत्येक कार्य के साथ-साथ EVM मतदान संचालन से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या विधि प्रक्रिया का दोष, पूर्ण तरीके से लागू करना या गलती या मतदान मशीन की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान बूथ पर मतदान को दूषित कर सकता है।
4. यह मार्गदर्शिका पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों और पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों, जहां वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जायेगा, के लिये बनायी गयी है जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा चुनावों के संचालन के संबंध में विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए ही तैयार की गयी है

पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणाएं परिशिष्ट-07 पर पीठासीन अधिकारी की डायरी परिशिष्ट-08 पर, लिफाफों का विवरण जो मतदान दल द्वारा बूथ वार तैयार करने है को संक्षिप्त में परिशिष्ट-12 तथा 12A पर, पीठासीन अधिकारियों के लिय चैंक मीमों परिशिष्ट-15 पर तथा मॉकपॉल संबंधित प्रमाण-पत्र इस पुस्तिका के परिशिष्ट-19 पर उपलब्ध हैं।

5. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया में अनेक बातें विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों से एकरूपता लिए हुए भी कई बातों में भिन्नता भी है जो पुस्तक का अध्ययन ठीक प्रकार से करने से स्पष्ट होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का इस पुस्तक के अध्याय 02 में वर्णित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य तथा मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन इस पुस्तक के क्रमशः अध्याय 03 एवं 04 में बताया गया है। पंच एवं सरपंच के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्य अध्याय-7 तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करायी जाने वाली मतगणना अध्याय-8 एवं उपसरपंच का चुनाव अध्याय-9 में बताया गया है। इसी प्रकार मतदाता की पहचान और निविदत्त मत (Tender Vote) तथा मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना अध्याय-11 में, मतों का रिकॉर्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया का वर्णन अध्याय-12 में तथा मतदान की समाप्ति पर मशीन और कागजातों को सील करना एवं मुहर लगाना अध्याय-14 में बताया गया है।

EVM मशीन का विवरण, मशीन को तैयार करना, मॉकपॉल करना, ई.वी.एम. को सील करना एवं मतदान का तरीका मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल की मशीनों के लिए अध्याय-05 में एवं M-2/M-3/MK-4, MK-5 मॉडल की मशीनों के लिये अध्याय-06 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

(2) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचय:-

1. मतदान मशीन (Electronic Voting Machine):- ई.वी.एम. नियंत्रण यूनिट (Control Unit) और मतदान यूनिट (Ballot Unit) से मिलकर बनी है। जब मतदान मशीन संचालित होती है तब ये दोनों यूनिटें, एक केबल के द्वारा जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, आपस में जुड़ी (Connect) रहती है।
2. मतदान मशीन मॉडल के आधार पर 15 अथवा 16 अभ्यर्थियों तक के चुनाव की व्यवस्था करती है। बैलेट यूनिट की स्क्रीन में निर्वाचन की विशिष्टियां, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की क्रम संख्या, अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) और उन्हें आवंटित प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक बटन है जिसे दबाकर मतदाता अपना मत अंकित (Record) कर सकता है।

ई.वी.एम. मशीन में एक आधुनिक माइक्रो कम्प्यूटर प्रयुक्त होता है। यह बैटरी से कार्य करता है। ई.वी.एम. मशीन चलाने में सरल, टेम्पर प्रूफ एवं गलती रहित है। मशीन में एक बार रिकॉर्ड की गई मतदान सम्बन्धी जानकारी उसकी स्मृति में बनी रहेंगी चाहे बैटरी हटा दी जाये। ई.वी.एम. कम अवधि में उपयोग हेतु तैयार की जा सकती है। इसमें अमान्य वोटों (Invalid Votes) की कोई गुंजाइश नहीं है और मतदान डेटा की गोपनीयता पूरी तरह से बनी रहती है। ई.वी.एम. त्वरित और सटीक गणना की सुविधा देता है तथा निरक्षरों को भी मतदान मशीन के उपयोग द्वारा अपना मत रिकार्ड करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके उपयोग से मतदान के अंत में उसी दिन परिणाम घोषित करना संभव है। मशीन की दोनों यूनिटें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) दो पृथक बक्सों (केरिंग केस) में दी जायेगी जो सरलता से लाई और ले जायी जा सकती हैं।

3. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई वोटिंग मशीन M-2/M-3/MK-4, MK-5 तथा MPSV का उपयोग किया जायेगा।

जहां तक संचालन की मूल प्रक्रिया का प्रश्न है अलग-अलग मॉडल की वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट की मूल प्रक्रिया में अंतर नहीं है।

4. राज्य में उपलब्ध मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल मशीनें विशेष-रूप से स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बनाई गई है। यह एक से अधिक पदों और सिंगल वोट को सपोर्ट करती है। ई.वी.एम. में मुख्य रूप से दो इकाई शामिल है (1) नियंत्रण इकाई (CU) जिसमें SDMM लगा होता है। (2) बैलेट यूनिट (BU) जिसमें सीयू के साथ इन्टरकनेक्शन के लिए केबल जुड़ी होती है। सीयू का उपयोग केवल चुनाव कराने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसमें कोई मतदान डेटा या चुनाव से संबंधित कोई डेटा संग्रहित नहीं

होता है। चुनाव से संबंधित सभी विवरण और डेटा SDMM में संग्रहित किये जाते हैं। बीयू का उपयोग मतदाता के मतदान करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक कंट्रोल यूनिट से एक से अधिक पदों के लिए प्रयुक्त बैलेट यूनिट (अधिकतम चार) को नियंत्रित किया जा सकता है।

5. **कंट्रोल यूनिट** मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसे पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के शीर्ष भाग में चार खंड होते हैं। 1 प्रदर्शन सेक्शन (Display Section) 2 उम्मीदवार सेट सेक्शन (Candidate Set Section) 3 परिणाम सेक्शन (Result Section) 4 मतपत्र सेक्शन (Ballot Section)।

डिस्प्ले सेक्शन में दो लैंप On एवं Busy और डिस्प्ले विंडो पैनल (Display Window Panel) शामिल होते हैं।

उम्मीदवार सेट सेक्शन में एक बैटरी पैक कम्पार्टमेंट और एक 'Cand Set' बटन कम्पार्टमेंट होता है। इस भाग में एक आवरण (Cover) होता है जो बाएं से दाएं खुलता है। बाईं तरफ की लैच को दबाकर इस कवर को खोलने पर, दो कम्पार्टमेंट दिखाई देते हैं Cand सेट कम्पार्टमेंट के बाईं ओर बैटरी पैक कम्पार्टमेंट बैटरी पैक को लगाने के लिए है। Cand set कम्पार्टमेंट दाईं ओर एक फ्लैप के साथ कवर किया गया है जो बाएं से दाएं खुलता है और इसे थ्रेड सील (Thread Seal) द्वारा सील किया जाता है। इस कम्पार्टमेंट में एक Cand Set बटन है साथ ही SDMM को लगाने का प्रावधान है। ईवीएम के सामान्य संचालन के लिए सीयू में एसडीएमएम लगाया जाना चाहिए। उम्मीदवार सेट सेक्शन को बंद करके थ्रेड से सील कर एड्रेस टैग लगाया जाता है।

परिणाम सेक्शन के कवर में बाईं ओर एक अण्डाकार छेद होता है जिसके माध्यम से Close बटन दिखाई देता है। दाहिने हिस्से में एक आंतरिक कंपार्टमेंट होता है, जिनमें से RESULT-I और RESULT-II बटन दिखाई देते हैं। आंतरिक कंपार्टमेंट के दरवाजे में पिंक पेपर सील लगाने के प्रावधान के साथ दो छिद्रों युक्त एक फ्रेम होता है। आंतरिक कंपार्टमेंट में दो बटन RESULT-I और RESULT-II और एक बटन CLEAR होता है।

बैलेट सेक्शन में दो बटन होते हैं, एक Total बटन और दूसरा Ballot बटन।

7. **बैलेट यूनिट** पर प्रत्येक उम्मीदवार के नाम तथा नोटा विकल्प और प्रतीक के सामने एक बटन दिया गया है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार अथवा नोटा को अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए उसके सामने का बटन दबाना होगा। जब मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार अथवा नोटा के सामने का बटन दबाता है, तो संबंधित लाल बत्ती जलती है। जब मतदाता मतदान पूरा कर लेता है, तो उम्मीदवार अथवा नोटा के सामने की Arrow लाल बत्ती, सभी बीयू में READY बत्ती और कंट्रोल यूनिट में BUSY लैम्प बंद हो जाएगी और एक बीप ध्वनि सुनाई देगी। यह इंगित करता है कि मतदाता द्वारा वोट डाल दिया गया है।

बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बीयू पैनल पर सबसे ऊपर दाईं ओर होता है। मतदान इकाई BU के अंदर स्लाइड स्विच को चार संभावित 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक पर सेट करके संचालित किया जाता है। जब केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो स्विच को स्थिति 1 पर सेट करना होगा। यदि एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो उन बैलेट यूनिट में स्विच को क्रमिक रूप से 2, 3 या 4 पर सेट करना होगा। स्विच की स्थिति को यूनिट पर पारदर्शी पैनल के माध्यम से देखा जा सकता है।

ECIL/BEL द्वारा इन मशीनों का निर्माण किया है, उनके द्वारा निर्मित मशीनों के संचालन के विस्तृत ब्यौरे देते हुए निर्देशिकाएं प्रकाशित की हैं। आपके मतदान बूथ पर काम आ रही ECIL/BEL द्वारा निर्मित मशीन के मॉडल से संबंधित निर्देशिका का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए जिससे ई.वी.एम. संचालन एवं प्रयोग में लेने पर कोई कठिनाई नहीं

हो। यह निर्देशिका आपको मतदान बूथ पर जाने के पूर्व मिली सामग्री में प्रदान की जाती हैं।

(3) मतदान के संचालन के संबंध में कानूनी प्रावधान :-

कानूनी प्रावधान जिनका सम्बन्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है, परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 में उद्धृत किये गये हैं। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर पंचायतीराज निर्वाचनों में भी मतदान मशीनों के उपयोग के लिए प्रावधान किये गये हैं। जिन्हें शामिल करते हुए उक्त नियमों को उद्धृत पूर्वोक्त परिशिष्ट-4 में दिये गये हैं।

- | | | |
|-------|--|---------------|
| (i) | भारतीय न्याय संहिता 2003 | — परिशिष्ट-01 |
| (ii) | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | — परिशिष्ट-02 |
| (iii) | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 | — परिशिष्ट-03 |
| (iv) | राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 | — परिशिष्ट-04 |

यह मार्गदर्शिका आपके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। तथापि इस मार्गदर्शिका को सभी तरह से पूर्ण और मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों का विकल्प नहीं समझा जा सकता। आपको जहां आवश्यक हो, उन कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि कहीं कानूनी प्रावधानों व मार्गदर्शिका में भिन्नता पायी जावे तो कानूनी प्रावधानों को ही माना जावे।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें

1. पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों की प्रक्रिया में अन्य चुनावों (लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका) की प्रक्रिया से कई भिन्नतायें हैं जिन्हें वर्णित करते हुये पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का विवरण पुस्तिका के इस अध्याय में दिया गया है, ताकि कोई भ्रांति नहीं रहे।
2. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भिन्न-भिन्न पदों (पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य) के लिए मतदान कराया जाता है इनमें से आपको जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य का साथ-साथ मतदान कराना है और यह मतदान अन्य पदों (पंच, सरपंच) के लिए कराये जाने वाले मतदान के दिन से भिन्न दिवस को होगा।
3. आपको पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक पदों के लिए भिन्न-भिन्न पदनामों से चुनाव कराना होगा, उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	निर्वाचन का नाम	पद का नाम	नियम जिसके अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपकी नियुक्ति की जायेगी
1	2	3	4
1.	पंचायत में पंच, सरपंच का चुनाव	रिटर्निंग अधिकारी	नियम 23(2) तथा 56(1)
2.	पंच-सरपंच का चुनाव	मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)	नियम 31 सपठित नियम 56(1)
3.	उप सरपंच का चुनाव	रिटर्निंग अधिकारी	नियम 23(2) तथा 65
4.	पंचायत समिति/ जिला परिषद सदस्य का चुनाव	मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)	नियम 31 सपठित नियम 58

4. पंचायती राज निर्वाचन में यदि वोटिंग मशीनों से चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है तो मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के नाम से एवं सहायक मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी के नाम से संबोधित किया जायेगा। जैसा कि लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका निर्वाचनों में होता है।
5. पंचायत में पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति नियम 23(2) तथा 56(1) के अन्तर्गत तथा पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिये पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति नियम 31 (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 58 के अनुसार नियम 24-क एवं नियम 31 के प्रावधान जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों में भी लागू होते हैं।
6. पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव अथवा पंच एवं सरपंच का चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आपको दिये गये नियुक्ति आदेश में निम्नांकित विवरण मिलेगा:-
 - (i) ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड संख्या तथा उन पंचायत समितियों/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम संख्यांक, जिनके आपको चुनाव कराने हैं।
 - (ii) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त मतदान दल के सदस्यों के नाम व उनके विभागीय पद।
 - (iii) प्रत्येक बूथ में जिन वार्डों के मतदाता मत देंगे उन वार्डों की क्रम संख्यांक।
 - (iv) पंचायत मुख्यालय पर जो भवन मतदान बूथ के लिये निर्धारित किये गये हैं उसका नाम।
7. मतदान की तारीख। रिटर्निंग ऑफिसर :- पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियम 23(2) के अन्तर्गत नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम

पंचायत के मुख्यालय पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न करते हैं। पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर पंच/सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन पत्रों को लेने, उनकी जांच करने, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने, मतदान की व्यवस्था की देख-रेख करने, मतगणना करने एवं उनका परिणाम घोषित करने का कार्य करेंगे।

एक ही मतदान दल द्वारा पंच, सरपंच पद और जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य के लिये अलग अलग दिवसों में मतदान कराया जाता है तो ऊपर के पैरा में वर्णित कार्यों के अलावा वह जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान की देख-रेख करेंगे।

पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58(2) (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत की जाती है जिसका मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर होगा। जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर रहेगा।

8. **मतदान दल का गठन:-** जहां चारों पदों के चुनाव एक साथ नहीं हों अर्थात् एक समय पर पंच, सरपंच चुनाव हो या जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हो तो पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 अथवा 4 मतदान अधिकारी मतदान दल में होंगे, जिनकी संख्या चुनाव में काम आ रही मतदान मशीन के मॉडल के आधार पर निर्धारित होगी। जहां MPSV मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं, वहां पर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त तीन मतदान अधिकारी एवं जहां M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं, वहां पर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त चार मतदान अधिकारी होंगे।

9. **मतदान बूथ:-** विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु पंचायत चुनाव में मतदान दल प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक या एक से अधिक भवनों में मतदान केन्द्र स्थापित किये जाते हैं, जो सामान्यतः ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है। एक मतदान स्थान को एक से अधिक मतदान बूथों में विभाजित किया जाता है। मतदान स्थान एवं मतदान बूथ की सूची नियम 30(3) (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान से कम से कम एक दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्र/मतदान बूथ की सूची आपको चुनाव सामग्री के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त होगी।

पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन, जिला परिषद् सदस्य एवं पंच, सरपंच निर्वाचन के लिए मतदान बूथों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नियम 30(3) (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है जिसके नोटिस का प्ररूप आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगा। इसे आपको मतदान के पूर्व दिवस को पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं मतदान केन्द्र पर चस्पा कराना होगा।

10. **मतगणना:-** विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतगणना मतदान केन्द्रों पर नहीं होती है परन्तु पंचायत चुनावों में पंच एवं सरपंच के लिए मतगणना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, मतदान स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जाती है।

पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के लिए मतगणना जिला मुख्यालय पर की जायेगी जिसके लिए वोटिंग मशीन एवं अन्य कागजात मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिला मुख्यालय पर पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी।

11. **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता:-** जहां विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है वहां पंचायत चुनाव में जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवार को एक निर्वाचन अभिकर्ता एवं प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा मतगणना केन्द्र में गणन अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार

हैं। जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच के निर्वाचन के लिए मतदान अभिकर्ता का कोई अवमुक्ति अभिकर्ता (Reliever Agent) नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

सरपंच पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम दो गणन अभिकर्ता तथा जितने मतदान बूथ हैं उतनी संख्या में मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है लेकिन वार्ड पंच के चुनाव के उम्मीदवार को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है। सरपंच पद के अभ्यर्थी को भी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

1. **प्रतिभूति निक्षेप राशि:**— पंच पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का प्रावधान नहीं है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को निक्षेप राशि नियम 56(3) के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि 500/- रु. एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवार के लिए 250/- रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद जमा कराना आवश्यक है। प्रतिभूति निक्षेप राशि लौटाने योग्य है बशर्तें अभ्यर्थी को डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 भाग से अधिक मत प्राप्त हुये हो अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि चुनाव में विजयी उम्मीदवार के मत कुल वैध मतों के 1/6 से कम है तब भी उन्हें प्रतिभूति निक्षेप राशि वापिस की जायेगी। प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाने एवं राजकोष में जमा कराने की विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप मतगणना के पश्चात् निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-23) में आवेदन करना होगा। जब्त तथा अवितरित राशि प्रपत्र-2 (परिशिष्ट-23) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित लिफाफे में एवं काउन्टर पर जमा करानी होगी।
12. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें:**— इन चुनावों में EVM की उपलब्धता के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच/पंच के चुनाव के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक-पृथक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) काम में ली जायेगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के लिए भी पृथक-पृथक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें काम में ली जायेगी। ये आपस में मिक्स नहीं हो, इसके लिये इन पर अलग-अलग रंग का मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग भी लगाये जायेंगे। पंच चुनाव के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग पिक रंग, सरपंच चुनाव के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग सफेद रंग, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र/स्टीकर/ एड्रेस टैग नीले रंग और जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग पीले रंग में होंगे। पंच/सरपंच का निर्वाचन अलग दिन तथा पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए अलग दिन नियत होगा, जिसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जायेगा।
राज पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर नया अध्याय-4-क जोड़ा गया है, जिसमें वोटिंग मशीनों से मतदान की प्रक्रिया एवं नियम बताये गये हैं। ये प्रावधान नियम 58 (परिशिष्ट-4) के अनुसार यथा शक्य परिवर्तनों के साथ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव तथा नियम-56 के अनुसार सरपंच चुनाव के लिये भी लागू होते हैं।
13. **स्वयं उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना:**— जहां अन्य चुनावों में उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्र अपने प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता है वहां पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुनावों में उम्मीदवारों को अपने नामनिर्देशन पत्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह विहित रीति से प्रस्तुत हुआ नहीं मानकर खारिज कर दिया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम वापसी का नोटिस भी स्वयं ही रिटर्निंग ऑफिसर को जाकर देना होगा।

14. **जांच कार्य को स्थगित (adjourn) नहीं करना:-** पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों की जांच (scrutiny) उसी दिन समाप्त की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर को जांच कार्य दूसरे दिन स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।
15. **नामांकन प्रक्रिया एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन:-** विधानसभा व अन्य चुनावों की तरह पंच एवं सरपंच के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार जरूर है, पर इसकी प्रक्रिया विधानसभा व अन्य चुनावों से पूर्णतया भिन्न है। पंच एवं सरपंच नामनिर्देशन प्रक्रिया, नाम खारिज एवं नाम वापिसी के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पृथक्-पृथक् प्ररूप-5 में तैयार की जावेगी। पंच एवं सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट-20) के अनुसार क्रम से इस प्ररूप-5 में लिखे जायेंगे। सरपंच पद के लिए निर्धारित प्ररूप-5 में पहले से ही 20 चुनाव चिन्ह छपे हुए हैं एवं पंच पद के लिए निर्धारित प्ररूप-5 में भी पहले से ही 10 चुनाव चिन्ह छपे हुए हैं। जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम के सम्मुख छपा चुनाव चिन्ह स्वतः ही आवंटित हो जायेगा। पंच चुनाव व सरपंच चुनाव के लिए पृथक्-पृथक् प्ररूप-5 तैयार किया जायेगा।
पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव में चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिसकी प्रक्रिया राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम-58 में स्पष्ट की हुई है।
16. **अमिट स्याही:-** अन्य चुनावों की भांति इन चुनावों में भी अमिट स्याही प्रयोग में ली जायेगी। नियमों के अनुसार बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जाती है। यदि पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति, जिला परिषद् सदस्य चुनाव का पृथक्-पृथक् चरण में हो तथा दोनों चरणों के मध्य कुछ दिनों या सप्ताह का अंतर हो तो प्रथम चरण में हुये चुनावों में बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेंगी। द्वितीय चरण के चुनाव में मतदाता के दांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेंगी, यदि प्रथम चरण में पुर्नमतदान हुआ है तो बांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर तथा द्वितीय चरण के चुनाव में पुर्नमतदान हुआ है तो दांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।
17. **मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु:-** पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की मतदान समाप्त होने के पहले मृत्यु हो जाने पर भी चुनाव स्थगित नहीं होगा, लेकिन किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप किसी पद के लिये चुनाव लड़ने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी नियम 73 के अन्तर्गत (परिशिष्ट-4) उस पद के चुनाव को स्थगित कर देगा।
18. **दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता:-** लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका चुनावों में पीठासीन अधिकारी दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतपत्रों पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियम 41-क (परिशिष्ट-4) पीठासीन अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।
19. **चैलेन्ज फी (Challenge Fee):-** पंचायत चुनाव में मतदान बूथ पर किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाता के पहचान को चैलेन्ज करने के पहले चैलेन्ज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
20. **निविदत्त मत (Tender Vote) :-** पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने वाले व्यक्ति के मामले पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाये जायेंगे।

21. **मतदाताओं का रजिस्टर:-** मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) में मतदाता की क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या एवं निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित करनी होगी।
22. **रिकार्ड किये गये मतों का लेखा:-** वोटिंग मशीनों से चुनाव होने पर रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप-14) तैयार किया जायेगा।
23. **डाक मतपत्र:-** राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 35 में संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के लिये भी डाक मतपत्र के प्रावधान किये गये हैं। आयोग द्वारा विहित रीति से चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी डाक द्वारा मत दे सकता है, परन्तु चुनाव कर्तव्य प्रमाण-पत्र (EDC) का प्रावधान नहीं है।
पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव में ड्यूटी स्टॉफ के लिये डाक द्वारा मत देना संभव है, जिसके लिये आयोग ने डाक द्वारा मत दिये जाने का प्रावधान किया है। चुनाव ड्यूटी पर लगा कोई मतदाता डाक द्वारा मत देने के लिये आवेदन (प्ररूप-1 में) कर सकता है।
24. **शपथ:-** राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 24 एवं नियम 75 के प्रावधानों के अंतर्गत पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित प्ररूप-11 में लेना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि उप सरपंच चुनाव में निर्वाचित पंच एवं सरपंच तथा प्रधान/प्रमुख चुनाव में पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य तभी भाग ले सकेंगे जबकि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान ले लिया हो।
25. **वोटिंग मशीनों से मतदान की प्रक्रिया बाबत कानूनी प्रावधान:-** नियम 55-क के अन्तर्गत बताया गया है कि मतदान, मतगणना और निर्वाचन कागजात की अभिरक्षा, निरीक्षण एवं निस्तारण आदि की प्रक्रिया, जहाँ वोटिंग मशीनों का उपयोग हो, के लिये नियमों के अध्याय-4 के नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 एवं 53 को छोड़कर शेष सभी उपबन्ध लागू होंगे तथा नियम 32-क, 33-क, 33-ख, 34-क, 36-क, 36-ख, 37-क, 38-क, 39-क, 40-क, 41-क, 43-क, 44-क, 47-ख, 47-ग, 47-घ, 49-ग, 49-घ, 50-क, 52-क, 53-क एवं 53-ख के प्रावधान भी लागू होंगे।

जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव में चूंकि आपका कार्य केवल मतदान प्रक्रिया एवं वोटिंग मशीनों व कागजात को जमा कराने तक सीमित है, इसलिये आपको निम्नांकित नियमों का अध्ययन करना है:- 24-क, 30, 31, 32-क, 33-क, 33-ख, 34-क, 35, 36-क, 36-ख, 37-क, 38-क, 39-क, 40-क, 41-क, 43-क, 44-क, 45, 46, 47-क, 47-ख, 47-ग, 47-घ, 48, 48-ए एवं 48-बी (परिशिष्ट-4)

अध्याय-3

पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

(1) सामान्य :-

1. इस मार्गदर्शिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश हैं परन्तु आपके मार्गदर्शन के लिये आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दिये गये हैं:-
 - 1) आपको मतदान मशीनों (EVM) द्वारा मतदान के संचालन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से भली-भांति अवगत होना चाहिये।
 - 2) आपको मतदान मशीन के संचालन और उसमें उपलब्ध विभिन्न बटन और स्विचों की क्रियाओं से स्वयं को पूरी तरह से परिचित कर लेना चाहिये।
 - 3) आपको अपने मतदान दल के सदस्यों से परिचित होना चाहिये और आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के समय से ही उनसे सम्पर्क रखना चाहिये।
 - 4) आपको रिटर्निंग ऑफिसर से सभी सम्बन्धित आदेशों को प्राप्त करना होगा।
 - 5) आपको अपने मतदान बूथ की स्थिति और मतदान बूथ पर आने और जाने के मार्ग (Route Map) का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।
 - 6) आपको समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिये।
 - 7) निर्वाचन सामग्री संग्रहित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समस्त वस्तुएँ आपको सौंप दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मतदान मशीन (मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट) निविदत मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप-12) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियां, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, सभी प्रकार के प्ररूप/फार्म व लिफाफे, चपड़ी, अमिट स्याही हैं।
 - 8) मतदान बूथ पर पहुँचने पर आपको मतदान बूथ की स्थापना के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं, विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करने, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाही का संचालन इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।
 - 9) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट करना होगा कि वोटिंग मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्थिति में है। इन प्रयोजनों के लिये प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये कुछ मत रिकार्ड करके एक मॉकपॉल आयोजित किया जायेगा और उसके मतों की गणना की जाकर प्रदर्शित की जायेगी एवं प्रत्येक पद के चुनाव के लिए अलग-अलग मॉकपॉल का प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-19 के अनुसार जारी करना होगा।
 - 10) मॉकपॉल आयोजित करने के पश्चात् ऐसे मॉकपॉल में रिकार्ड किये गये मत मतदान मशीन से क्लीयर (Clear) किये जायेंगे ताकि मॉकपॉल से संबंधित कोई आंकड़े मशीन की मेमोरी में नहीं रहें। इसके बाद मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट अनुभाग को स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिप सील लगा कर मुहरबंद और सुरक्षित किया जायेगा एवं एड्रेस टैग लगाया जायेगा।
 - 11) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति तथा मतदाताओं के रजिस्टर को भी मतदान आरंभ करने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया जायेगा और यह घोषित करना होगा कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले चिन्हों के अलावा कोई चिन्ह नहीं है तथा मतदाता रजिस्टर में किसी मतदाता की प्रविष्टि नहीं है। जहां

जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिए मतदान एक साथ हो वहां पर एक ही मतदाता रजिस्टर और एक ही चिन्हित मतदाता सूची काम में ली जायेगी।

इसी प्रकार यदि सरपंच/पंच पद का निर्वाचन किसी अन्य दिवस को होने पर इसी प्रकार एक ही मतदाता रजिस्टर तथा एक ही मतदाता सूची उपयोग में ली जायेगी।

- 12) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिये। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिये चेतावनी दी जानी चाहिये और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधान जो इन चुनावों में भी लागू है, उनके ध्यान में लाये जाने चाहिये।
- 13) मॉकपॉल, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रदर्शन के बारे में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता के समक्ष मतदान प्रारंभ करने से पूर्व आपको निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट-7 पीठासीन अधिकारी की घोषणा) में एक घोषणा करनी होगी और इस पर उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे। जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित घोषणा के प्ररूप पर जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी/निर्वाचक अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे और इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित घोषणा के प्ररूप पर पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी/निर्वाचक अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

इसी प्रकार पंच/सरपंच के निर्वाचनों के मामलों में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा एवं उन निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

- 14) निर्वाचक की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जायेगी। पहचान दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-16 पर संलग्न हैं।
- 15) किसी निर्वाचक की निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि के सम्बन्ध में पहचान स्थापित होने के पश्चात् बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगानी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने अमिट स्याही के संबंध में निर्देश जारी किये हैं, जो परिशिष्ट-17 पर संलग्न हैं, के अनुसार अमिट स्याही लगायी जानी चाहिये।
- 16) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह पूरी तरह से सूख गया है और अमिट स्याही का सुस्पष्ट चिन्ह बन गया है उसकी बांयी तर्जनी की जांच मतदाता के मतदान बूथ छोड़ने के पूर्व पुनः करनी चाहिये।
- 17) किसी निर्वाचक की पहचान हो जाने के तुरन्त बाद प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खीचनी हैं और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बांयी तरफ टिक (✓) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बांयी तरफ स्टार (*) लगायेगा। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हैं, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" भी अंकित कर दें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 अभियुक्तियों में मतदाता सहायता का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) अंकित किया जायें।

- 18) निर्वाचक की क्रम संख्यांक (नाम नहीं) जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में दी गयी है, को मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) में नोट किया जाना चाहिये।
- 19) मत रिकार्ड करने की अनुमति से पूर्व निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) में करवा लेनी चाहिये। यदि कोई निर्वाचक मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 20) निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर में कराने के पश्चात उसे ऐसे क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए दो मतदाता पर्ची (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) जिसका प्रारूप परिशिष्ट-13 में दिया गया है, जारी की जायेंगी, जिनमें उससे सम्बन्धित प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर से की जायेंगी।
इसी प्रकार पंच/सरपंच के निर्वाचनों के मामलों में भी इसी प्रकार पर्ची दी जायेगी।
- 21) निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि मतदाता पर्चियों के आधार पर क्रमानुसार वोटिंग मशीन में उनके मत रिकार्ड करने की अनुमति दी जायेगी।
- 22) यदि आप यह मानते हैं कि किसी मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से काफी कम है किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से संतुष्ट हैं तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा परिशिष्ट-10 के प्ररूप (निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा-पत्र) में लेनी चाहिये।
- 23) जब कभी आकस्मिक (Unexpected) या अप्रत्याशित घटना घटें, तथा जिसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करना आवश्यक हो तो आपको तत्समय उसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में लिख लेना चाहियें। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव एक साथ होने पर पीठासीन अधिकारी की एक ही डायरी होगी। जिसमें दोनों चुनावों से संबंधित घटनाएँ अंकित करनी होगी।
इसी प्रकार पंच/सरपंच के चुनाव के लिये पीठासीन अधिकारी की अलग डायरी होगी। जिसमें दोनों चुनावों से संबंधित घटनाएँ अंकित करनी होगी।
- 24) आपको मतदान के शान्तिपूर्वक और निर्बाध संचालन के लिये मतदान बूथ की कार्यवाही को नियमित करना होगा। आपको कुशल व्यवहार के साथ ही स्थिर विचार और तटस्थ होना चाहिये।
- 25) यदि किसी कारण से मतदान देर से प्रारम्भ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द करना चाहिये। तथापि मतदान की समाप्ति के समय मतदान बूथ पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत देने दिया जायेगा चाहे मतदान कुछ और समय तक चलता रहे। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के पश्चात् कोई व्यक्ति पंक्ति में नहीं आने पाये। इस प्रयोजन के लिए पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को आपके स्वयं के हस्ताक्षर अंकित कर पर्चियां वितरित की जानी चाहिए, ऐसा वितरण पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता से प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
- 26) मतदान की समाप्ति पर आपसे प्ररूप-14 के भाग I में रिकार्ड किये मतों का लेखा तैयार करना अपेक्षित है। ऐसे रिकार्ड किये मतों के लेखे की प्रमाणित प्रतियां कोई उपस्थित मतदान अभिकर्ता यदि प्राप्त करना चाहे तो उसे दी जायेंगी।
- 27) मतदान की समाप्ति पर मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्धारित रीति से मुहरबन्द (sealed) कर सुरक्षित करने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी (यदि वे ऐसा करना चाहें) मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों पर

उनके हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाये आपको मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द (sealed) तथा सुरक्षित रखने के बारे में अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

- 28) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि समुचित रूप से मुहरबन्द और सुरक्षित मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि उनको एकत्रित करने वाले अधिकारी को उचित रसीद प्राप्त कर संभलवायें।
- 29) विभिन्न स्तरों पर पीठासीन अधिकारी के मुख्य कर्तव्य सुविधा के लिए अध्याय-17 में संक्षेप में दिये गये हैं।
- 30) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के संबंध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, एक चैक मीमो परिशिष्ट-15 पर बताया गया है, जिसे आप द्वारा भरा जाना चाहियें।

(2) मतदान दल का गठन तथा पूर्वाभ्यास:-

1. मतदान दल का गठन-

- 1) **मतदान दल के अन्य सदस्यों से संपर्क :-** आपके मतदान दल में आपके अलावा तीन/चार मतदान अधिकारी चुनावों में काम आ रही मशीन के मॉडल के आधार पर हो सकते हैं। मतदान दल की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को मतदान बूथ पर अपरिहार्य कारणों से आपके अनुपस्थित रहने पर, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- 2) यथाशीघ्र आप जानकारी कर लें कि आपके मतदान दल के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं और आपके अधीन नियुक्त मतदान अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं निवास के पते की भी जानकारी कर लें। आपको उनसे सम्पर्क रखते हुए उन्हें मतदान दल के प्रत्येक सदस्य की भूमिका के बारे में बताना चाहियें। सभी सदस्य टीम भावना से काम करें, यदि टीम भावना नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।

2. मतदान पूर्वाभ्यास

- 1) जहां तक हो सकें आप अधिक से अधिक मतदान पूर्वाभ्यासों में भाग लें। यह आवश्यक है कि आप मतदान मशीन की कार्य प्रणाली से अपने आप को पूर्णतः परिचित कर लें और मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण और उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों को ठीक से समझ लें।
- 2) आपको इन पूर्वाभ्यासों में अपने साथ उस मतदान अधिकारी को भी ले जाना चाहिए जो आपकी अपरिहार्य अनुपस्थिति के दौरान आपके कर्तव्यों की पालना के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह अति आवश्यक है कि आप और ऐसा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदान मशीन पर विभिन्न कार्य स्वयं करें और केवल प्रदर्शन देखकर संतुष्ट न हों। आप दोनों को पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग इत्यादि को लगाने का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 3) आपको प्ररूप-14 में रिकार्ड किये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा के नमूने तैयार करने चाहिए।
- 4) यदि आपने लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका में किसी पूर्व निर्वाचन में मतदान मशीनों का उपयोग पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में किया हो तब भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/पूर्वाभ्यासों में उपस्थित होना चाहिए। पंचायत चुनावों के संबंध में निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कुछ भिन्नता है और यह आवश्यक है कि आप प्रक्रिया की भिन्नता को समझ लें अन्यथा निर्वाचन का

संचालन सही प्रक्रिया या अनुदेशों के अनुसार नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त अपनी स्मृति को तरों-ताजा कर लेना भी सदैव लाभदायक होता है।

(3) डाक मतपत्र के लिये आवेदन:-

1. आप और आपके मतदान अधिकारी जिनको चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, तथा अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र के लिये प्ररूप 1 में आवेदन करना चाहियें।

आपको नियुक्ति के आदेश की दूसरी प्रति के साथ डाक मतपत्र के लिये आवेदन तुरंत भेजना है अन्यथा डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिये और डाक मतपत्र को गणना से पूर्व समय पर रिटर्निंग अधिकारी को लौटाने के लिये पर्याप्त समय नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने का आवेदन मतदान के दिन से कम से कम चार दिन पूर्व या किसी ऐसी लघुतर अवधि से पूर्व जो रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाना चाहिये।

2. पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव से संबंधित समस्त वार्डों की निर्वाचक नामावली की एक प्रति पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं के केन्द्र (केन्द्रों) पर निरीक्षण हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। ताकि आप निर्वाचक नामावली की विशिष्टियां नोट कर सकें जो आपको डाक मतपत्र के लिये आवेदन पत्र में देनी है। प्ररूप 1 की अतिरिक्त प्रतियां उक्त केन्द्र (केन्द्रों) पर भी उपलब्ध होगी।

(4) मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना

मतदान से एक दिन पूर्व मतदान बूथ के लिये प्रस्थान करते समय आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी सूची परिशिष्ट-5 पर दी गई है। मतदान बूथ के लिये प्रस्थान करने से पूर्व जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है।

1. **मतदान मशीन की जांच :-** मतदान के लिए प्राप्त मशीन को निम्नानुसार विशेष रूप से जांच कर लें।

- 1) कि मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटें) वही है जो आपके मतदान बूथ पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इसकी पुष्टि मतदान मशीन पर लगे एड्रेस टैग से जांच कर की जानी चाहिये क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक एड्रेस टैग पर मतदान बूथ की संख्या और नाम उपदर्शित किये जाते हैं। बैलेट यूनिट पर लगे मतपत्र को भी चैक कर लेना चाहिए कि यह उसी निर्वाचन एवं मतदान बूथ से संबंधित हैं। जिसके लिए आपको पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- 2) यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें मतदान के प्रयोग में ली जा रही है तो जिला परिषद् सदस्य की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा, जिस पर पहचान हेतु पीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर पीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर पीले रंग का मतपत्र होगा और कन्ट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के बाहरी कवर पर पीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा जिस पर पहचान हेतु नीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर नीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर नीले रंग का मतपत्र होगा और कन्ट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के बाहरी कवर पर नीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा।

इसी प्रकार यदि पंच/सरपंच का चुनाव ई.वी.एम. से सम्पन्न कराया जा रहा है, तो ई.वी.एम. का अलग-अलग सैट उपयोग में आयेगा, तथा पंच के चुनाव

के लिए गुलाबी रंग तथा सरपंच के लिए सफेद रंग के मतपत्र/एड्रेस टैग/स्टीकर का उपयोग किया जायेगा।

यदि MPSV मॉडल की मशीनें मतदान के प्रयोग में ली जा रही हैं तो जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए केवल एक कंट्रोल यूनिट तथा दो बैलेट यूनिट का सैट होगा। जिला परिषद् सदस्य की बैलेट यूनिट पर पहचान हेतु पीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर पीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर पीले रंग का मतपत्र होगा और कंट्रोल यूनिट के कैंडिसेट सेक्शन के बाहरी कवर पर पीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य की बैलेट यूनिट पर पहचान हेतु नीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर नीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर नीले रंग का मतपत्र होगा और कंट्रोल यूनिट के कैंडिसेट सेक्शन के बाहरी कवर पर नीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा।

इसी प्रकार यदि पंच/सरपंच का चुनाव MPSV मॉडल की ई.वी.एम. से सम्पन्न कराया जा रहा है, तो एक कंट्रोल यूनिट तथा दो बैलेट यूनिट काम में आयेगी। पंच के चुनाव के लिए बैलेट यूनिट पर गुलाबी रंग तथा सरपंच के लिए बैलेट यूनिट पर सफेद रंग के मतपत्र/एड्रेस टैग/स्टीकर का उपयोग किया जायेगा तथा पंच एवं सरपंच के लिए काम आ रही कंट्रोल यूनिट पर सफेद रंग के एड्रेस टैग/स्टीकर का उपयोग किया जायेगा।

- 3) कि नियंत्रण यूनिट का केंड सेट सेक्शन" सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।
- 4) कि नियंत्रण यूनिट के "केंड सेट सेक्शन" में स्थापित बैटरी पूरी तरह से काम लेने योग्य है। इसके लिए पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को "ऑन"/ऑफ कर जांच लें।
- 5) कि अपेक्षित संख्या में "मतदान यूनिटें" दी गई हैं और मतपत्र उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अंदर सम्यक रूप से लगा दिये गये हैं। मतदान यूनिटों की संख्या जिला परिषद् सदस्य पद एवं पंचायत समिति सदस्य पद अथवा पंच/सरपंच के लिये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) एवं मतदान मशीन के मॉडल (MPSV अथवा M-2/M-3/MK-4/MK-5) पर निर्भर करेगी।

यदि MPSV मशीन उपयोग में ली जा रही हैं, तथा अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 तक हैं तो एक बैलेट यूनिट, 30 तक है तो दो बैलेट यूनिट और इस प्रकार अधिकतम चार बैलेट यूनिट दोनों पदों के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं।

यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन उपयोग में ली जा रही हैं, तथा अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 तक हैं तो एक बैलेट यूनिट, 32 तक है तो दो बैलेट यूनिट और इसी प्रकार अधिकतम चार बैलेट यूनिट प्रयुक्त की जा सकती हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सील बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बीयू पैनल पर ऊपर एवं दाई ओर है। बैलेट यूनिट के अंदर स्लाइड स्विच को चार संभावित 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक पर सेट करके संचालित किया जा सकता है। जब केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो स्विच को स्थिति 1 पर सेट करना होगा। यदि एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो उन इकाइयों में स्विच को क्रमिक रूप से 2, 3 या 4 पर सेट करना होगा। स्विच की स्थिति को यूनिट पर पारदर्शी पैनल के माध्यम से देखा जा सकता है।

- 6) कि प्रत्येक बैलेट यूनिट के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सैट किये गये हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मतदान मशीन (बैलेट यूनिट) पर लगाये गये मतपत्र उचित रूप से फिक्स कर दिये गये हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम (नोटा सहित) और प्रतीक चिन्ह, लैम्प और बटन के लाइन में हैं तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल तथा अन्तिम अभ्यर्थी के पैनल (नोटा सहित) को विभाजित करने वाली रेखाएँ, मतदान यूनिट के स्थान संधियों की लाइन में हैं।
- 7) कि अभ्यर्थियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) के बराबर हैं, और शेष बटन मास्क कर दिये गये हैं।
- 8) कि प्रत्येक मतदान यूनिट सही रूप से मुहरबंद कर दी गई है अर्थात् मतदान यूनिट के दांयी ओर उपर और नीचे के भाग रिटर्निंग अधिकारी की मुहर सहित एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के साथ लगा दिये गये हैं।

2. अन्य मतदान सामग्री की जांच करना :- जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच दोनों के लिए निर्वाचन संबंधित अन्य प्राप्त सामग्री भी निम्नानुसार जांच कर लें—

- 1) शीशी में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं।
- 2) निर्वाचक नामावली की तीनों प्रतियाँ पूर्ण और सभी तरह से समान हैं, और विशेषकर (क) आपको दी गई मतदाता सूची उन्ही निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों की हैं, जिसके लिए मतदान बूथ स्थापित किया गया है एवं मतदाता सूची प्रत्येक अनुपूरक सूचियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण हैं।
(ख) अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम डिलीट कर दिये गये हैं और लिपिकीय या अन्य अशुद्धियाँ सही कर दी गई हैं।
(ग) नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल मतदाता सूची के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित हैं।
(घ) मतदाताओं की मुद्रित क्रम सं. को परिवर्तित नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।
- 3) कि आपको दिये गये निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के लिए है जिसके लिए आपके बूथ पर मतदान होना है। यह भी देख ले कि निविदत्त मतपत्र किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं है। आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए कि उनके क्रम संख्यांक, आपको दिये गये ब्यौरों से मेल खाते हैं।
- 4) यदि आप किसी भी मतदान मशीन या किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हैं तो आपको त्रुटि के आवश्यक समाधान के लिए तुरन्त मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण के प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लाना चाहिए।
- 5) यह भी जांच कर लें कि दोनों (जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं (प्ररूप-8) के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियाँ भी आपको मिल गई हैं। यह मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए उपयोग में आयेंगी।

(5) मतदान बूथ की स्थापना :-

1. वह स्थान, जहां मतदान बूथ की स्थापना की जानी है, पर पहुँचने पर आपको मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करना चाहिए। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 30 (परिशिष्ट-4) में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चयनित पोलिंग स्टेशन में मतदान का बूथ स्थापित करना है,

जिसकी सूची आपको मतदान सामग्री लेते समय प्राप्त करनी है। मतदान बूथ का ले-आउट संलग्न परिशिष्ट-6 में भी बताया गया है। मतदान बूथ का स्थापित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :-

- 1) मतदाताओं के लिए मतदान बूथ के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह है।
- 2) जहां तक व्यावहारिक हो पुरुष/महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रतीक्षा स्थल हों।
- 3) मतदाताओं के लिए प्रवेश तथा बाहर जाने के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो। मतदान बूथ जहां स्थित है, उस भवन में यदि एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच में से बांसो तथा रस्सियों की सहायता से प्रवेश करने तथा बाहर जाने की पृथक व्यवस्था की जा सकती है। आप सुनिश्चित कर ले कि मतदान कक्ष के अन्दर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है।
- 4) मतदाता मतदान बूथ में प्रवेश से लेकर मतदान बूथ छोड़ने तक आसानी से आ-जा सकें तथा मतदान बूथ के भीतर आड़ा-तिरछा न चलना पड़े।
- 5) मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, उसके मतदान बूथ में प्रवेश करते ही देख लें ताकि आवश्यकता हो तो वे उसकी पहचान को चुनौती दे सकें किन्तु वे किसी स्थिति में ऐसी जगह पर नहीं बैठें जहां से मतदाता मत रिकॉर्ड करते हुये देखा जा सकें।
- 6) समस्त मतदान अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे मतदाता को बटन दबाकर, मत देते हुए नहीं देख सकें।
- 7) यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान बूथ स्थित है तो आपको इस बात का समाधान कर लेना चाहिए कि बिना परेशानी के मतदाताओं को अलग करने तथा प्रत्येक मतदान बूथ के सामने की जगह से अलग-अलग स्थानों पर उनके खड़े होने की व्यवस्था कर दी गई है।
- 8) मतदान बूथ का भवन तथा उससे 100 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को चाहे वह हथियारबंद है अथवा नहीं, 100 मीटर की दूरी तक के अन्दर नहीं रहने दिया जायेगा। मतदान बूथ तथा उपरोक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा प्रबन्ध की व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन रहेगी।
- 9) यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें उपयोग में ली गई हैं तो जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक-पृथक वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाये जायें, जिस पर स्पष्ट दिखने वाले नोटिस "पंचायत समिति" या "जिला परिषद" दर्शित किया जायें।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के लिए भी पृथक-पृथक वोटिंग कम्पार्टमेंट तथा उस पर स्पष्ट दिखने वाला नोटिस चिपकाया जायें।
- 10) वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान हेतु प्राथमिकता से आने दें, तथा इसको सूचित करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर भी चिपकायें।
- 11) राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या ऐसे ब्यौरे जिनका सम्बन्ध निर्वाचनों से है प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिए और यदि ये पहले से ही वहां प्रदर्शित हो रहे हों तो मतदान समाप्त होने तक इन्हें हटाने/छुपाने की कार्यवाही करनी चाहिए।
- 12) मतदान के दौरान मतदान बूथ के भीतर किसी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13) यदि आपको स्वयं की बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान बूथ से अनुपस्थित रहना पड़े तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त पहले से ही प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा और वह पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग तथा उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सम्पादित करेगा, लेकिन फिर भी इससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।

14) प्रत्येक मतदान बूथ के बाहर प्रमुख स्थान पर :-

(क) एक नोटिस (परिशिष्ट-14) लगाया जायेगा जिसमें मतदान क्षेत्र अर्थात् मतदान बूथ में मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं का विवरण दर्शाना होगा।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक चिन्ह एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित की जायेगी जिसमें विवरण और क्रम वही होगा जो कि प्ररूप-5 में दर्शित है।

(6) मतदान बूथ में प्रवेश करने तथा बैठने के प्रबन्ध का विनियमन

1. मतदान बूथ के लिए नियम— निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान बूथ में आने की अनुमति नियम 24-क (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत दी जा सकती है :-

- 1) मतदान अधिकारी,
- 2) निर्वाचन के संबंध में पुलिस/कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक,
- 3) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
- 4) अभ्यर्थी नियम-68 (परिशिष्ट-4 के अध्याय-10) के अन्तर्गत उनके निर्वाचन अभिकर्ता (जिलापरिषद्/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में) और नियम 69 (परिशिष्ट-4 के अध्याय-10) के उपबन्धों के अध्याधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता (पंच के निर्वाचनों में मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता)।
- 5) किसी मतदाता की गोद का कोई बच्चा,
- 6) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के लिए बुलायें।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं करेगा एवं पीठासीन अधिकारी उपरोक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों को मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए अनुमत नहीं करेगा।

3. किन्ही मतदान केन्द्रों पर अन्दर चल रही मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अध्याधीन कराई जा सकती है, और ऐसे मतदान बूथों पर जब मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाये तो यह ध्यान रखा जाये कि मत देने के लिए आने वाले मतदाता के चेहरे की फोटो तो रिकार्ड हो किंतु मत देते समय की फोटो नहीं हो क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग हो सकती है।

4. निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर "लोकसेवक" शब्द में सामान्य पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए या कोई ऐसे अन्य उद्देश्य से आप इन्हें बुलाने का निर्णय न लें। "निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोक सेवक" में संघ तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं है।

5. अगर आपको मतदान बूथ पर किसी व्यक्ति के मौजूद होने पर व्यक्तिगत संदेह हो तो, आप उससे मतदान बूथ में प्रवेश करने का मान्य प्राधिकार-पत्र मांग सकते हैं तथा निर्वाचन से संबंधित कानूनों एवं नियमों के पालन में आप केवल राज्य निर्वाचन

आयोग की मार्गदर्शिका तथा निर्वाचन कानूनों एवं नियमों द्वारा आबद्ध हैं। आपको कोई पक्षपात नहीं दिखाना है। मतदान केन्द्रों में प्रवेश करने के लिए सरकारी उच्च अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं को आप तभी अनुमति दें जब उनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मान्य प्राधिकार-पत्र हों।

6. निर्वाचकों की पहचान में आपकी सहायता करने के लिए आपके द्वारा नियुक्त कार्मिक (यदि कोई है) को सामान्यतया मतदान बूथ के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठाया जाना चाहिए, उसे मतदान बूथ में तब ही बुलाना चाहिए जबकि किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान आवश्यक हो। मतदान बूथ के भीतर किसी भी व्यक्ति को शब्दों या इशारों से मतदाताओं को किसी विशिष्ट प्रकार से मत देने के लिए प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
7. मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के प्रारम्भ होने के एक घण्टा पूर्व मतदान बूथ में उपस्थित होने के लिए कहना चाहिए। मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले से ही पूरा किया जा चुका हो तो किसी देरी से आने वाले मतदान अभिकर्ता को समायोजित करने के लिए कार्यवाही को नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता विलम्ब से भी आता है तो भी उसे मतदान बूथ की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। मतदान बूथ में मतदान अभिकर्ता द्वारा प्ररूप-9, को पेश करने पर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। पंचायत समिति/जिलापरिषद् सदस्य निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान बूथ के लिए एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, किन्तु पंच पद के लिए अभ्यर्थी स्वयः एवं सरपंच पद के निर्वाचनों में अभ्यर्थी प्रत्येक बूथ के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता को, जिसे मतदान बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, मतदान अभिकर्ता का बैज दिया जायेगा, जिसको लगाकर ही वह आवश्यकतानुसार मतदान बूथ में आ जा सकेगा।
8. मतदान बूथ में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देनी है।
9. राज्य निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी के प्राधिकार पत्र को धारण किया हुआ यदि कोई मीडियाकर्मी मतदान बूथ में प्रवेश करता है तो उसे किसी मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए उसकी फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जावे और उसे कैमरा/वीडियो/मोबाइल मतदान बूथ में नहीं लाने दिया जावे। मतदान बूथ के बाहर मतदाताओं की लाइन की फोटो मीडियाकर्मी ले सकते हैं।
10. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। मतदान के दिन कोई पर्यवेक्षक आपके मतदान बूथ का निरीक्षण कर सकता है। जब वह आपके मतदान बूथ का निरीक्षण करे तो आपको उसके प्रति शिष्टाचार और सम्मान रखना चाहिये तथा अपेक्षित सूचना भी आपको देनी चाहिये। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये बैज को धारित किये हुए होंगे और आयोग द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्र को भी अपने पास रखेंगे।
11. अभ्यर्थियों को राजनीतिक नेताओं के नाम और/या उनके चित्र वाले बैज और प्रतीक चिन्ह आदि को लगाये हुए किसी भी व्यक्ति को मतदान बूथ के भीतर या उसके 100 मीटर बाहर तक अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. जिलापरिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों में आपको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजे जायेंगे। मतदान अभिकर्ता आपके पास प्ररूप-9 लेकर आयेगा उस पर आप उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर जो पहले से ही

किये हुए होंगे, उनको देख लें। मतदान अभिकर्ता आपके सामने फिर हस्ताक्षर करेंगे इन दोनों हस्ताक्षरों का मिलान कर लें एवं उसे कागज का बैज दें जिसको वह अपने शरीर पर लगा लेगा।

(7) मतदान मशीन को तैयार करना और उसका संचालन करना—

1. आपको मतदान के पूर्व की आवश्यक तैयारी करनी है जिसमें विशेषकर वोटिंग मशीन को तैयार करना और मतदान के दौरान मशीन के सही और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है। मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को किस प्रकार तैयार करना है, नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार मॉकपॉल संचालित करना है, किस प्रकार पेपर सील लगानी है और किस प्रकार मतदान प्रारंभ करते हुए मतदान का संचालन करना है आदि प्रक्रिया चुनाव में काम आ रही MPSV मॉडल की मशीन को अध्याय-5 में तथा M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीन को अध्याय-6 में बताया गया है, जिनका अच्छी तरह से अध्ययन कर कार्य सम्पादित करें।
2. यदि दोनो पदों (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) के चुनावों के लिए प्रयुक्त वोटिंग मशीनों के दो पृथक-पृथक सैट हैं, तो विशेष सावधानी रखें कि इनकी कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट परस्पर मिक्स नहीं हो जायें।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव में भी पृथक-पृथक सैट उपयोग में आयेंगे वो आपस में मिक्स नहीं हो इसका ध्यान रखा जायें।
3. दोनो पदों (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) के लिए प्रयुक्त वोटिंग मशीनों से मॉकपॉल कराया जायेगा और यदि किसी स्थिति में मशीन बदली जाती है तो बदली गई मशीन से भी मॉकपॉल कराया जायेगा।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव में भी प्रयुक्त वोटिंग मशीनों से मॉकपॉल कराया जायेगा और किसी स्थिति में मशीन बदली जाती है तो बदली गई मशीन से भी मॉकपॉल कराया जायेगा।
4. पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार किये गये प्रमाण-पत्र को परिशिष्ट-7 पीठासीन अधिकारी की घोषणा के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिन्दु संख्या 25 अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण में मॉकपॉल का विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा। मॉकपॉल जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये अलग-अलग करना होगा, तथा मॉकपॉल का अलग-अलग प्रमाण-पत्र तैयार करना होगा।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के लिए भी अलग-अलग मॉकपॉल तथा मॉकपॉल प्रमाण-पत्र तैयार करना होगा।

(8) मतदान प्रक्रिया की देखरेख

1. मतदान निर्धारित समय पर आरंभ हो जाना चाहिये। यदि आपको मतदान मशीन तैयार करने में थोड़ी देर हो जाये तो भी आप मतदाता को निर्धारित समय पर अन्दर बुला लें व वोट डालने के पहले की कार्यवाही शुरू कर दें।
2. प्रत्येक मतदाता, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है मतदान बूथ में मतदान की पूर्ण गोपनीयता रखेगा।
3. मतदान प्रारंभ करने से पूर्व उपस्थित सभी व्यक्तियों को मतों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उनके कर्तव्य और उनके भंग करने पर शास्ति के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (परिशिष्ट-2) के प्रावधानों को भी स्पष्ट रूप से बता दें।
4. यदि कोई मतदाता दृष्टिबाधित/दिव्यांगता अथवा अनभिज्ञता के फलस्वरूप निर्धारित रीति से मत देने में सहयोग चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा सहयोग प्रदान करेगा। ऐसे

- मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई प्ररूप निर्धारित नहीं है। लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर “AA” लिख दें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 अभियुक्तियों में मतदाता की सहायता का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) अंकित किया जायें।
5. चुनौती (चैलेंज) मत व निविदत्त (टेण्डर) मत के मामले आपको तय करने होंगे।
 6. पंचायत चुनावों में न तो कोई चुनौती फी (चैलेंज फी) होगी और ना ही किसी निर्धारित प्रारूप में आक्षेपित मत (Challenge Vote) की सूची तैयार की जावेगी।
 7. महिलाओं एवं पुरुष मतदाताओं की पृथक-पृथक पंक्तियां होनी चाहिये। एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में आने दें। दिव्यांग/दृष्टिबाधित, बुर्जुग एवं महिला जिनके गोद में बच्चा हो, उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से प्राथमिकता प्रदान करें। आपको दिव्यांग/दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान बूथ में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहयोग भी करना चाहिए।
 8. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के डेटाबेस के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करवायी गई है। इन मतदाता सूचियों में मुद्रण संबंधी अशुद्धियां होने की संभावना कम है, किन्तु यदि मुद्रण संबंधी कोई अशुद्धि हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है। छपे हुए विवरण से आपको संतुष्ट होना है कि ये विवरण उसी व्यक्ति के हैं जो आपके सामने खड़ा है, कभी-कभी 21 साल की उम्र 12 अंकित हो जाती है, ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना है।
 9. यदि कोई निर्वाचक चेतावनी के बावजूद भी मतदान की प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे तो उसे मत रिकार्ड करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, (राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 (परिशिष्ट-4, अध्याय-4क) के नियम 40-क) और उसे प्रदान की गई मतदाता पर्ची को वापिस ले कर रद्द कर दी जायें।
 10. जहाँ मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने के उपरांत आप उसे मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मत देने की अनुमति नहीं दें, तो रजिस्टर के रिमार्क के कॉलम में इस आशय का नोट अंकित किया जायेगा और नोट के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा लेकिन मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस निर्वाचक या उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्र.सं. में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 11. यदि (राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 (परिशिष्ट-4, अध्याय-4क) के नियम 36 (ख) में बताई गयी परिस्थितियों में मतदान के दौरान वोटिंग कंपार्टमेन्ट में आपको जाना पड़े तो मतदान अभिकर्ताओं को भी साथ आने के लिए कहें।
 12. मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेज:- राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेज अधिसूचित किये हैं, जिसके अनुसार मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट-16)। मतदाता की पहचान जिस पहचान दस्तावेज के आधार पर की गयी है, उस दस्तावेज की क्रम संख्या के आखिरी चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज की जायेंगी। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जायें।
 13. यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान पर संदेह हो या मतदान बूथ पर उसके मत डालने के अधिकार पर संदेह हो और यदि किसी अभ्यर्थी अथवा उसके एजेन्ट द्वारा चाहा जाये तो पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि के लिए कि मतदाता सही व्यक्ति है, ऐसे प्रश्न मतदाता से पूछ सकता है।
 14. प्रारूप-14 (रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सीलों का लेखा) आप स्वयं सावधानी से भरें। पहले कोरे कागज पर सारा हिसाब मिलान कर लें और बाद में प्रारूप-14 भरें। इससे प्ररूप भी खराब नहीं होगा व हिसाब भी सही रहेगा।

उम्मीदवार/निर्वाचक अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो इसकी नकल प्राप्त कर सकते हैं।

15. अन्त में निर्धारित लिफाफों में उनसे संबंधित कागज रख कर लिफाफों को बन्द कर दें जिन्हें चपड़ी से सील करना हो, सील कर दें। इन लिफाफों पर उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता यदि चाहें तो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि किसी प्ररूप में कोई सूचना नहीं भरनी है तो उस पर शब्द 'शून्य' लिख कर एवं हस्ताक्षर कर निर्धारित लिफाफे में बन्द कर दें।
16. मतदान मशीन को सबके सामने सील करें और उस पर यदि उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहें, करने दें।
17. रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को मतदान मशीन व अन्य सभी कागजात यथा निर्देशानुसार तैयार कर अच्छी तरह संभलायें।
18. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-ग (परिशिष्ट-3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह वोट देने का हकदार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है तो वह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव में केवल एक वार्ड से अर्थात् प्रत्येक चुनाव में एक-एक बार ही अपना वोट दे सकेगा और यदि किसी भी चुनाव में वह एक से अधिक वोट देता है तो उस चुनाव में उसके सभी वोट निरस्त कर दिये जायेंगे। उक्त प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी जेल या पुलिस अभिरक्षा में है तो वह वोट नहीं दे पायेगा।
19. लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका चुनावों की तरह मतदान की समाप्ति के लिये निर्धारित समय पर मतदान अधिकारी बाहर आकर जितने मतदाता पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति से क्रम संख्या 1 से शुरू करते हुये उन्हें अपनी हस्ताक्षरित पर्ची दे दें, जिससे समय पूर्व पंक्ति में लगे मतदाता मतदान के लिये निर्धारित समय के बाद मतदान कर सकें तथा अन्य कोई मतदाता निर्धारित समय पश्चात् पंक्ति में शामिल ना हो सकें।
20. जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह नियमानुसार वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के सन्दर्भ में साफ-साफ समाधान हो जाना चाहिये। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके सन्दर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा परिशिष्ट 10 में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिये राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क (परिशिष्ट-3) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें। आप ऐसे मतदाताओं की भी सूची (परिशिष्ट-11 के भाग-I) तैयार करें जिनसे आपने ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की हैं, तथा उन मतदाताओं की भी जिन्होंने उपरोक्त घोषणा करने से इन्कार कर दिया हो और बिना मतदान किये चले गये हैं तो एक सूची उक्त परिशिष्ट 11 के भाग-II में तैयार करनी चाहिये। मतदान की समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित सूची और आयु संबंधित घोषणाएं लिफाफा नं PE-57 (पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिये) में रखनी है, जिसे सील नहीं किया जावे।

यदि पंच/सरपंच का निर्वाचन भी EVM के माध्यम से कराया जाता है तो इस प्रकार तैयार की गई सूची लिफाफा नं PE-57A में रखनी है तथा जिसे सील नहीं किया जाना है।

21. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 45 (परिशिष्ट-4) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ पर अवचार करता है उसे मतदान बूथ से हटाने का अधिकार आपको है। पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे मतदान अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को यदि मतदान बूथ में मौजूद कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर मतदान बूथ से तुरन्त हटा सकते हैं और उसे पुनः प्रवेश से वर्जित कर सकते हैं।
22. यदि आपके मतदान बूथ पर मतदान की कार्यवाही में खुले रूप से हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा बाधा डाली जाये या कार्यवाही रोकी जावे या किसी दैवीय संकट के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान बूथ पर मतदान की कार्यवाही करना बिल्कुल असंभव हो जावे तब आप उस मतदान बूथ पर मतदान के आगे की कार्यवाही को स्थगित घोषित कर शीघ्रताशीघ्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर दें। जनसमुदाय में यह भी घोषणा कर दें कि स्थगित मतदान की कार्यवाही के लिए आपको बाद में सूचित किया जायेगा। हल्की बरसात के छींटे या जोर की हवा या मामूली लड़ाई-झगड़ा मतदान की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जब इस प्रकार आप द्वारा मतदान की कार्यवाही स्थगित कर दी जायें तो प्रयोग में लाई गई मतदान मशीन निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं मतदाता रजिस्टर इत्यादी महत्वपूर्ण कागजों को उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता के सामने एवं पंच/सरपंच के निर्वाचनों में अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता के समक्ष सीलबन्द कर दिया जायें उसी प्रकार जैसे कि मतदान का कार्य सामान्य रूप से समाप्त होने पर किया जाता है। उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो अपने हस्ताक्षर मतदान मशीन व उक्त कागजों के लिफाफों पर लगा सकते हैं।
23. जहां किसी मतदान बूथ पर मतदान नियम 48 के अन्तर्गत स्थगित किया जाता है वहीं मतदान जिस स्तर पर स्थगित करते समय छोड़ा गया था उससे आगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर पुनः प्रारम्भ कराया जायेगा। पंच/सरपंच के निर्वाचनों के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर पुनः यहीं से प्रारम्भ कराया जायेगा। जिन मतदाताओं ने स्थगन से पूर्व मत नहीं दिया था, वे अपना मत दे सकेंगे। पीठासीन अधिकारी स्थगित मतदान को पूरा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति व मतदाता रजिस्टर का सीलबन्द पैकिट प्राप्त करेगा तथा नयी मतदान मशीन को उपयोग में लायेगा। स्थगित मतदान की प्रक्रिया नियम 54 क में बतायी गयी है। स्थगित मतदान में नियम 25 से 29, 30 क, 31 क, 32 क, 32 ख, 33, 34 क, 35 क, 36, 37 क, 37 ख, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 45 क, 46 क, 47 क, 48 क, 49क, 50 क और 51 के प्रावधान वैसे ही लागू होंगे जैसे मूल मतदान में होते हैं। (देखें परिशिष्ट-3)
24. किसी मतदान बूथ पर बूथ कैप्चरिंग (नियम 48-A एवं 48-B में परिभाषित) हो जाये या वहां पर उपयोग में ली गई कोई मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी को अभिरक्षा से विधि विरुद्ध ले जाये जाने पर या घटनावश या जान-बूझकर नष्ट कर दिये जाने पर या खो जाने पर या इस हद तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाने पर कि उस मतदान बूथ में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या मतदान में प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती/अनियमितता, जिससे मतदान दूषित होना संभाव्य हो जाता है या मतदान मशीन में खराबी आने से, मतदान संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी विवरण अंकित करेगा। बूथ कैप्चरिंग के मामले में वह तुरन्त कन्ट्रोल यूनिट स्थित Close बटन दबाकर मशीन बन्द कर देगा और यूनिटों को पृथक कर देगा।

25. आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंच/सरपंच के निर्वाचनों के मामलों में) जहां पुनर्मतदान का आदेश देता है, तो मतदान की वही रीति होगी जो मूल मतदान में थी और यहां सारे मतदाता पुनः मतदान में मत देने के हकदार होंगे लेकिन पुनर्मतदान में अमिट स्याही बांयी मध्यमा पर लगायी जायेगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश परिशिष्ट-18 पर संलग्न है कि पालना सुनिश्चित की जायें।
26. आपको सूची के अनुसार समस्त चुनाव के प्ररूप/फार्म संबंधित लिफाफों में रखना, चिपकाना व सीलबन्द करना है वही लिफाफे चपड़ी से सीलबन्द करें जिन्हें कि आपको सीलबन्द करना है और जिनके लिए सूची में ऐसा करना बताया गया है। सभी लिफाफे चपड़ी से सील नहीं होंगे व चपड़ी अनावश्यक खराब नहीं करे।

अध्याय-4

मतदान दल के सदस्यों में कार्य विभाजन

मतदान के सफल व सुचारु संचालन के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि मतदान दल का कौनसा सदस्य क्या कार्य करेगा। मतदान दल के सदस्यों द्वारा जो कार्य किये जाने हैं उनका वर्णन आगे विस्तार से किया गया है और मुख्य-मुख्य कार्य बिन्दु इस अध्याय में बताये जा रहे हैं।

(1) प्रथम मतदान अधिकारी :-

1. चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो दस्तावेजों (परिशिष्ट-16) के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ-साथ यह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
3. इसके पास निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति होगी जिसमें वे नाम "Deleted" दर्शित होंगे जिनके नाम हटाये गये नामों की सूची में अंकित है। नाम डिलीट किये जाने के कारण मूल सूची के मतदाताओं की प्रविष्टियों की छपी हुई क्रम संख्या में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। शुद्धियों की सूची के आधार पर पहले से ही इस प्रति में शुद्धि की हुई होगी। जिससे प्रत्येक प्रविष्टि का सही विवरण तुरन्त मिल जायें व मतदान में किसी प्रकार की देरी ना हो।
4. पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेन्ट सुन सकें। मतदान अभिकर्ता यदि चाहें तो इस वक्त पहचान बाबत एतराज उठा सकते हैं।

पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बांयी तरफ टिक (✓) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बांयी तरफ स्टार (*) लगायेगा। जिससे मतदान के अंत में गिनकर यह पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरुष मतदाताओं ने मत दिये व कितने स्त्री मतदाताओं ने तथा कितने थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये। स्थिति का परिणाम पीठासीन अधिकारी की डायरी में अभिलिखित किया जायेगा। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" भी अंकित कर दें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 अभियुक्तियों में मतदाता सहायता का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) अंकित किया जायें। मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जावेगी। जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांख्यिकी सूचना में अंकित किया जायेगा।

जिस मतदाता की पहचान भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र से की जावे उसके नाम के आगे 'E' शब्द लिखे तथा जिसकी पहचान अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर की जावे तो उसके नाम के आगे 'D' शब्द लिखा जायें

5. साधारणतया प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के बूथों से पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूँढता है, पर यदि कोई मतदाता अपने साथ ऐसी पर्ची नहीं भी लाये तो भी इस मतदान

अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूँढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नहीं लौटाये।

नोट :- पहचान पर्ची सफेद कागज पर मुद्रित हो सकती है और जिस पर केवल निम्न विवरण छपाये जा सकते हैं :-

- (i) जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या।
- (ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम।
- (iii) मतदाता का नाम।
- (iv) मतदाता सूची में मतदाता की वार्ड संख्या और क्रम संख्या

इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद पहचान पर्ची को फाड़कर कूड़ेदान की टोकरी में डालें, फर्श पर नहीं फेंकें।

6. मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्ता/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं बाद में नहीं।
7. चुनौती (चैलेन्ज) होने के बाद की सारी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा संपादित की जायेगी।
8. पहचान स्थापित हो जाने के बाद मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास चला जायेगा।

(2) द्वितीय मतदान अधिकारी :-

1. द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नांकित सामग्री होगी :-

- 1) अमिट स्याही की शीशी।
- 2) मतदाता रजिस्टर।
- 3) निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रति (Working Copy)।
- 4) बाल पैन।
- 5) स्टैम्प पैड।
- 6) गीले कपड़े का टुकड़ा।
- 7) मतदाता पर्चियाँ जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा है उसके अनुसार अलग-अलग रंग की होगी -
 - (a) जिला परिषद के लिये पीले (Yellow) रंग की।
 - (b) पंचायत समिति सदस्य के लिये नीले (Blue) रंग की।
 - (c) सरपंच के लिए सफेद रंग की।
 - (d) पंच के लिए गुलाबी रंग की।

2. जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक की वार्ड संख्यांक तथा क्रम संख्यांक ऊंची आवाज में बोलता है, उसी समय द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बांयी तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। तत्पश्चात् उसके द्वारा मतदाता की बांयी हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली) पर नख के बिल्कुल ऊपर ही कोमल चमड़ी पर और नख को छूते हुए अमिट स्याही लगाई जानी है। यह ध्यान रखे कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाते समय ब्रुश से अधिक स्याही न लगाये। ब्रुश के केवल ऊपरी भाग को स्याही में डुबोयें इससे अधिक स्याही लेने से बचा, जा सकता है। ब्रुश को स्याही में डुबोने के बाद उसे इस तरह से लगायें कि त्वचा व नख के बीच रिज के ऊपर भी फैल जाय और अंगुली पर निशान रह जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि स्याही लगाते समय मतदाता की तर्जनी सीधी है और स्याही लगाने के तत्काल बाद कम से कम 30 सैकण्ड तक उसे सूखने का समय

दें एवं सुनिश्चित करें कि मतदाता अमिट स्याही को रगड़ने न पायें। यह देखें कि निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगे अमिट स्याही के निशान को निष्प्रभावी करने के लिए कोई तेल या चिकना पदार्थ तो नहीं लगाया है तो ऐसे तेल या चिकने पदार्थ को निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से पूर्व कपड़े के टुकड़े से मतदान अधिकारी को साफ कर देना चाहिए। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी नहीं है, तो बांये हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली क्रम से किसी भी ऐसी अंगुली जो उसके बांये हाथ की है पर अमिट स्याही लगावें, यदि किसी के बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो उसके दांये हाथ की तर्जनी पर और यदि दांये हाथ की तर्जनी भी नहीं है तो दांयी हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली किसी भी अंगुली पर अमिट स्याही लगा दें, यदि उसके किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली नहीं है तो क्रम से उसके बांये हाथ या दांये हाथ जो भी हो के छोर पर अमिट स्याही लगानी चाहिए (नियम 38 क, परिशिष्ट-4 के अध्याय-4क)। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर पहले से ही अमिट स्याही का चिन्ह विद्यमान है तो वहां यह समझा जायेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत दे दिया है और उसे कोई मत नहीं देने दिया जायेगा। साथ ही किसी मतदाता को कोई मत तब तक नहीं देने दिया जायेगा जब तक वह अपनी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह नहीं लगवाये। (नियम 38 क, परिशिष्ट-4 के अध्याय-4क) महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में जारी आदेश जो परिशिष्ट-17 पर संलग्न है, उसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

3. पुनर्मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और मतदाता के बांये हाथ के बीच की अंगुली (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही का ताजा निशान लगाया जायेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 जारी किया हुआ है, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है। उसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त रीति से मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी ऐसे मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) में करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा उक्त रजिस्टर में करायेगा। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या-1 से प्रारंभ होगी। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 15 क्रम संख्याएँ रखे जाने का प्रावधान रखा गया है और मतदान अधिकारी को चाहिये कि कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्याएँ अंकित कर लें। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में जिस वार्ड से संबंधित है उसकी संख्या तथा मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जायेगी। उदाहरण स्वरूप मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम क्रम पर आने वाला मतदाता जिसका नाम वार्ड सं. 1 की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या 518 पर दर्ज है के लिये मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में क्रम संख्या-1 दर्ज होगी तथा दूसरे कॉलम में 1/518 दर्ज किया जायेगा। दूसरे क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम वार्ड नं. 3 की मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 313 पर है तो रजिस्टर के प्रथम कॉलम में क्रम संख्या-2 और द्वितीय कॉलम में 3/313 अंकित किया जाये और इसी प्रकार प्रविष्टियाँ रजिस्टर में होती रहेंगी।
5. मतदाता की पहचान किसी फोटो युक्त दस्तावेज, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किये हैं (परिशिष्ट-16) से की जानी है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट (digit) मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्तियों (Remark) वाले कॉलम 4 में लिखे जायेंगे। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार

डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जाये।

6. मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा अभियुक्तियों (यदि कोई हो) के कॉलम की पूर्ति हो जाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में (प्रथम व द्वितीय कॉलम में उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्मुख) प्राप्त करेगा।
7. जब मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर कराये तो मतदाता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पूरे हस्ताक्षर करें, अर्थात् वह पूरा नाम लिखें, यदि कोई साक्षर मतदाता हस्ताक्षर स्वरूप मात्र एक निशान लगाता है और यह तर्क दे कि यही उसके हस्ताक्षर है तो उस मतदाता की अंगूठा निशानी लेनी चाहिये क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर का आशय यह है कि जिस दस्तावेज पर अधि-प्रमाणन स्वरूप वह अपने हस्ताक्षर करता है तो उसे अपना पूरा नाम दर्शित करते हुए ही हस्ताक्षर करने चाहिये। यदि साक्षर व्यक्ति उपरोक्त रीति से अपेक्षानुसार हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका अंगूठा निशानी लेनी चाहिये और अंगूठा निशानी भी नहीं करता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
8. यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये। अंगूठा निशानी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अंगूठा निशानी स्पष्ट होनी चाहिये अर्थात् न तो निशान हल्का होना चाहिये और न ही अधिक स्याही का। अंगूठा निशानी लेने के उपरांत अंगूठे पर लगी स्याही को गीले कपड़े के टुकड़े से मिटा देना चाहिये। दांये
9. मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बांये अंगूठे की छाप लगायी जावेगी। यदि बांये हाथ का अंगूठा नहीं है तो दांये हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जायेगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बांये हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगायी जायेगी। यदि बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दांये हाथ की अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगाई जायेगी। यदि मतदाता के दोनों हाथों में कोई अंगुली नहीं है तो बांये हाथ के ठूठ पर और बांये हाथ का ठूठ नहीं हो तो दांये हाथ के ठूठ पर निशान लगा दें। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" अंकित कर दें एवं साथ ही मतदाता रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 अभियुक्तियों में मतदाता सहायता का कारण (दृष्टिबाधित/दिव्यांग) अंकित किया जाये।
10. मतदाता की अंगुली के निशान लगाने और मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि कर उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त कर लेने के पश्चात मतदान अधिकारी उस मतदाता के लिये मतदाता पर्ची भी तैयार करेगा। मतदाता पर्ची का प्ररूप परिशिष्ट-13 पर दिया हुआ है।

ये मतदाता पर्ची अलग-अलग रंगों में होगी। जिला परिषद् सदस्य के लिये पीले रंग की तथा पंचायत समिति सदस्य के मतदान के लिए नीले रंग की मतदाता पर्ची काम आयेंगी। इसी प्रकार सरपंच पद के लिए सफेद रंग की तथा पंच पद के लिए गुलाबी रंग की मतदाता पर्ची काम आयेंगी। यह मतदाता पर्ची अन्य सामग्री के साथ आपको 50-50 के बण्डलों में दी जायेंगी।

11. मतदाता पर्ची तैयार कर द्वितीय मतदान अधिकारी इसे मतदाता को दे देगा और उसे तीसरे मतदान अधिकारी जो जिला परिषद् सदस्य चुनाव की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी है के पास भेज देगा। जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिये दी गयी पर्ची (पीले रंग में)

तृतीय मतदान अधिकारी को एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली पर्ची (नीले रंग में) चतुर्थ मतदान अधिकारी को मतदान से पूर्व सौंपी जायेगी।

इसी प्रकार यदि पंच एवं सरपंच का चुनाव किया जा रहा है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी सफेद एवं गुलाबी रंग में मतदाता पर्ची तैयार कर इसे मतदाता को दे देगा तथा तीसरे मतदान अधिकारी जो सरपंच चुनाव की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी है के पास भेज देगा। सरपंच चुनाव के लिए दी गई सफेद पर्ची तृतीय मतदान अधिकारी को एवं पंच चुनाव के लिए दी गई गुलाबी पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी को देगा।

(3) तृतीय मतदान अधिकारी (यदि MPSV मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं।)

यदि MPSV मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं तो मतदान दल में तीन मतदान अधिकारी होंगे। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों के चुनाव के लिए MPSV मॉडल की एक कंट्रोल यूनिट परन्तु दो बैलेट यूनिट प्रयुक्त होगी। दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में रखी जायेंगी। दोनों चुनावों के लिए एक ही (कंट्रोल यूनिट) प्रभारी होगा, यह पीठासीन अधिकारी के पास ही बैठेगा ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट पर और मतदान प्रक्रिया पर नजदीकी से ध्यान रख सकें।

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच दोनों के चुनाव यदि EVM से एक साथ हो रहें हैं तो MPSV मॉडल की एक कंट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट प्रयुक्त होंगी। दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में रखी जायेंगी। दोनों चुनावों के लिए एक ही (कंट्रोल यूनिट) प्रभारी होगा।

1. यह मतदान अधिकारी मतदाता से पीली मतदाता पर्ची (जिला परिषद् सदस्य) एवं नीली मतदाता पर्ची (पंचायत समिति सदस्य) अथवा सफेद मतदाता पर्ची (सरपंच) एवं गुलाबी मतदाता पर्ची (पंच) जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदाता को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नहीं हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है, सही क्रम के संबंध में मतदाता रजिस्टर के अभियुक्तियों के कॉलम (4) में टिप्पणी कर दी जायेगी और ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं, जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है, के सम्बन्ध में की जायेंगी।
3. मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु मतदाता पर्ची मतदान जिन पदों के लिए हो रहा है उसके अनुसार (नीली एवं पीली अथवा सफेद एवं गुलाबी रंग की) द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास पृथक-पृथक एकत्र करता जायेगा और मतदान समाप्ति पर पीली मतदान पर्ची के लिए लिफाफा (PE-45) तथा नीली मतदान पर्ची के लिए लिफाफा (PE-44) एवं इसी प्रकार सफेद मतदान पर्ची के लिए लिफाफा PE-45A तथा गुलाबी मतदान पर्ची के लिए लिफाफा PE-44A में रखने के बाद सील कर दिया जायेगा।
4. जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) होगा। जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो प्रथम मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) जिला परिषद् सदस्य के लिये बैलेट यूनिट तथा द्वितीय मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में पंचायत समिति सदस्य के लिए बैलेट यूनिट रखी होगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए भी अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ होगा। प्रथम मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) सरपंच पद के लिये बैलेट यूनिट तथा

द्वितीय मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में पंच पद के लिए बैलेट यूनिट रखी होंगी। दोनों मतदान यूनिटों को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।

5. मतदान प्रकोष्ठ में रखी मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित बैलेट यूनिट में संबंधित उम्मीदवार अथवा नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में छोटी बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में उम्मीदवार (नोटा सहित) की लाल बत्ती बंद हो जायेगी।

इसी प्रकार अलग मतदान प्रकोष्ठ में रखी दूसरी बैलेट यूनिट पर भी मत रिकॉर्ड किया जायेगा। Ballot Unit में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित बैलेट यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में लम्बी बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी। साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और लम्बी बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा।

6. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आये तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
7. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय-समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे तथा मतदान समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये (परिशिष्ट-8 के बिन्दु सं. 16)। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।

(4) तृतीय मतदान अधिकारी (यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं।)

1. यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं तो मतदान दल में चार मतदान अधिकारी होंगे।
2. तृतीय मतदान अधिकारी जिला परिषद् सदस्य चुनाव अथवा सरपंच पद की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। यह पीठासीन अधिकारी की टेबिल पर उसके पास ही बैठेगा ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट पर और मतदान प्रक्रिया पर नजदीकी से ध्यान रख सकें।
3. यह मतदान अधिकारी मतदाता से पीली अथवा सफेद मतदाता पर्ची, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष

(वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।

4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदाता को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नहीं हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है, सही क्रम की मतदाता रजिस्टर के अभियुक्तियां कॉलम (4) में टिप्पणी कर दी जायेगी और ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं, जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है, के सम्बन्ध में की जायेंगी।
 5. मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु पीली/सफेद मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास से एकत्र करता जायेगा और मतदान समाप्ति पर पीली पर्ची लिफाफा (PE-45) में अथवा सफेद पर्ची PE-45A में रखने के बाद सील कर दिया जायेगा।
 6. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।
 7. मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा।
 8. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आवे तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
 9. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय-समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे तथा मतदान समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये (परिशिष्ट-8 के बिन्दु सं. 16)। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।
- (5) **चतुर्थ मतदान अधिकारी (यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं।)**

1. चतुर्थ मतदान अधिकारी पंचायत समिति सदस्य अथवा पंच चुनाव मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। यह पीठासीन अधिकारी की टेबिल पर उसके पास ही

बैठेगा ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट पर और मतदान प्रक्रिया पर नजदीकी से ध्यान रख सके।

2. यह मतदान अधिकारी मतदाता से नीली अथवा गुलाबी मतदाता पर्ची, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदाता को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नहीं हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है, सही क्रम की मतदाता रजिस्टर के कॉलम (4) अभियुक्तियों में टिप्पणी कर दी जायेगी और ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं, जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है, के सम्बन्ध में की जायेंगी।
4. मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को चतुर्थ मतदान अधिकारी अपने पास एकत्र करता जायेगा और मतदान समाप्ति पर नीली पर्ची लिफाफा (PE-44) अथवा गुलाबी पर्ची लिफाफा PE-44A में रखने के बाद सील कर दिया जायेगा।
5. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा। जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।
6. मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और मतदान यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदान बूथ छोड़ देगा।
7. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आये तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
8. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय-समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे तथा मतदान समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये (परिशिष्ट-8 के बिन्दु सं. 16)। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।

अध्याय-5
मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर
पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना
(MPSV मॉडल ECIL द्वारा निर्मित)

मतदान पूर्व की तैयारी

मतदान केंद्र पर ईवीएम को वास्तविक उपयोग में लाने से पहले कुछ और तैयारी आवश्यक है। इन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। EVM की तैयारी के बारे में नीचे समझाया गया है।

बैलेट यूनिट (BU)

बैलेट यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही सभी प्रकार से तैयार हैं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में प्लग करेगा एवं यह भी निरीक्षण करेगा कि –

1. बैलेट पेपर, बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है।
2. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऊपर और नीचे की ओर दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं।
3. प्रथम स्थान पर जिला परिषद् सदस्य अथवा सरपंच पद के लिये काम आने वाली बैलेट यूनिट तथा द्वितीय स्थान पर पंचायत समिति सदस्य अथवा पंच पद के लिये काम आने वाली बैलेट यूनिट (जैसी भी स्थिति हो) रखी जायेगी। यहां यह भी ध्यान रखा जायेगा कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक है तो प्रथम बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच की स्थिति '1' पर तथा द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच की स्थिति '2' पर निर्धारित हों। यदि किसी पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 16 से 30 तक है तो ऐसी स्थिति में उस पद के लिये एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्लाईड स्विच को स्थिति 3 अथवा 4 पर सैट किया जायेगा। अंतिम बैलेट यूनिट को छोड़कर समस्त बैलेट यूनिट का END बटन मास्क (Mask) तथा अंतिम बैलेट यूनिट का END बटन अनमास्क (Un Mask) होगा। किन्तु यदि एक ही पद का निर्वाचन EVM के माध्यम से करवाया जा रहा है तो बैलेट यूनिटों के सभी END बटन मास्क (Mask) करे जायेंगे।

कंट्रोल यूनिट (CU)

1. पीठासीन अधिकारी को यह देखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार के खंड (Candidate Section) के बांयी ओर लगाई गई मुहर सही स्थिति में है।
2. इसके बाद, सीयू के पीछे के ढक्कन को खोलना चाहिए और सीयू के पिछले हिस्से में फीमेल कनेक्टर से बीयू के मेल कनेक्टर को प्लग करके कनेक्ट करना चाहिए एवं दूसरी बीयू की केबल को पहली बीयू के पीछे की तरफ कनेक्टर से जोड़ा जाना चाहिये। अधिक बीयू का उपयोग हो तो इसी प्रकार कनेक्ट की जानी चाहिए।
3. इसके बाद, परिणाम अनुभाग (Result Section) की बाईं ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर परिणाम अनुभाग का कवर खोलना चाहिए।
4. इसके बाद, परिणाम अनुभाग के आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT-I और RESULT-II बटन के ऊपर) दो छिद्रों के माध्यम से अंगूठा और एक उंगली डालकर थोड़ा अंदर की ओर दबाकर खोला जाना चाहिए।
(नोट :- आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिये)

5. सीयू के पीछे का ढक्कन खोलने के बाद स्विच को 'ON' करें। यह बीप साउंड देता है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ON' लैम्प, पर GREEN बत्ती जलती है। प्रारंभिक प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें।
6. अब 'CLEAR' बटन दबाया जाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी काउंट शून्य पर सेट है 'CLEAR' बटन दबाने पर क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू होता है। यह ऑपरेशन "बीप" ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकंड लेता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू कर देगा (यदि जिला परिषद् सदस्य पद के लिये 8 उम्मीदवार एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिये 5 उम्मीदवार मैदान में हो तो)।

DELETING
POLLED VOTES

CANDS 8
SEATS 1

NUMBER OF
POSTS 2

CANDIDATE - 1
VOTES - 0

TOTAL VOTERS
0

CANDIDATE - 2
VOTES - 0

POST 1

CANDIDATE - 3
VOTES - 0

•

•

- यह प्रदर्शन अंतिम कैंडिडेट एवं अंतिम पदों तक जारी रहेगा

POLLED
VOTES 0

UNFINISHED
VOTERS 0

UNDER
VOTES 0

END

नोट:- यदि उपरोक्त सूचना के प्रदर्शित होने के स्थान पर 'Invalid operation' संदेश प्रदर्शित होता है तो CRC (Close, Result-1, Clear) प्रक्रिया पुनः पूर्ण करें।

उपरोक्त सूचना का प्रदर्शन पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंटों को यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।

MOCK POLL प्रक्रिया पूर्ण करना ।

यह प्रदर्शित करने के बाद कि कोई वोट पहले से मशीन में दर्ज नहीं हैं, कुछ वोटों को रिकॉर्ड करके एक मॉकपॉल आयोजित किया जाना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करें:-

1. मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्यों (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता) को वोट डालने के लिये जिला परिषद् सदस्य के लिये पीली एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली मतदाता पर्ची जारी की जायें।

यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ईवीएम से सम्पन्न किया जा रहा है तो सरपंच पद के लिए सफेद पर्ची एवं पंच पद के लिए गुलाबी पर्ची जारी की जायें।

2. पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पर्चियों को क्रम से अलग-अलग संग्रहित किया जायें, तत्पश्चात मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जायें। वोटर को एक वोट जिला परिषद् सदस्य के लिये तथा एक वोट पंचायत समिति सदस्य के लिये डालना होगा। इसी प्रकार यदि पंच/सरपंच पद का निर्वाचन EVM से करवाया जा रहा है तो मॉकपॉल आयोजित किया जायें। वोटर दोनों पदों के लिये एक-एक वोट डाल सकता है, दोनों पदों में से किसी एक पद के लिये वोट डाल सकता है अथवा दोनों पदों के लिये मत नहीं डाले ऐसी भी स्थिति हो सकती हैं। जब मतदाता निर्धारित मतों से कम संख्या में मत डालता हैं, तो उसे आंशिक मतदान कहते हैं। आंशिक मतदान करने के लिये मतदाता द्वितीय बैलेट यूनिट पर स्थित END बटन का उपयोग करेगा। ऐसे आंशिक मतों को कंट्रोल यूनिट UNDER VOTE के रूप में संग्रहित (Store) करती एवं दर्शाती हैं।
3. कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर 'BALLOT' बटन दबाएं 'BALLOT' बटन दबाने पर, डिस्प्ले सेक्शन पर लाल रंग का 'Busy' लैम्प जलेगा इसके साथ ही, दोनों BU पर हरी बत्ती जलेगी।
4. मॉकपॉल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के लिए कहें, तथा मॉकपॉल वोटर द्वारा किस-किस अभ्यर्थी को मत डाला गया है, उसे अलग-अलग कागज पर जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए परिशिष्ट-19 के अनुसार तैयार करें।

यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ईवीएम से सम्पन्न किया जा रहा है तो इसी प्रकार अलग-अलग कागज पर पंच एवं सरपंच पद के लिए परिशिष्ट-19 के अनुसार मॉकपॉल प्रमाण-पत्र का विवरण तैयार करें।

5. संबंधित बीयू पर उम्मीदवार का बटन दबाने पर संबंधित तीर लैंप लाल जलता है एवं छोटी बीप की आवाज आती है तथा दूसरी संबंधित बीयू पर उम्मीदवार का बटन दबाने पर संबंधित तीर लैंप लाल जलता है एवं लम्बी बीप की आवाज आती है। आंशिक मतदान अर्थात् END बटन दबाने पर भी लम्बी बीप की आवाज आती है।
6. मतदान पूरा होने के बाद, BU में 'Ready' हरी बत्ती, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाल बत्ती और बीप साउंड एक साथ बंद हो जाएगी और मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड के बाद CU की 'Busy' लाल बत्ती भी बंद हो जाएगी।
7. अन्य मॉकपॉल वोटरों द्वारा मतदान के लिए पूर्ववर्ती बिन्दु संख्या 1 से 6 में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में इस प्रकार किये गये मॉकपॉल का पूर्ण लेखा, परिशिष्ट 19 के अनुसार तैयार करें।
8. मॉकपॉल के अंत में CU पर स्थित 'Close' बटन दबाएं। 'Close' बटन दबाने से डिस्प्ले पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से दिखाता है।

उदहारण-1

- Ward No: 1151 (यदि ZP/PS का चुनाव सम्पन्न किया जा रहा है तो वार्ड नं. के प्रथम दो अंक अर्थात् 11 जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या तथा अगले दो अंक अर्थात् 51 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या को दर्शाते हैं)
- Booth No: 189
- No. of Posts 2
- No. of voters 9
- For Post 1 to elect 1 out of 8

- For Post 2 to elect 1 out of 5

उदाहरण-2

- Ward No: (यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव EVM से सम्पन्न किया जा रहा है तो Ward No: के स्थान पर भरे जाने वाले कोड हेतु दिशा निर्देश प्रथक से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जायेंगे।)
- Booth No: 189
- No. of Posts 2
- No. of voters 9
- For Post 1 to elect 1 out of 8
- For Post 2 to elect 1 out of 5

‘CLOSE’ प्रदर्शन अनुक्रम:

CLOSING	NUMBER OF POSTS 2
DTE 04-02-19 TME 13-49-14	TOTAL VOTERS 9
RJSCU123456 RJSDM111113	POLL CLOSED

नोट:- समय की उपलब्धता के आधार पर मॉकपॉल में अधिक/कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1-1 मत से मॉकपॉल किया जाना अनिवार्य है।

9. अब CU पर स्थित ‘RESULT-I’ बटन दबाएं। इसके दबाने पर डिस्प्ले पैनल क्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी दिखाना शुरू कर देगा (यदि मॉकपॉल में कुल 9 मतदाता मतदान के लिए आये एवं प्रथम पद के लिये समस्त 9 मतदाताओं ने वोट डाले परन्तु द्वितीय पद के लिए 3 मतदाताओं ने वोट नहीं डाले अर्थात् आंशिक मतदान किया तो)।

COMPUTING RESULT	CANDIDATE 2 VOTES 3
RJSCU123456 RJSDM111113	• • •
POLL RESULT PDT 04-02-19	POST 2
PST 13-33-36 PET 13-49-14	POLLED VOTES 6
NUMBER OF POSTS 2	UNDER VOTES 3
TOTAL VOTERS 9	CANDS 5 SEATS 1
POST 1	CANDIDATE 1 VOTES 1
POLLED VOTES 9	• • यह रिजल्ट अंतिम पद के अंतिम उम्मीदवार तक • प्रदर्शित किया जाता है
UNDER VOTES 0	UNFINISHED VOTERS 0
CANDS 8 SEATS 1	POLL DAY CU RJSCU123456
CANDIDATE 1 VOTES 1	END

नोट:- प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर जिसमें एसडीएमएम लगाया गया है, को उपरोक्त संदेशों के क्रम में दूसरे नम्बर पर दर्शाया गया है एवं मतदान के दिन प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर, उपरोक्त संदेशों के क्रम में अन्त (END) से पूर्व दर्शाया गया है।

10. दोनों चुनावों के लिये सीयू पर प्रदर्शित मॉकपॉल परिणाम तथा परिशिष्ट-19 के अनुसार अलग-अलग तैयार किये गये लेखे से मिलान कर परिणाम के सही होने की पुष्टि करें, तथा अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट करें।
11. अब मॉकपॉल के दौरान दर्ज किए गए वोटों के खाते को साफ (Clear) करने के लिए 'CLEAR' बटन दबाएं। इस बटन के दबाने से मशीन में संग्रहित कुल

मतदाताओं की संख्या' तथा प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या को 0 कर देता है।

चेतावनी:- मॉकपॉल वोटों को 'CLEAR' करना नहीं भूलें।

12. 'CLEAR' बटन दबाने के पश्चात् डिस्प्ले सेक्शन पर END प्रदर्शित होने के बाद, कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। Clear बटन दबाने से डिस्प्ले सेक्शन से प्रदर्शित होने वाली जानकारी इस अध्याय के प्रारम्भ में बताई हुई है।
13. पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार परिशिष्ट 19 को परिशिष्ट-7 के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु संख्या 25 अन्य महत्वपूर्ण घटना के विवरण में मॉकपॉल के विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा।

चेतावनी:- परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें।

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना

पिंक पेपर सील विशेष रूप से सुरक्षा कागज पर मुद्रित एवं क्रमांकित होती हैं। इस पेपर सील को RESULT SECTION के आन्तरिक खण्ड के दरवाजे के अन्दर की तरफ फ्रेम में निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है। सील को फ्रेम में मजबूती से लगाने के लिए एक पतली कार्डबोर्ड पैडिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस सील को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसकी पिंक सतह को पीछे की ओर से और सफेद सतह को बाहरी तरफ के छिद्र से देखा जा सके। सील को ठीक से लगाने के बाद, आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि इस पिंक पेपर सील के खुले छोर आन्तरिक खण्ड के दरवाजे से बाहर की ओर निकले हुए रहें एवं ऊपरी खुले सिरे को मोड़ने पर सील की क्र.सं स्पष्ट दिखती हुई रहे। पेपर सील की पिंक सतह पर पीठासीन अधिकारी को सील के सीरियल नंबर के नीचे अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर देना चाहियें। इस सील पर उपस्थित एवं इच्छुक उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर लेने चाहियें, उपयोग किए गए पेपर सील की क्रम संख्या नोट करें और साथ ही उपस्थित उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट करावें।



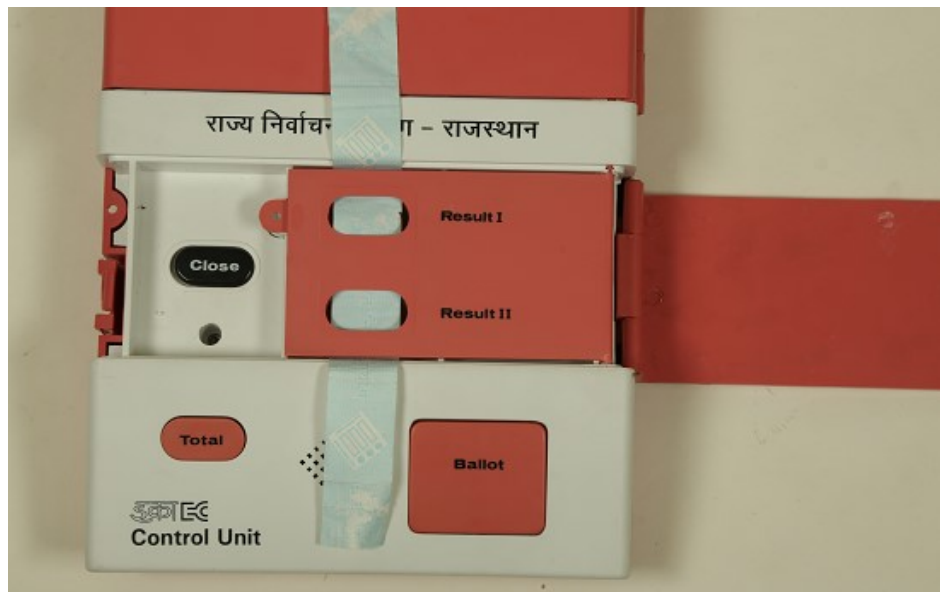
पिंक पेपर सील की फिक्सिंग

अब परिणाम खण्ड के इस आन्तरिक दरवाजे को विशेष टैग द्वारा सील किया जाएगा। इसके लिए आन्तरिक खण्ड के दरवाजे में दिए गए दो छिद्रों तथा विशेष टैग में दिए गये छिद्र से होकर हरे ट्बाईन धागे को निकालकर, गांठ बांधते हुए चपड़ी द्वारा सील किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखें कि खराब या टूटा हुआ विशेष टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि टैग सीलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।

विशेष टैग पर सीलिंग से पूर्व कंट्रोल यूनिट की क्रम सं. लिखकर, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ता भी इस विशेष टैग पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी अनुमति देंगे।

सील करने के बाद, 'CLOSE' बटन के पास विशेष टैग को इस प्रकार समायोजित करें जिससे कि ऑपरेशन के लिए 'CLOSE' बटन आसानी से उपलब्ध हो।



पिंक पेपर सील से Result Section के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को सील करना

RESULTSECTION के बाहरी आवरण को बंद करना

इस अनुभाग को सील करने के लिए RESULT SECTION के बाहरी ढक्कन को दबा कर बंद करें। बाहरी आवरण को दबाने के बाद RESULT कवर के बाहरी आवरण के बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकाल कर सील किया जाना चाहिए और पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ एड्रेस टैग नत्थी कर देना चाहिए।



Result अनुभाग को सील करना

पिंक पेपर सील और एबीसीडी स्ट्रिप सील करने की प्रक्रिया



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

अब पिंक पेपर सील एवं ABCD हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकने वाली ABCD लंबी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें। स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएं। सील करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं:-

स्टेप 1

पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग 'A' को रखे। 'A' वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भागपर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 1

स्टेप 2:

अब स्ट्रिप सील के 'B' के ऊपर के वैक्स पेपर को हटाकर इसे बांयी ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 2

स्टेप 3:

अब स्ट्रिप सील का 'C' भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। 'C' का वेक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस 'C' भाग पर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 3

स्टेप 4:

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बांयी ओर से, सावधानी पूर्वक, Close बटन की ऊपरी रबर/प्लास्टिक केप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 4

स्टेप 5:

अब 'D' भाग के वेक्स पेपर को हटाकर उसे पिंग पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपका दें कि सीरियल नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। (चित्रानुसार)।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 5

वास्तविक मतदान (Actual Poll) प्रक्रिया

1. दोनों बैलेट यूनिटों को अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में लगावें। ये प्रकोष्ठ पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां नियंत्रण इकाई से इसे संचालित किया जाएगा। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए, मतदान प्रकोष्ठ इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई को ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए।
नोट:- इंटरकनेक्टिंग केबल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि इससे मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें इस पर चलना ना पड़े। इसके अलावा, केबल को कंट्रोल यूनिट की तरफ और साथ ही बैलेट यूनिट की तरफ टेबल की टांग से बांधा जा सकता है।
2. अब EVM (BU & CU) वास्तविक वोटिंग में उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें।
3. 'TOTAL' बटन दबाएँ और सुनिश्चित करें कि कुल प्रदर्शित मतदाता प्रदर्शित शून्य है। निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें। मतदाता की पहचान के बाद उसकी बायीं तर्जनी के अग्रभाग पर अमिट स्याही, मतदाता के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के पश्चात मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाती है।
4. मतदाता को वोट डालने के लिये जिला परिषद् सदस्य के लिये पीली एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली मतदाता पर्ची जारी की जायें।
इसी प्रकार सरपंच पद के लिए सफेद पर्ची एवं पंच पद के लिए गुलाबी पर्ची जारी की जायें।
5. पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पर्चियों को अलग-अलग संग्रहित किया जायें, तत्पश्चात वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जायें। मतदाता को एक वोट जिला परिषद् सदस्य के लिये तथा एक वोट पंचायत समिति सदस्य के लिये डालना होगा। इसी प्रकार यदि

सरपंच/पंच का निर्वाचन EVM से कराया जाता है तो मतदाता को एक वोट सरपंच के लिये तथा एक वोट पंच के लिए डालना होगा। मतदाता इस प्रकार दोनों पदों के लिए एक-एक वोट डाल सकता है, दोनों पदों में से किसी एक पद के लिये वोट डाल सकता है अथवा दोनों पदों के लिये मत नहीं डाले ऐसी भी स्थिति हो सकती है। जब मतदाता निर्धारित मतों से कम संख्या में मत डालता है, तो उसे आंशिक मतदान कहते हैं। आंशिक मतदान करने के लिये मतदाता द्वितीय बैलेट यूनिट पर स्थित END बटन का उपयोग करेगा। ऐसे आंशिक मतों को कंट्रोल यूनिट UNDER VOTE के रूप में संग्रहित (Store) करती एवं दर्शाती हैं।

यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ईवीएम से सम्पन्न किया जा रहा है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। किन्तु केवल सरपंच पद का निर्वाचन ईवीएम से सम्पन्न कराया जाता है तो मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीन की तरह उपयोग में लाई जायेगी तथा सभी बैलेट यूनिट का END बटन मास्क किया जायेगा।

6. कंट्रोल यूनिट का 'BALLOT' बटन दबाएं, इससे सीयू पर 'Busy' लैंप लाल हो जायेगा एवं बीयू पर 'Ready' लैंप हरा हो जायेगा जो इस बात का संकेत है कि मतदाता अपना वोट डाल (Record कर) सकता है। बीयू पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देता है तो संबंधित उम्मीदवारों के बटन के समीप स्थित एरो लैंप लाल जलता है एवं छोटी बीप की आवाज आती है तथा मतदान पूरा होने के बाद सीयू स्थित 'Busy' लैम्प, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाइट एवं बीयू पर 'Ready' लैंप और बीप साउंड बंद हो जाएगा तथा लम्बी बीप की आवाज आयेगी। मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है।

चेतावनी:— पहले या दूसरे मतदाता के मतदान पूरा होने के बाद मशीन द्वारा Total बटन दबाकर कुल मतदाता की संख्या की जांच कर लें।

7. बिन्दु संख्या 4 से 6 में वर्णित प्रक्रिया को प्रत्येक मतदाता के लिए दोहराएं क्योंकि हर बार अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान करने के लिए केवल एक मतदाता मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाता उसी क्रम में जाए, जिसमें उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है। यह भी सुनिश्चित करें कि 'BALLOT' बटन को तभी दबाया जाए, जब पहले के मतदाता ने अपना मतदान पूरा कर लिया हो और मतदान प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाए (मतदान पूरा करने पर लम्बी बीप का संकेत आता है)।
8. किसी भी समय अगर मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाया जाना है, तो 'TOTAL' बटन को दबाया जाना चाहिए। प्रदर्शन पैनल तब कुल मतदाताओं को दिखाएगा, जिन्होंने उस समय तक मतदान किया है। याद रखें कि 'TOTAL' बटन को केवल तभी दबाया जाना है जब 'Busy' लैंप की बत्ती बंद हो। अन्त में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में कुल मतदाताओं की संख्याओं का मिलान कर लें।

नोट:— अनावश्यक रूप से Close बटन की कैप को न खोलें। बीप ध्वनी के समय सीयू को स्विच ऑफ न करें।

मतदान समाप्ति की प्रक्रिया

निर्धारित मतदान समाप्ति के समय वोटिंग लाईन में खड़े समस्त मतदाताओं को वोट दिलवाने के पश्चात ईवीएम को बंद करना होगा, ताकि मशीन में आगे मतदान संभव न हो। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया करें:-

1. 'CLOSE' बटन पर प्लास्टिक/रबर कैप हटाएं और 'CLOSE' बटन दबाएं।
2. डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाली कुल मतदाताओं की संख्या को निर्धारित प्ररूप-14 में नोट करें।
3. 'CLOSE' बटन के ऊपर प्लास्टिक/रबर कैप लगायें।
4. कंट्रोल यूनिट का रियर कम्पार्टमेंट खोलें।
5. सीयू में पॉवर स्विच को बंद (off) करें।
6. इंटरफेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर सीयू से बीयू को डिस्कनेक्ट करें।
7. सीयू के पीछे के खण्ड को बंद करें।
8. बीयू एवं सीयू को संबंधित केरिंग केसेज में वापिस रखें।
9. केरिंग केसेज में दोनों ओर लगे दो छिद्रों के माध्यम से धागा एड्रेस टैग के साथ सील करें।
10. निर्धारित टैग पर मतदान केंद्र के विवरण एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर एवं पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। सील करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष मोमबत्ती की लौ केरिंग केसेज के संपर्क में न आये। पिघला हुआ मोम मशीन के किसी भी हिस्से पर न गिरे।
11. अब ईवीएम मतदान केंद्र से भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है।

अध्याय-6
पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना
(M-2/M-3/MK-4/MK-5 एवं पुराना मॉडल BEL/ECIL द्वारा निर्मित)

मतदान पूर्व की तैयारी

मतदान केंद्र पर ईवीएम को वास्तविक उपयोग में लाने से पहले कुछ और तैयारी आवश्यक है। इन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पारदर्शिता एवं निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। EVM की तैयारी के बारे में नीचे समझाया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मॉडल की मशीनों से निर्वाचन में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग CU एवं BU का उपयोग किया जायेगा।

बैलेट यूनिट (BU)

प्राप्त बैलेट यूनिटें रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही सभी प्रकार से तैयार हैं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में प्लग करेगा एवं यह भी निरीक्षण करेगा कि –

1. दोनों चुनावों के लिये पृथक-पृथक बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट काम आयेगी।
2. बैलेट पेपर, बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है।
3. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऊपर और नीचे की ओर दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं।
4. यदि जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक है तो काम आने वाली बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच की स्थिति '1' पर निर्धारित होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक है तो बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप स्लाईड स्विच की स्थिति 2, 3, 4 पर निर्धारित होगी।

कंट्रोल यूनिट (CU)

1. पीठासीन अधिकारी को यह देखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार के खंड (Candidate Section) के बांयी ओर लगाई गई मुहर सही स्थिति में है।
2. इसके बाद, सीयू के पीछे के ढक्कन को खोलना चाहिए और सीयू के पिछले हिस्से में फीमेल कनेक्टर से बीयू के मेल कनेक्टर को प्लग करके कनेक्ट करना चाहिए एवं दूसरी बीयू की केबल को पहली बीयू के पीछे की तरफ कनेक्टर से जोड़ा जाना चाहिये। अधिक बीयू का उपयोग हो तो इसी प्रकार कनेक्ट की जानी चाहिए।
3. इसके बाद, परिणाम अनुभाग (Result Section) की बांयी ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर परिणाम अनुभाग का कवर खोलना चाहिए।
4. इसके बाद, परिणाम अनुभाग के आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT और PRINT बटन के ऊपर) दो छिद्रों के माध्यम से अंगूठा और एक उंगली डालकर थोड़ा अंदर की ओर दबाकर खोला जाना चाहिए।
(नोट :- आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिये)
5. सीयू के पीछे का ढक्कन खोलने के बाद स्विच को 'ON' करें। यह बीप साउंड देता है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ON' लैम्प, पर GREEN बत्ती जलती है। प्रारंभिक प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें।
6. अब 'CLEAR' बटन दबाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी काउंट शून्य पर सेट है 'CLEAR' बटन दबाने पर क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू होता है। यह ऑपरेशन "बीप" ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकंड लेता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, प्रदर्शन

पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू कर देगा (यदि चुनाव के लिये 9 उम्मीदवार मैदान में हो तो)।

M-2/M-3 मॉडल की मशीन

DELETING
POLLED VOTES

CANDIDATES
9

TOTAL POLLED
VOTES-0

CANDIDATE - 1
VOTES - 0

-
-

- यह प्रदर्शन अंतिम कैंडिडेट एवं अंतिम पदों तक जारी रहेगा

CANDIDATE - 9
VOTES - 0

END

पुराने मॉडल की मशीनों
में

cd	9
----	---

to	0
----	---

01	0
----	---

02	0
----	---

03	0
----	---

04	0
----	---

05	0
----	---

06	0
----	---

07	0
----	---

08	0
----	---

09	0
----	---

End

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

DELETING POLLED VOTE

CANDIDATES 9

TOTAL POLLED VOTES-0

CANDIDATE-01 VOTES - 0

CANDIDATE-02 VOTES - 0

CANDIDATE-03 VOTES -0

CANDIDATE-04 VOTES - 0

CANDIDATE-05 VOTES - 0

CANDIDATE-06 VOTES - 0

CANDIDATE-07 VOTES - 0

CANDIDATE-08 VOTES - 0

CANDIDATE-09 VOTES - 0

End

नोट:- (1) क्लीयर ऑपरेशन के दौरान कन्ट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ नहीं करें। डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होने वाले समस्त संदेशों के अन्त में ही कन्ट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें।

(2) "Clear" बटन दबाने के पश्चात यदि डिस्प्ले सेक्शन पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रदर्शित नहीं होती तो इसका तात्पर्य है कि मशीन पर "Clear" करने से पूर्व किये जाने वाले ऑपरेशन पूर्ण नहीं किये गये हैं। मशीन से पूर्व का डाटा हटाने के लिए सुनिश्चित करे कि बीयू एवं सीयू ठीक प्रकार से कनेक्ट है। अब "Close" बटन दबाये, इसके बाद "Result" बटन दबाये। इन बटनों के दबाने के पश्चात डिस्प्ले पैनल पर क्रमानुसार प्रदर्शित सूचना समाप्त होने के पश्चात अब "Clear" बटन दबाये, इससे डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रदर्शित होगी।

उपरोक्त सूचना का प्रदर्शन मतदान बूथ पर मौजूद मतदान अभिकर्ता को यह दर्शाने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।

MOCK POLL प्रक्रिया पूर्ण करना ।

यह प्रदर्शित करने के बाद कि कोई वोट पहले से मशीन में दर्ज नहीं हैं, कुछ वोटों को रिकॉर्ड करके एक मॉकपॉल आयोजित किया जाना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करें।

1. मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्यों (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता/मतदान दल) को वोट डालने के लिये जिला परिषद् सदस्य के लिये पीली एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली मतदाता पर्ची जारी की जायें।
यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ईवीएम से सम्पन्न किया जा रहा है तो सरपंच पद के लिए सफेद पर्ची एवं पंच पद के लिए गुलाबी पर्ची जारी की जायें।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को क्रम से अलग-अलग संग्रहित किया जायें, तत्पश्चात मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जायें। मतदाता को एक वोट जिला परिषद् सदस्य के लिये तथा एक वोट पंचायत समिति सदस्य के लिये डालना होगा। इसी प्रकार एक वोट सरपंच पद के लिए तथा एक वोट पंच पद के लिए डालना होगा।
3. कंट्रोल यूनिट के बैलट सेक्शन पर 'BALLOT' बटन दबाएं 'BALLOT' बटन दबाने पर, डिस्प्ले सेक्शन पर लाल रंग का 'Busy' लैम्प जलेगा इसके साथ ही BU पर हरी बत्ती जलेगी।
4. मॉकपॉल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के लिए कहें, तथा मॉकपॉल वोटर द्वारा किस-किस अभ्यर्थी को मत डाला गया है, उसे अलग-अलग कागज पर जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए परिशिष्ट-19 के अनुसार तैयार करें। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के लिए भी परिशिष्ट-19 के अनुसार मॉकपॉल प्रमाण-पत्र तैयार किया जायें।
5. संबंधित बीयू पर उम्मीदवार का बटन दबाने से संबंधित तीर लैंप लाल जलता है एवं लम्बी बीप की आवाज आती है।
6. मतदान पूरा होने के बाद, BU में 'Ready' हरी बत्ती, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाल बत्ती और बीप साउंड एक साथ बंद हो जाएगी और मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है। कुछ सैकण्ड के बाद CU की 'Busy' लाल बत्ती भी बंद हो जाएगी।
7. अन्य मॉकपॉल वोटरों द्वारा मतदान के लिए पूर्ववर्ती बिन्दु संख्या 1 से 6 में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में इस प्रकार किये गये मॉकपॉल का पूर्ण लेखा, परिशिष्ट 19 के अनुसार तैयार करें।

8. मॉकपॉल के अंत में CU पर स्थित 'Close' बटन दबाएं। 'Close' बटन दबाने से डिस्प्ले पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से दिखाता है। (यदि चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार हैं और मॉकपॉल में 54 मत डाले गये हों तो)

M-2/M-3 मॉडल की मशीनों में

CLOSING

DTE 12-1-2007
TME 07-50-56

SL No H 00003

CANDIDATES
9

TOTAL POLLED
VOTES 54

POLL CLOSED

पुराने मॉडल की मशीनें है
तो

NP	1
----	---

cd	9
----	---

Total	54
-------	----

End

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

TOTAL POLLED
VOTES 54

CLOSING

DTE 12-1-2026
TME 07-50-56

SL No H 00003

CANDIDATES
9

POLL CLOSED

नोट:- (1) समय की उपलब्धता के आधार पर मॉकपॉल में अधिक/कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1-1 मत से मॉकपॉल किया जाना अनिवार्य है।

9. अब CU पर स्थित 'RESULT' बटन दबाएं। इसके दबाने पर डिस्प्ले पैनल क्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी दिखाना शुरू कर देगा (यदि 9 उम्मीदवार हैं एवं मॉकपॉल में 54 मत पड़े हैं एवं सभी उम्मीदवारों को 6-6 मत दिये गये हों तो)

M-2/M-3 मॉडल की मशीनों में
COMPUTING RESULT
POLL RESULT PDT 01-02-07
PST 06-01-06 PET 06-15-01
SL NO-H00003
CANDIDATES-9
TOTAL POLLED VOTES -54
CANDIDATE-01 VOTES -6
CANDIDATE-02 VOTES -6

CANDIDATE-09 VOTES -6
END

पुराने मॉडल की मशीनें
यदि है, तो

cd	9
----	---

to	54
----	----

01	6
----	---

02	6
----	---

03	6
----	---

04	6
----	---

05	6
----	---

06	6
----	---

07	6
----	---

08	6
----	---

09	6
----	---

End	
-----	--

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

COMPUTING RESULT

CANDIDATES 9

TOTAL POLLED VOTES-54

CANDIDATE-01 VOTES -6

CANDIDATE-02 VOTES -6

CANDIDATE-03 VOTES -6

CANDIDATE-04 VOTES -6

CANDIDATE-05 VOTES -6

CANDIDATE-06 VOTES -6

CANDIDATE-07 VOTES -6

CANDIDATE-08 VOTES -6

CANDIDATE-09 VOTES -6

10. दोनों चुनावों के लिये सीयू पर प्रदर्शित मॉकपॉल परिणाम तथा परिशिष्ट-19 के अनुसार अलग-अलग तैयार किये गये लेखे से मिलान कर परिणाम के सही होने की पुष्टि करें, तथा अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं परिणाम प्रदर्शित कर संतुष्ट करें।
11. अब मॉकपॉल के दौरान दर्ज किए गए वोटों के खाते को साफ (Clear) करने के लिए 'CLEAR' बटन दबाएं। इस बटन के दबाने से मशीन में संग्रहित कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या को 0 कर देता है।

चेतावनी:- मॉकपॉल वोटों को 'CLEAR' करना नहीं भूलें।

12. 'CLEAR' बटन दबाने के पश्चात् डिस्प्ले सेक्शन पर END प्रदर्शित होने के बाद, कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। Clear बटन दबाने से डिस्प्ले सेक्शन से प्रदर्शित होने वाली जानकारी इस अध्याय के प्रारम्भ में बताई हुई है।
13. पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार परिशिष्ट 19 को परिशिष्ट-7 के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु संख्या 25 अन्य महत्वपूर्ण घटना के विवरण में मॉकपॉल के विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा।

चेतावनी:- परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें।

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना

इस अध्याय में पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिप सील प्रक्रिया को समझाने के लिये ECIL द्वारा निर्मित MPSV मशीन के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि मतदान बूथ पर वास्तव में BEL/ECIL द्वारा निर्मित M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन को पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिप सील द्वारा सील करनी होगी।

ECIL द्वारा निर्मित MPSV मशीन एवं BEL/ECIL द्वारा निर्मित M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन की पिंक पेपर सील एवं स्ट्रिप सील प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है अतः सुविधा के लिये यहां सील प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए MPSV मशीन के चित्रों का प्रयोग किया गया है।

पिंक पेपर सील विशेष रूप से सुरक्षा कागज पर मुद्रित एवं क्रमांकित होती हैं। इस पेपर सील को RESULT SECTION के आन्तरिक खण्ड के दरवाजे के अन्दर की तरफ फ्रेम में निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है। सील को फ्रेम में मजबूती से लगाने के लिए एक पतली कार्डबोर्ड पैडिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस सील को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसकी पिंक सतह को पीछे की ओर से और सफेद सतह को बाहरी तरफ के छिद्र से देखा जा सके। सील को ठीक से लगाने के बाद, आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि इस पिंक पेपर सील के खुले छोर आन्तरिक खण्ड के दरवाजे से बाहर की ओर निकले हुए एवं ऊपरी खुले सिरे को मोड़ने पर सील की क्र.सं स्पष्ट दिखती हुई रहे। पेपर सील की पिंक सतह पर पीठासीन अधिकारी को सील के सीरियल नंबर के नीचे अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर देना चाहियें। इस सील पर उपस्थित एवं इच्छुक उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवा लेने चाहियें, उपयोग किए गए पेपर सील की क्रम संख्या नोट करें और साथ ही उपस्थित उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट करावे।



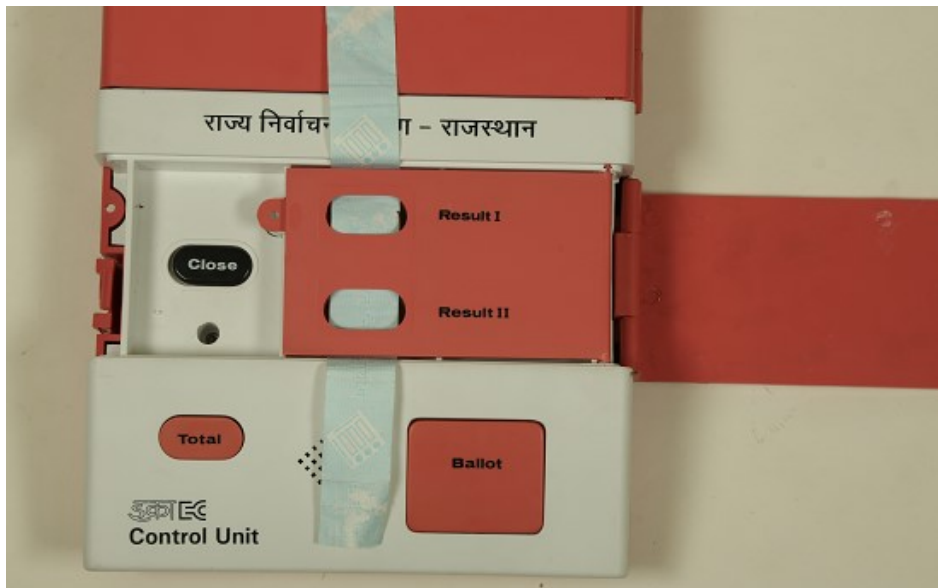
पिंक पेपर सील की फिक्सिंग

अब परिणाम खण्ड के इस आंतरिक दरवाजे को विशेष टैग द्वारा सील किया जाएगा। इसके लिए आंतरिक खण्ड के दरवाजे में दिए गए दो छिद्रों तथा विशेष टैग में दिए गये छिद्र से होकर हरे ट्बाईन धागे को निकालकर, गांठ बांधते हुए चपड़ी द्वारा सील किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखें कि खराब या टूटा हुआ विशेष टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि टैग सीलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।

विशेष टैग पर सीलिंग से पूर्व कंट्रोल यूनिट की क्रम सं. लिखकर, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ता भी इस विशेष टैग पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी अनुमति देंगे।

सील करने के बाद, 'CLOSE' बटन के पास विशेष टैग को इस प्रकार समायोजित करें जिससे कि ऑपरेशन के लिए 'CLOSE' बटन आसानी से उपलब्ध हो।



पिंक पेपर सील से Result Section के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को सील करना

RESULTSECTION के बाहरी आवरण को बंद करना

इस अनुभाग को सील करने के लिए RESULT SECTION के बाहरी ढक्कन को दबा कर बंद करें। बाहरी आवरण को दबाने के बाद RESULT कवर के बाहरी आवरण के बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकाल कर एवं एग्रेस टैंग पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ सील किया जाना चाहिए।



Result अनुभाग को सील करना

पिंक पेपर सील और एबीसीडी स्ट्रिप सील करने की प्रक्रिया



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

अब पिंक पेपर सील एवं ABCD हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकने वाली ABCD लंबी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें। स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएं। सील करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं:-

स्टेप 1

पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग 'A' को रखे। 'A' वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भागपर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 1

स्टेप 2:

अब स्ट्रिप सील के 'B' के ऊपर के वैक्स पेपर को हटाकर इसे बांयी ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 2

स्टेप 3:

अब स्ट्रिप सील का 'C' भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। 'C' का वेक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस 'C' भाग पर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 3

स्टेप 4:

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बांधी ओर से, सावधानी पूर्वक, Close बटन की ऊपरी प्लास्टिक/रबर केप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरी सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 4

स्टेप 5:

अब 'D' भाग के वेक्स पेपर को हटाकर उसे पिंक पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपका दें कि सीरियल नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। (चित्रानुसार)।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 5

वास्तविक मतदान (Actual Poll) प्रक्रिया

1. दोनों बैलेट यूनिटों को अलग-अलग जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये निर्धारित मतदान प्रकोष्ठ में लगावें। इसी प्रकार यदि पंच एवं सरपंच का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जा रहा है तो इनके लिए भी निर्धारित मतदान प्रकोष्ठ में बैलेट यूनिट लगाई जायेगी। यह प्रकोष्ठ पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होने चाहिए जहां नियंत्रण इकाई से इसे संचालित किया जाएगा। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए, मतदान प्रकोष्ठ इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई को ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए।
नोट:— इंटरकनेक्टिंग केबल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि इससे मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें इस पर चलना ना पड़े। इसके अलावा, केबल को कंट्रोल यूनिट की तरफ और साथ ही बैलेट यूनिट की तरफ टेबल की टांग से बांधा जा सकता है।
2. अब EVM (BU & CU) वास्तविक वोटिंग में उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें।
3. 'TOTAL' बटन दबाएँ और सुनिश्चित करें कि कुल प्रदर्शित मतदाता शून्य है। निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें। मतदाता की पहचान के बाद उसकी बायीं तर्जनी के अग्रभाग पर अमिट स्याही, मतदाता के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के पश्चात मतदाता को मतदान की अनुमति दी जायें।

4. मतदाता को वोट डालने के लिये जिला परिषद् सदस्य के लिये पीली एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली मतदाता पर्ची जारी की जायें।

यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ईवीएम से सम्पन्न किया जा रहा है तो सरपंच पद के लिए सफेद पर्ची एवं पंच पद के लिए गुलाबी पर्ची जारी की जायें।

5. पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार उपयोग की गई पर्चियों को अलग-अलग संग्रहित किया जायें, तत्पश्चात वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जायें। वोटर को एक वोट जिला परिषद् सदस्य के लिये तथा एक वोट पंचायत समिति सदस्य के लिये डालना होगा। मतदाता दोनों पदों के लिये एक-एक वोट डाल सकता है।

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव में भी मतदाता एक वोट पंच पद के लिये तथा एक वोट सरपंच पद के लिये डालेगा। मतदाता दोनों पदों के लिये एक-एक वोट डाल सकता है।

6. कंट्रोल यूनिट का 'BALLOT' बटन दबाएं, इससे सीयू पर 'Busy' लैंप लाल हो जायेगा एवं बीयू पर 'Ready' लैंप हरा हो जायेगा जो इस बात का संकेत है कि मतदाता अपना वोट डाल (Record कर) सकता है। बीयू पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देता है तो संबंधित उम्मीदवारों के बटन के समीप स्थित एरो लैंप लाल जलता है एवं लम्बी बीप की आवाज आती है, मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है।

चेतावनी:- पहले या दूसरे मतदाता के मतदान पूरा होने के बाद मशीन द्वारा Total बटन दबाकर कुल मतदाता की संख्या की जांच कर लें।

7. बिन्दु संख्या 4 से 6 में वर्णित प्रक्रिया को प्रत्येक मतदाता के लिए दोहराएं क्योंकि हर बार अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान करने के लिए केवल एक मतदाता मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाता उसी क्रम में जाए, जिसमें उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है। यह भी सुनिश्चित करें कि 'BALLOT' बटन को तभी दबाया जाए, जब पहले के मतदाता ने अपना मतदान पूरा कर लिया हो और मतदान प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाए (मतदान पूरा करने पर लम्बी बीप का संकेत आता है)।

8. किसी भी समय अगर मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाया जाना है, तो 'TOTAL' बटन को दबाया जाना चाहिए। प्रदर्शन पैनल तब कुल मतदाताओं को दिखाएगा, जिन्होंने उस समय तक मतदान किया है। याद रखें कि 'TOTAL' बटन को केवल तभी दबाया जाना है जब 'Busy' लैंप की बत्ती बंद हो। अन्त में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में कुल मतदाताओं की संख्याओं का मिलान कर लें।

नोट:- अनावश्यक रूप से Close बटन की कैप को न खोलें। बीप ध्वनी के समय सीयू को स्विच ऑफ न करें।

मतदान समाप्ति की प्रक्रिया

निर्धारित मतदान समाप्ति के समय वोटिंग लाईन में खड़े समस्त मतदाताओं को वोट डलवाने के पश्चात ईवीएम को बंद करना होगा, ताकि मशीन में आगे मतदान संभव न हो। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायें।

1. 'CLOSE' बटन पर प्लास्टिक/रबर कैप हटाएं और 'CLOSE' बटन दबाएं।
2. डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाली कुल मतदाताओं की संख्या को निर्धारित प्ररूप-14 में नोट करें।
3. 'CLOSE' बटन के ऊपर प्लास्टिक/रबर कैप लगायें।
4. कंट्रोल यूनिट का रियर कम्पार्टमेंट खोलें।
5. सीयू में पॉवर स्विच को बंद (off) करें।
6. इंटरफेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर सीयू से बीयू को डिस्कनेक्ट करें।
7. सीयू के पीछे के खण्ड को बंद करें।
8. बीयू एवं सीयू को संबंधित केरिंग केसेज में वापिस रखें।
9. केरिंग केसेज में दोनों ओर लगे दो छिद्रों के माध्यम से धागा एड्रेस टैग के साथ सील करें।
10. निर्धारित टैग पर मतदान केंद्र के विवरण एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर एवं पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। सील करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए कि मोमबत्ती की लौ केरिंग केसेज के संपर्क में न आये। पिघला हुआ मोम मशीन के किसी भी हिस्से पर न गिरे।
11. अब ईवीएम मतदान केंद्र से भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है।

अध्याय-7

रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच चुनाव) के कर्तव्य

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, के नियम 23 (परिशिष्ट-4) में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पंच व सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की पंच व सरपंच के चुनाव की सम्पूर्ण व्यवस्था देख-रेख एवं उपसरपंच का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। नियम 65 (परिशिष्ट-4 के अध्याय-9) के अनुसार उपसरपंच चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी भी वही है जो पंच/सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी है। **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान से निर्धारित दिवसों पूर्व की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, तिथि एवं समय निर्धारण के अनुरूप उक्त रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर मतदान तिथि से कुछ दिन पूर्व पहुंचेगा।

- (i) ग्राम पंचायत पर पहुंचने के उपरान्त छपे हुए लेबल नियम 30(3) के अंतर्गत पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपका कर प्रदर्शित करेगा।
- (ii) पंच/सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A), प्ररूप-4घ (परिशिष्ट 6-B), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय घोषणा/अण्डर टेकिंग (परिशिष्ट 6-C) उपाबन्ध-I-B (केवल सरपंच के लिए परिशिष्ट 6-D) तथा उम्मीदवार के सम्बन्ध में घोषणा/सूचना फार्म (परिशिष्ट 6-E) यह सैट निःशुल्क उपलब्ध करवाना है।
- (iii) स्वयं उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्ररूप (प्ररूप-4, प्ररूप-4घ, शौचालय अण्डर टेकिंग, उपाबन्ध-I-B (केवल सरपंच के लिए) तथा उम्मीदवार सूचना फार्म) में नामनिर्देशन प्राप्त करना।
- (iv) सरपंच पद के निर्वाचन में उपाबन्ध-I-B में दिये गये प्ररूप में 50/- रुपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर (नोन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर) पर नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष सम्यक् रूप से सपथित होना चाहिए।
- (v) सरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्रों के साथ निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद प्राप्त करना। (वार्ड पंच के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि का कोई प्रावधान नहीं है)
- (vi) चुनाव लड़ने के लिये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं अपात्रता को ध्यान रखकर नामनिर्देशन पत्रों की जांच करना।
- (vii) स्वयं उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत नाम वापसी प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट-21) प्राप्त करना।
- (viii) नाम वापसी पश्चात् पंच व सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्ररूप-5 तैयार करना एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन करना।
- (ix) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन करना।

उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए अभ्यर्थियों की अलग-अलग अंतिम सूची प्ररूप-5 जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को उसी दिन प्रस्तुत की जावेगी, तथा इस अंतिम सूची के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा। पंच/सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया नीचे समझाई गई है।

1. **नामनिर्देशन के कानूनी प्रावधान:-** पंच एवं सरपंच चुनाव से संबंधित नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान निम्नांकित है।

- (i) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19, 19 ख, 20, 21 एवं 22 (परिशिष्ट-3)
- (ii) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 से 54, 56, 69 से 76 (परिशिष्ट-4)

आप उक्त प्रावधानों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें तथा अपने संशयों को रवाना होने से पहले प्रशिक्षण देने वालों से चर्चा कर दूर कर लें।

2. **नामनिर्देशन के निर्धारित फार्म वितरण:-** पंच एवं सरपंच के नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A), 4घ (परिशिष्ट 6-B), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय के सम्बन्ध में घोषणा/अण्डर टेकिंग, (परिशिष्ट 6-C) उपाबन्ध-I-B (केवल सरपंच के निर्वाचनों में) तथा उम्मीदवार सूचना फार्म (परिशिष्ट 6-E) का मुद्रित फार्म सैट निःशुल्क नामनिर्देशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके पहुँचने के समय से ही आप नामनिर्देशन पत्रों को वितरण कर सकते हैं ताकि नामनिर्देशन-पत्रों भरने के इच्छुक व्यक्तियों को कठिनाई न रहे।

3. **नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति (नियम 25 से 29):-** आप सरपंच व पंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से लोक सूचना में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान, निर्धारित तारीख व निर्धारित समय पर ही नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करेंगे, उनकी संवीक्षा करेंगे व नाम वापसी के नोटिस (परिशिष्ट-21) प्राप्त करेंगे। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने, संवीक्षा करने एवं अन्य कार्यों के लिए समय का निर्धारण, लोक सूचना द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के द्वारा किया जायेगा। जिसका अलग से विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आपको देंगे। यह अति आवश्यक है कि आप पंच व सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन-पत्र प्राप्ति के लिये निर्धारित दिन को (जैसा भी निर्वाचन कार्यक्रम जो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से आपको मिले, में अंकित) लोक सूचना में निर्दिष्ट स्थान (गांव व भवन) में उपस्थित रहें।

4. **पंच, सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की पात्रतायें (धारा 19 के अन्तर्गत) :-**

- (i.) **मतदाता के रूप में पात्रता:-** पंच व सरपंच पद चुनाव के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी पंचायत क्षेत्र (पंचायत सर्किल) के किसी वार्ड का मतदाता होना चाहिये जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, यह जरूरी नहीं है कि किसी वार्ड से पंच पद के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी वार्ड का मतदाता हो। उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत भगवानपुर के वार्ड नं. 5 की मतदाता सूची में अंकित मतदाता उसी पंचायत क्षेत्र के वार्ड नं.-8 से भी पंच पद का चुनाव लड़ सकता है व सरपंच पद का चुनाव भी लड़ सकता है।

किन्तु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए जो वार्ड या सरपंच पद आरक्षित है उसमें उसी वर्ग का मतदाता चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए वह वार्ड या सरपंच पद आरक्षित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.14 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक मतदाता को भी पात्र माना जाये। इसके साथ ही जो वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है उसमें कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो वार्ड या सरपंच का पद आरक्षित नहीं किया हुआ है उसके लिये कोई भी जाति/वर्ग या महिला/पुरुष चुनाव लड़ सकता है।

- (ii.) **शैक्षणिक योग्यता:-** पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 से शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं। अतः अब पंचायतीराज

संस्थाओं के चुनावों में किसी भी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(iii.) **उम्र:**— जो मतदाता नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा के दिन 21 साल की उम्र का हो गया है वह पंच, सरपंच चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची में उम्र केवल अनुमानित होती है। अतः इस सूची में अंकित उम्र नामनिर्देशन हेतु प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। नामनिर्देशन भरने की तारीख को जो ठीक उम्र होगी उसे माना जायेगा। यदि मतदाता सूची में 1-1-2009 को अनुमानित आयु 21 साल लिखी है पर उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्र के अनुसार उम्र नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख, को 20 वर्ष 10 महिने होती है तो वह पंच व सरपंच पद के लिये योग्य नहीं माना जायेगा। यदि ऐसा तथ्य स्पष्ट हो जाये तो उसका नामनिर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। मतदान के समय मतदाता सूची में अंकित उम्र को मताधिकार के लिये कोई चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन उम्र का प्रभाव पात्रता पर पड़ता है तो चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की इस उम्र को नामनिर्देशन पत्र की जांच के समय आक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि नामनिर्देशन पत्र में वास्तविक या असली उम्र लिखी जाती है, अनुमानित नहीं।

(iv.) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 20 (परिशिष्ट-3) के अंतर्गत एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ सदस्यता रखने पर तो रोक है, लेकिन चुनाव लड़ने पर नहीं है।

(v.) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 ख (परिशिष्ट-3) के अन्तर्गत किसी एक ही पंचायती राज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है, अर्थात् कोई व्यक्ति—

(क) पंच निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

(ख) यदि सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा है तो पंच के लिये चुनाव नहीं लड़ सकता।

(ग) पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों से और जिला परिषद सदस्य निर्वाचन की स्थिति में एक से अधिक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

नोट:— यदि कोई व्यक्ति किसी एक पंचायती राज संस्था में एक से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करता है लेकिन वह अभ्यर्थिता वापिसी के निर्धारित समय के भीतर उस संस्था में एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेगा। इस प्रकार अधिक सीटों पर नामांकन दाखिल करने पर उसका नामांकन संवीक्षा के समय तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन नाम वापिसी के निर्धारित समय बाद किसी भी सीट से उसे निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं माना जायेगा।

5. **चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिये अपात्रतायें:**— राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 (परिशिष्ट-3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अयोग्यताएँ धारण करने वाले व्यक्ति पंच व सरपंच चुनाव लड़ने के अयोग्य समझे जायेंगे।

(i.) राजस्थान विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये जो व्यक्ति अयोग्य है वह पंच व सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, लेकिन जहां विधानसभा सदस्य का

चुनाव लड़ने के लिये कम से कम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है, वहां पंच सरपंच के लिये उम्र 21 वर्ष होना ही पर्याप्त है [धारा 19 का खण्ड (क)]। राजस्थान विधानसभा सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिये पात्रताएं संविधान के अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8-क, धारा 9, धारा 9-क, धारा-10 एवं धारा-10 क के प्रावधानों में बताई गई है।

- (ii.) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला, किसी सक्षम न्यायालय से विकृतचित घोषित व्यक्ति, अनुन्मोचित, दिवालिया एवं ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, या जिसने विदेशी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर ली हो या वह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आशक्ति को स्वीकार करता है। यदि विद्यमान किसी कानून के अधीन किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया हुआ है, तो वह संबंधित व्यक्ति अपात्र होगा (अनुच्छेद 191)। राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता- निराकरण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता आदि के पद अनुच्छेद 191 के प्रावधानों में बताये गये लाभ के पद में शामिल नहीं हैं।
- (iii.) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) में वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति, यदि उसे केवल जुर्माने से दण्डित किया गया है तो वह व्यक्ति ऐसी दोषसिद्ध तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिये अपात्र होगा और यदि उसे कारावास की सजा सुनाई गयी है तो वह दोषसिद्ध घोषित होने की तिथि से कारावास से मुक्त होने के बाद की 6 वर्ष अवधि तक अपात्र होगा। 1951 के उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में बताये गये अपराधों में यदि 6 माह या अधिक की सजा होती है या उपधारा (1) व (2) में वर्णित अपराधों से भिन्न किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गयी हो तो दोषसिद्ध होने की तिथि से अपात्र होगा तथा कारावास से मुक्ति के बाद 6 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना गया है। उक्त धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) के किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की तारीख से ही अयोग्यता मान ली जायेगी, भले ही दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो अथवा दोषसिद्ध व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ हो तब भी उसकी कालावधि पूरी होने तक आपात्रता दूर नहीं मानी जायेगी।
- (iv.) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क, 9 एवं 10 क के अन्तर्गत अयोग्य घोषित किये गये व्यक्तियों की सूची जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होती है, की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रति आपके संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों के संबंध में यदि कोई हो, तो सामग्री के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त हो जायेगी।
यदि उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में आपको कोई शंका हो तो आप प्रशिक्षण के समय उसे दूर कर लें।
- (v.) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के खण्ड (कक) तथा परंतुक (ik) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश पारित किये जाने के छः वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जायेगा।
- (vi.) उक्त अधिनियम की धारा 19 के संशोधित खण्ड (ख) के अनुसार किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय या किसी निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित है, के अधीन कोई व्यक्ति वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारित करता है तो वह चुनाव लड़ने के लिये अपात्र होगा।

- (vii.) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने के बाद वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जायेगा [धारा 19(ट)]। नैतिक अधमता वाले किसी दुराचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत (dismiss) किया हुआ व्यक्ति और लोक सेवा में नियोजन के लिये अयोग्य घोषित किया व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19(ग)]। इसी प्रकार किसी अपराध के लिये किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति जिसे 6 माह या अधिक की सजा से दण्डित किया गया है और ऐसी सजा बाद में उलट न दी गयी हो अथवा उसमें छूट नहीं दी गयी हो अथवा अपराधी को माफ नहीं कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19 (छ)]।

परन्तु पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा 19(ग), 19(ट) तथा 19(छ) के उक्त प्रावधानों में बताये गये अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्ति या पदच्युत किया हुआ व्यक्ति उसके दोषसिद्ध या, यथास्थिति, पदच्युत करने के आदेश की तारीख से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये पात्र हो जायेंगा।

नोट:— राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा 19 के खण्ड (ग) (छ) एवं (ट) की अयोग्यता को हटा देने के बावजूद भी यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 8, 8-क, 9, 9-क, 10 या 10-क के अंतर्गत कोई अपात्रता है तो अपात्रता ही मानी जायेगी।

- (viii.) यदि कोई व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की जांच के दिन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथोरिटी) के अधीन पूरे समय का वैतनिक कर्मचारी हो, या पार्ट-टाईम वैतनिक कर्मचारी हो तो वह भी पंच/सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

नोट:—यदि उक्त प्रकार के कर्मचारी चुनावों में नामनिर्देशन पत्रों को भरें तो जांच के समय आप उनसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित उनके त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मांगें। ध्यान रखें की ये आदेश नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख से पहले वाले दिन तक का होना चाहिये, उसी दिन का नहीं। यदि त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं करें तो आप उनका नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दें और उक्त विवरण लिख दें।

- (ix.) यदि उम्मीदवार किसी भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है तो वह भी पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (घ)]।

- (x.) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी ठेके में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार या नियोजक या अपने कर्मचारी के द्वारा कोई भी अंश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, रखता है तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ड)] (धारा 19 का परंतुक (i) भी देखिये)

- (xi.) धारा 19 के खण्ड (छछ) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी अपराध जो पांच वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, उसके विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित कर दिये गये हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिये अपात्र माना जायेगा।

अभ्यर्थियों से उनकी दोषसिद्धि के संबंध में और उसके विरुद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों जिनमें आरोप निर्धारित हो, की सूचना प्रस्तुत करने हेतु घोषणा प्रत्येक अभ्यर्थी को प्ररूप 4 घ (परिशिष्ट-6B) में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि

इस प्ररूप 4-घ में की गयी घोषणा से आपको यह जानकारी मिलती है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध जो 5 वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, के लिये न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसके विरुद्ध संज्ञान ले लिया है जिसमें न्यायालय ने आरोप निर्धारित (विरचित) कर दिये हैं तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिये अपात्र माना जायेगा।

(xii.) शारीरिक अयोग्यता:- अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से पीड़ित है, जो उसे कार्य करने के अयोग्य बनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (च)]।

(xiii.) यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया हो तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (ज)]।

नोट:-यह सूची आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(xiv.) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायत की ओर से या उसके विरुद्ध वकील के रूप में नियुक्त है तो चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ज)]।

नोट:-यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत के पक्ष या विपक्ष में भूतकाल में मुकदमा लड़ा हो या पक्ष में लड़ने के लिये पहिले कभी पारिश्रमिक लिया हो तो वह अब अयोग्य नहीं माना जायेगा। भूतकाल में लिये गये पारिश्रमिक के लिये कोई व्यक्ति अयोग्य करार नहीं किया जा सकेगा।

(xv.) यदि किसी व्यक्ति ने संबंधित पंचायती राज संस्था (पंचायत) द्वारा अधिरोपित किसी भी कर, या फीस की धनराशि को उसके लिये मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो महीने तक नहीं चुकाया है, तो वह व्यक्ति पंच/सरपंच चुनाव लड़ने का अपात्र हो जायेगा [धारा 19 (झ)]।

नोट:-यदि किसी पूर्व पंच, पूर्व सरपंच ने अपने टेलीफोन या चाय पीने के पैसे पंचायत के बार-बार कहने पर भी जमा नहीं कराये हो तो अपात्रता नहीं मानी जायेगी क्योंकि उपरोक्त धनराशि, टैक्स या फीस नहीं मानी जाती।

यदि किसी व्यक्ति ने कर या फीस, नामनिर्देशन पत्र भरने की तारीख से पहले जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य होगा।

(xvi.) **दो से अधिक संतान होना:-** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (ठ) के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन दो से अधिक संतानों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं माना जायेगा जब तक कि दिनांक 23.4.94 को विद्यमान उसकी संतानों की संख्या (दि. 23.4.94 से दि. 27.11.95 तक की अवधि में पैदा हुयी केवल एक संतान को छोड़कर) में और वृद्धि नहीं हो जाती। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख दिनांक 23.4.94 है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23-4-94 को या उसके बाद जहां किसी दम्पति के किसी पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुये बच्चों की किसी संख्या को एक समझा जायेगा। बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रसित हो। (शब्द दिव्यांगता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी)।

किसी पंचायती राज संस्था के सरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के पद पर रहे हुये किसी व्यक्ति को पंचायती राज संस्था की बकाया राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया हो, और उसने नोटिस की तिथि से दो माह के भीतर उक्त बकाया राशि जमा नहीं कराया हो, उसे नोटिस विधिवत तामिल भी हो गया हो तथा पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने पूर्व ऐसे व्यक्तिक्रमियों (defaulters) की सूची में राज्य सरकार ने उसका नाम शामिल कर सूची कलक्टर को भेजी हो तो वह व्यक्ति अपात्र होगा। लेकिन यदि ऐसा सरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उपप्रधान/ प्रमुख/उपप्रमुख नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व बकाया राशि जमा करा देता है तो वह अपात्र नहीं होगा। [धारा 19(ड) एवं परंतुक (V)]

- (xvii.) अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर भिन्न जाति/वर्ग का व्यक्ति, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। [धारा 19(ड)]
- (xviii.) महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट से अन्य व्यक्ति जो महिला नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है। [धारा 19(ण)]
- (xix.) अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में उस वर्ग से भिन्न जाति/वर्ग की महिला चुनाव नहीं लड़ सकती [धारा 19(त)]।
- (xx.) शैक्षणिक योग्यता के संबंध में धारा 19 के r, s, t clause को राजस्थान पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2019 दिनांक 22 फरवरी 2019 की अधिसूचना से समाप्त कर दिया गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 q इस प्रकार है : —

(q) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो;

स्पष्टीकरण :—

- 1) "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।
- 2) "परिवार के सदस्य" में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।

उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप (परिशिष्ट 6—C) आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों भी दिया जाना है।

नोट:— पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में पंच चुनाव के लिये योग्यताएं/अयोग्यताएं बताई गई हैं, साथ ही उपरोक्त योग्यताएं एवं अयोग्यताएं धारा 26 (1) के अनुसार सरपंच पद के निर्वाचन के लिये भी मानी गई हैं।

6. नामनिर्देशन पत्र प्रारूप 4 (परिशिष्ट 6—A) के साथ और उसके भाग के रूप में दोषसिद्धि, लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों, संतानों एवं सम्पत्ति के ब्योरे की घोषणा प्रारूप 4—घ (परिशिष्ट 6—B) में प्राप्त करना — राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 25 (परिशिष्ट—4) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र प्रारूप—4, प्रारूप—4घ के साथ विधिवत पूर्ति करते हुए और हस्ताक्षरित करते हुए या अंगूठा निशानी लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत

करना आवश्यक है। इस प्ररूप 4घ में निम्नांकित चार बिन्दुओं पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जायेगी।

- (i.) लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरण— ऐसे अपराधों के लिए लंबित आपराधिक प्रकरण जिनमें पांच वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है और जिसमें न्यायालय ने अभ्यर्थी के विरुद्ध आरोप विचरित कर दिये हों,
- (ii.) आपराधिक मामलों में अभ्यर्थी की दोषसिद्धि का विवरण,
- (iii.) अभ्यर्थी की संतानों के संबंध में सूचना,
- (iv.) अभ्यर्थी व उसके पति/पत्नि व आश्रितों की सम्पत्ति का ब्यौरा।

उपरोक्त चार बिन्दुओं के प्रथम तीन बिन्दु अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षण के लिए भी आवश्यक है और उपरोक्त प्रथम तीन बिन्दुओं अर्थात् बिन्दु सं. (i), (ii) एवं (iii) के संबंध में यदि आपको कोई अन्यथा तथ्य ज्ञात होते हैं या कोई आपत्ति पेश होती है तो आप उनकी संक्षिप्त जांच नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय कर सकते हैं ताकि अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण हो सकें, लेकिन उपरोक्त में बिन्दु सं. (iv) अर्थात् सम्पत्ति के ब्यौरे के संबंध में अभ्यर्थी के द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाये उसके संबंध में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सूचना पात्रता परीक्षण के लिए नहीं है केवल आम जनता की जानकारी के लिए है।

जैसा की उपर बताया गया है कि प्ररूप 4—घ में अभ्यर्थी की घोषणा नामनिर्देशन पत्र के साथ ही प्राप्त करना कानूनन आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी प्ररूप 4—घ के बिना प्ररूप 4 अर्थात् नामनिर्देशन पत्र ही प्रस्तुत करता है तो यह अधूरा माना जायेगा। यह आप अभ्यर्थी को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय स्पष्ट बता दें कि वह प्ररूप 4—घ में घोषणा पूर्ण भर कर एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर/अंगूठा निशानी लगाकर नामनिर्देशन पत्र के साथ में प्रस्तुत करें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। यह भी ध्यान रखा जाये कि जो कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति आप से नामनिर्देशन पत्र का फार्म प्राप्त करे तो आप साथ में प्ररूप 4—घ भी उसको आवश्यक रूप से दे साथ ही घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय एवं परिवार के सदस्यों द्वारा खुले में शौच के लिए नहीं जाने के संबंध में घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्ररूप (परिशिष्ट 6—C) भी दें और साथ ही उपाबन्ध—I-B (केवल सरपंच पद के निर्वाचनों के लिए) भी दें, जिसका विवरण आगे दिया गया है।

7. **नामनिर्देशन पत्र के साथ और उसके भाग के रूप में उपाबन्ध—I-B (परिशिष्ट 6—D) में संपत्ति के ब्यौरे, शैक्षणिक योग्यता, देयताओं आदि की सूचना प्राप्त करना:**— राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 5936 दिनांक 12.12.2019 से यह आवश्यक किया है कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को उपाबन्ध—I-B (परिशिष्ट 6—D) में एक शपथ-पत्र रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नामनिर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, शैक्षणिक योग्यता, सम्पत्ति का ब्यौरा (आश्रितों सहित) तथा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की देयताओं का विवरण देना होगा। चूंकि उक्त उपाबन्ध—I-B (केवल सरपंच के लिए) नामनिर्देशन पत्र का भाग माना गया है, अतः कोई अभ्यर्थी यदि उक्त उपाबन्ध—I-B (केवल सरपंच के लिए), नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे नामनिर्देशन पत्र की विहित प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुये नामांकन अस्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपने आदेश से यह प्रावधान किया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में किसी कॉलम को रिक्त छोड़ने पर रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराये जाने के बाद भी कमी की पूर्ति नहीं की जाती है तो संवीक्षा के समय अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी को यह नहीं देखना है कि उपाबन्ध—I-B में वर्णित सूचना सही है या गलत, क्योंकि इन सूचनाओं के आधार पर अपात्रता का निर्धारण नहीं होना है। उक्त उपाबन्ध—I-B (परिशिष्ट 6—D) सर्वसाधारण की सूचनार्थ है। अतः इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी लगायी जायेगी।

8. सरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराना:-

- (i.) वार्ड पंचों के चुनाव के लिये प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरपंच पद के नामनिर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने का प्रावधान रखा गया है जो नियम 56 (परिशिष्ट-4 के अध्याय-5) के उप नियम (3) में बताया गया है। सरपंच का नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 500/- रुपये प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद जमा नहीं की गई हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों की दशा में 250/- रु. की प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद जमा की रसीद नामनिर्देशन पत्र के साथ होना आवश्यक है।
- (ii.) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 250/- रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने की स्थिति में आवश्यक है कि वे जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा सक्षम किये गये अधिकारी के द्वारा जारी किये गये जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र को भी नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न करें। जो सरपंच पद किसी जाति/वर्ग या महिला के लिये आरक्षित नहीं है वहां पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र भरता है और प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 250/- रु. जमा कराता है तो उसे संबंधित जाति/वर्ग का प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (iii.) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र दाखिल करता है तो उसे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना:- जो सरपंच /वार्ड पंच पद यदि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हो तो वहां केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है वहां केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ही आरक्षित है वहां केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को भी पात्र माना जाये। जो सरपंच/वार्ड पंच पद केवल महिलाओं के लिये आरक्षित हैं वहां केवल महिलायें ही चुनाव लड़ सकती हैं।

उपरोक्त स्थितियों में नियम 25(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जिला कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये गये किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र को नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. नामनिर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण:- पंच व सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन के लिये निर्धारित प्ररूप 4 के साथ प्ररूप 4घ, उपाबन्ध-I-B (केवल सरपंच के लिए) एवं क्रियाशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग मय हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित तिथि, निर्धारित समयावधि में, और निर्धारित स्थान पर ही प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग भी साथ में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो इस आशय का मीमो उसे दिया जाये कि संवीक्षा से पूर्व उक्तानुसार घोषणा/अण्डरटेकिंग स्वयं के हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें। उक्त घोषणा/अण्डरटेकिंग के अभाव में

संवीक्षा में नामनिर्देशन पत्र खारिज किया जा सकेगा। पंच-सरपंच चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है।

11. **नामनिर्देशन पत्रों के प्रस्तुतिकरण के बाद की प्रक्रिया:-** पंच/सरपंच चुनाव के लिये नामनिर्देशन पत्रों के प्रस्तुतकर्ता अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्रों की जांच का समय, तारीख और स्थान बता दिया जाये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये नामनिर्देशन पत्र पर अपनी हस्तलिपि से वार्ड का क्रम संख्यांक (जहां के लिये नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है) और संबंधित वार्ड/सरपंच चुनाव का नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक अंकित की जायेगी, और यदि कोई व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के साथ उसकी पहचान करने के लिये उपस्थित हो तो उसका उल्लेख भी नामनिर्देशन पत्र के तृतीय पैरा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कर दिया जाये एवं जिस समय नामनिर्देशन पत्र प्राप्त किया गया है वह समय भी अंकित किया जाये। नामनिर्देशन पत्र की रसीद जो प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A) में उपलब्ध है, को अभ्यर्थी को दे दी जाये।
12. **नामनिर्देशन पत्रों की जांच:-** निम्न कारणों से किसी उम्मीदवार का नामनिर्देशन पत्र राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 27 (परिशिष्ट-4) के अनुसार खारिज किया जा सकेगा।
 - (i.) उम्मीदवार निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है अथवा धारा-19 में उल्लिखित किसी अयोग्यता को धारण करता है।
 - (ii.) उम्मीदवार वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम व मतदाता सूची की क्रम संख्या नामनिर्देशन पत्र में लिखी है।
 - (iii.) उम्मीदवार ने अपना नामनिर्देशन पत्र व्यक्तिशः आपको प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (iv.) नामनिर्देशन पत्र नियमों में दिये गये निर्धारित प्ररूप-4 के अनुसार नहीं है।
 - (v.) नामनिर्देशन पत्र के साथ प्ररूप-4घ प्रस्तुत नहीं किया है।
 - (vi.) उम्मीदवार उस पंचायत का मतदाता नहीं है।
 - (vii.) नामनिर्देशन पत्र के साथ उपाबन्ध-I-B (केवल सरपंच के लिए) प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उपाबन्ध के किन्ही कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया है व स्मरण कराने पर भी उनकी पूर्ति नहीं की गई है। नामनिर्देशन पत्र के साथ कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग (परिशिष्ट 6-C) प्रस्तुत नहीं की है तथा स्मरण कराने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (viii.) नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-4 या प्ररूप 4-घ या उपाबन्ध- I-B (केवल सरपंच के लिए) या कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं हैं या उसके अंगूठे का निशान नहीं है।
 - (ix.) सरपंच निर्वाचन में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा नहीं करायी हो।
 - (x.) यदि कोई पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जिस जाति/वर्ग के लिये आरक्षित है, प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (xi.) यदि कोई पद महिलाओं के लिये आरक्षित है एवं अभ्यर्थी महिला नहीं है।

नोट:- आपका यह भी कर्तव्य होगा कि आप उम्मीदवार से यह जांच कर लें कि:-

- (i.) हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी उसी व्यक्ति का है जिसने नामांकन भरा है। अंगूठा निशानी हो तो आप फार्म लेते समय स्वयं को संतुष्ट कर लें जिससे जांच पर इस आधार पर खारिज नहीं हो। इसी प्रकार उसके नाम के बारे में उसकी मतदाता क्रम संख्या में गलती हो तो उम्मीदवार से उस समय ठीक करवा लें क्योंकि उम्मीदवार का नाम आपके पास उपलब्ध मतदाता सूची में है।
- (ii.) जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ना चाहता है वहीं वार्ड संख्या नामनिर्देशन पत्र में लिखी हुई है। यदि त्रुटि हो तो उसी समय ठीक करवा लें।

- (iii.) यह भी पूछ लें कि पंच पद के लिये चुनाव लड़ रहा है या सरपंच के लिये।
- (iv.) पंच पद के नामनिर्देशन के साथ कोई प्रतिभूति राशि नहीं लेनी है। ना ही उपाबन्ध-1-B में सूचनाएं प्राप्त करनी हैं।
- (v.) उम्मीदवार चूंकि आप ही की पंचायत का मतदाता है अतः किसी प्रविष्टि की प्रमाणीकृत नकल की आवश्यकता नहीं है।
- (vi.) आपके सामने यह ऐतराज उठाया जा सकता है कि अमुक उम्मीदवार का नाम दूसरी पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में भी है तथा वहां की प्रमाणीकृत सूची भी आक्षेप के समय प्रस्तुत की जा सकती है, ऐसी अवस्था में नामनिर्देशन पत्र केवल इस आधार पर कि उस उम्मीदवार का नाम दो जगह है खारिज नहीं किया जा सकता है। आपको केवल यह संतुष्टि करनी है कि नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्रविष्टि वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है चाहे उसका नाम अन्य जगह भी लिखा हुआ है।
- (vii.) नामनिर्देशन पत्र के बिन्दु संख्या 3 अभ्यर्थी की जाति में जो सही एवं संबंधित विवरण हैं, के अतिरिक्त शेष विवरण को उम्मीदवार से कटवा दिये जाये। इसी प्रकार नामनिर्देशन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली घोषणा के तीसरे बिन्दु के विवरण को भी लागू न होने की स्थिति में उम्मीदवार से कटवा दिये जाये।
- (viii.) कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड/पंचायत का चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं माना जायेगा [नियम 16(1)]
- (ix.) यदि एक ही उम्मीदवार ने दो या अधिक नामनिर्देशन पत्र भरे हों और उनमें से एक या दो खारिज हो जायें व तीसरा स्वीकृत हो जावे तो वह व्यक्ति उम्मीदवार बना रहेगा। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
- (x.) कोई व्यक्ति किसी वार्ड या सरपंच पद के लिये एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है, और संवीक्षा में एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र स्वीकार किये गये हैं तो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नाम एक बार ही लिखा जायेगा, एक से अधिक बार नहीं।

13. अभ्यर्थी द्वारा नाम वापिस लेना :- राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28 के अन्तर्गत अभ्यर्थी अपना नाम वापिस ले सकता है।

- (i.) अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी का नोटिस (परिशिष्ट-21) स्वयं व्यक्तिगत आकर आपको दो प्रतियों में प्रस्तुत करना है, जो उम्मीदवार स्वयं हस्ताक्षरित करेगा। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया नोटिस अमान्य होगा।
- (ii.) उक्त नोटिस यथास्थान व निर्धारित समय में ही प्रस्तुत किया जाना है निर्धारित समय के बाद दिया गया नोटिस अमान्य होगा।
- (iii.) एक बार नोटिस दिये जाने के बाद उम्मीदवार उसे वापिस नहीं ले सकेगा।
- (iv.) ध्यान रहे नाम वापसी नोटिस से उम्मीदवार चुनाव से हटता है। कोई उम्मीदवार दो नामनिर्देशन पत्रों में से एक नामनिर्देशन पत्र वापिस लेने हेतु यह नोटिस नहीं दे सकता अर्थात् यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हैं तो समस्त नामनिर्देशन पत्र नाम वापसी के एक ही नोटिस से वापिस लिये हुए समझे जायेंगे।
- (v.) रिटर्निंग अधिकारी दोनों नोटिसों की प्रतियों में से एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा और यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख स्थान पर यह नोटिस लगायेगा।
- (vi.) नाम वापसी हेतु नियमों में कोई प्रारूप (फार्म) निर्धारित नहीं है, परन्तु सुविधा के लिए नाम वापसी का एक मॉडल फॉर्म (परिशिष्ट-21) तैयार किया गया है। उक्त मॉडल फॉर्म की प्रतियाँ अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दें जिससे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई नहीं हो, व एकरूपता रहे। इन फार्मों की मुद्रित प्रतियाँ आपको

नामनिर्देशन प्रक्रिया के लिये दी जाने वाली सामग्री में दी जायेंगी। यदि कमी पड़े तो कार्बन से प्रतियां तैयार कर लें। उम्मीदवार इस मॉडल फॉर्म की नकल करवाकर भी आपको नाम वापसी का नोटिस दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

14. **एक से अधिक सीटों पर से अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेना :-** यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी एक पंचायतीराज संस्था की एक से अधिक सीटों पर अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत की है तो एक सीट को छोड़कर नाम वापिस नहीं लेने पर सभी सीटों से अभ्यर्थिता वापिस मानी जायेगी। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 ख (परिशिष्ट-3) के अनुसार किसी एक पंचायतीराज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है, अर्थात् ग्राम पंचायत के चुनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता और यदि सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

यदि कोई अभ्यर्थी पंचायत में एक से अधिक सीटों के लिये नामांकन दाखिल करता है, तो उसका नामांकन संवीक्षा में तो खारिज नहीं किया जायेगा, लेकिन अभ्यर्थिता वापिस लेने के निर्धारित समय तक वह एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेगा। इस प्रकार की स्थिति में वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं रहेगा।

15. **नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन करना:-** नाम खारिज एवं नाम वापसी के पश्चात् शेष बचे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पंच एवं सरपंच के लिये अलग-अलग प्ररूप-5 में तैयार की जावेगी। इन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट-20) के अनुसार क्रम से इस प्ररूप-5 में लिखे जायेंगे। पंच के लिए प्ररूप-5 दस चुनाव चिन्ह एवं सरपंच के लिये प्ररूप-5 में बीस चुनाव चिन्ह पहले से ही छपे हुए हैं जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को स्वतः ही अपने नाम के सम्मुख छपा चुनाव चिन्ह आवंटित हो जायेगा। पंच चुनाव व सरपंच चुनाव के लिए पृथक्-पृथक् प्ररूप-5 तैयार किये जायें। हिन्दी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार वार्डवार पंच के लिये उम्मीदवारों की सूची व पंचायत के सरपंच के उम्मीदवारों की पृथक्-पृथक् सूची निम्न प्रकार बनायेंगे।

- (i.) सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार का मुख्य नाम ही देखा जायेगा, न कि उपनाम। यद्यपि उक्त सूची में पूरा नाम मय उपनाम के लिखा जायेगा। जैसे "जयनारायण व्यास"। इसमें मुख्य नाम "जयनारायण" है वह "व्यास" उपनाम है। ऊपर बताये सिद्धान्त के अनुसार यह नाम अक्षर "ज" के हिसाब से सूची में रखा जायेगा न कि "व" के हिसाब से। पर चुनाव लड़ने वाली सूची में उनका पूरा नाम "जयनारायण व्यास" ही लिखा जायेगा व मत-पत्र पर भी ऐसा ही लिखा जायेगा क्योंकि वे उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार शिवहरि महावर, आनन्द सक्सेना तथा माहिर खान के नाम क्रमशः "शि" "आ" व "मा" वर्ण के अनुसार लिखे जायेंगे।
- (ii.) नामों के पहले अक्षर जैसे श्री, श्रीमती, सुश्री, नहीं लिखे जायेंगे पर उपनाम जैसे सुखाड़िया, नेहरू, शेखावत, चतुर्वेदी, माथुर, पालीवाल इत्यादि लिखे जायेंगे क्योंकि उपनामों से ही अनेक व्यक्ति जल्दी व ठीक से जाने जाते हैं।
- (iii.) हिन्दी वर्णमाला में तीन तरह से "स" हैं। इनका सही क्रम "श" "ष" "स" है। अतः शंकरलाल, षट्दर्शन तथा सरवर चन्द भंडारी इस क्रम में लिखे जायेंगे। "श्र" भी "श" के बराबर है। यदि श्री नारायण कोई उम्मीदवार हुआ तो शंकरलाल के पहले ही आयेगा।
- (iv.) ऋषिकुमार, त्रिलोक चन्द व डालचन्द में से पहला नाम ऋषिकुमार (ऋ स्वर है) दूसरा डालचन्द आयेगा और तीसरा त्रिलोकचन्द आयेगा। हाजी मोहम्मद अवश्य लिखा जायेगा। पर "म" वर्ण के हिसाब से इस नाम को रखा जायेगा क्योंकि हाजी उपनाम है। ग्यानचन्द व ज्ञानचन्द में ग्यानचन्द पहले व ज्ञानचन्द बाद में आयेगा।
- (v.) आपकी सुविधा के लिये मानक हिन्दी वर्णमाला परिशिष्ट-20 पर दी हुई है।

- (vi.) यदि एक ही नाम से दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उसके पिता/पति का नाम जोड़कर या अन्य रीति से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझे, सुभिन्न किये जायेंगे।
16. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन।**
- (i.) वार्ड पंच एवं सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पृथक्-पृथक् प्ररूप-5 में बनाई जायेगी। उक्त सूचियों की प्रति निम्न प्रकार से प्रकाशित एवं वितरित की जायेगी।
- | | |
|--|---|
| (क) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को | 1 |
| (ख) सरपंच की सूची प्रत्येक वार्ड में | 1 |
| (ग) पंच की सूची संबंधित वार्ड में | 1 |
| (घ) पंचायत कार्यालय पर | 1 |
- (ii.) यदि पूरी पंचायत में सभी वार्ड पंच व पंचायत में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो तो अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन उक्त पैरा (i) के अनुसार नहीं किया जायेगा परन्तु दो प्रतियां बनाकर उनमें से एक पंचायत कार्यालय पर व दूसरी ऑफिस कापी लिफाफे में बन्द कर दी जायेगी। ऐसी हालत में आप चुनाव परिणाम नियम 29(2) में निर्विरोध घोषित कर प्ररूप-7 भरेंगे व हस्ताक्षर करेंगे।
- किसी वार्ड में या पंचायत में एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान निर्धारित स्थान पर नियत तिथि एवं नियत समय पर होगा।
17. **मतपत्रों की तैयारी:-** उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् सूची (प्ररूप-5) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत की जावेगी। अभ्यर्थियों की प्ररूप-5 में अंतिम सूची के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिला स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा।
18. **चुनाव पश्चात् मतगणना कराना :-** पंच एवं सरपंच चुनाव के मतदान समाप्ति पश्चात् राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 49 व 50 (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर मतगणना करवाई जायेगी।
- मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जाये यह गणना आपकी (रिटर्निंग अधिकारी की) देख-रेख में तथा निर्देशानुसार की जायेगी। मतदान दलों के सभी सदस्य आपकी सहायता हेतु उपलब्ध हैं। आपके पास सील बन्द EVM समस्त मतदान बूथों से मतगणना स्थान पर आ जायेगी। यह संतुष्टि कर लें कि समस्त प्रयुक्त EVM आ गयी हैं। मतगणना में आपके स्टाफ के अलावा पंच व सरपंच के उम्मीदवार एवं सरपंच के गणन अभिकर्ता (अधिकतम-2) बैठ सकते हैं। जिन पंचायत सर्किल के वार्डों की संख्या 20 या अधिक है तो सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो से अधिक गणन अभिकर्ताओं की संख्या को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमत किया जा सकेगा। मतगणना स्थल एवं मतगणना प्रारम्भ करने के समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को पहले से ही दे दी जायेगी **मतगणना संबंधित विस्तृत निर्देश अध्याय-8 में बताये गये हैं।**
19. **परिणामों की घोषणा:-** राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिये प्राप्त मतों का विवरण प्ररूप-7 में अंकित कर परिणाम घोषित कर दिया जाये। उक्त फार्म की हस्ताक्षरित प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाये।
- निदेशक, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।
 - नव-निर्वाचित सरपंच।
 - पंचायत समिति।

(v.) पंचायत समिति कार्यालय को, यदि कोई हो।

(vi.) राज्य निर्वाचन आयोग की प्रति जो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजी जायेगी।

20. **प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाना या जब्त करना:-** चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें कुल डाले गये वैध मतों का $1/6$ भाग अथवा इससे अधिक मत मिले हैं, उनकी प्रतिभूति निक्षेप की राशि लौटा दी जायेगी। सरपंच चुनाव लड़ने वाले शेष ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें कि कुल डाले गये मतों के $1/6$ भाग से कम मत प्राप्त हुये हैं उनकी प्रतिभूति निक्षेप राशि जब्त कर ली जायेगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करायी हो तो उनकी केवल एक नामांकन पत्र के साथ जमा की गयी राशि ही जब्त की जायेगी, शेष लौटा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जिन्हें कि कुल डाले गये मतों के $1/6$ भाग से अधिक मत प्राप्त हुये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि चुनाव में विजयी उम्मीदवार के मत कुल वैध मतों के $1/6$ से कम है तब भी उन्हें प्रतिभूति निक्षेप राशि वापिस की जायेगी। प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाने एवं राजकोष में जमा कराने की विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप मतगणना के पश्चात् निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-23) में आवेदन करना होगा। जब्त तथा अवितरित राशि प्रपत्र-2 (परिशिष्ट-23) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित लिफाफे में एवं काउन्टर पर जमा करानी होगी।

21. **चुने गये अभ्यर्थियों को शपथ दिलाना :-** पंचों व सरपंचों के चुनाव परिणाम घोषित होते ही पंच व सरपंच के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित प्ररूप-11 में शपथ दिलाना, ताकि वे उप सरपंच के निर्वाचन के लिए होने वाली बैठक में शामिल हो सके।

22. **उपसरपंच का चुनाव कराना:-** पंच एवं सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित करने के पश्चात् अगले दिवस को उक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपसरपंच का चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। जिसका विस्तृत विवरण अध्याय-8 उपसरपंच का चुनाव में समझाया गया है।

23. **निर्वाचन रिकार्ड जमा कराना:-** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंच/सरपंच के चुनाव से संबंधित रिकार्ड तैयार कर, परिशिष्ट-12A के अनुसार निर्धारित लिफाफों में रखकर जो लिफाफे सील योग्य हैं उन्हें सील कर समस्त सील एवं बिना सील लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिकृत अधिकारियों को संभलवा दिये जाये।

24. **अन्य कार्य :-**

(i) मतदान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान भवन/भवनों पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक बूथ पर मतदान दल के सदस्यों में काम बांटना व सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(ii) मतदान समाप्ति के बाद पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज पत्रों को संबंधित मतदान अधिकारियों से तैयार करवाना।

(iii) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य की EVM को पृथक् से सुरक्षित रखना तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी को सुपुर्द करना साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति के चुनाव वाली EVM एवं उनसे संबंधित कागज पत्र किसी प्रकार से पंच/सरपंच चुनाव के EVM या कागज पत्रों में मिक्स नहीं हो जायें, चुनाव संबंधित कागज पत्र पृथक् एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तथा इसे सुरक्षित अवस्था में ही जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि को उनके निर्देशानुसार सुपुर्द करना।

(iv) उप सरपंच का चुनाव सम्पन्न कराने के पश्चात् ही जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्देशित स्थान के लिए अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ प्रस्थान करना है।

यदि उस दिन आपका गन्तव्य स्थान जिला मुख्यालय है तो निर्वाचन कागजात यथा निर्दिष्ट रीति से जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जायें

25. मतदान का स्थगन/पुनर्मतदान:-

(i.) **मतदान का स्थगन :-** राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन के नियम-48 (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत मतदान का स्थगन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जावे स्थगन का ब्यौरा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचित किया जावे, उनके निर्देशानुसार आगे कार्यवाही करें।

(ii.) **EVM में यांत्रिक खराबी होने या क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में पुनः मतदान (नियम 48 ए):-** यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ से कोई EVM दुर्घटनावश या जानबूझकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, या खो जाती है, या तोड़-फोड़ कर दी जाती है और इस हद तक कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र/बूथ पर हुये मतदान का परिणाम प्रभावित हो जाता है या EVM में वोट रिकॉर्ड करते समय कोई यांत्रिक खराबी हो जाती है, जिससे परिणाम निकालना असंभव हो, तो ऐसी घटना की पूर्ण रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करेंगे एवं आप तुरन्त रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेंगे।

यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर मतदान प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाती है, जिससे मतदान दूषित हो जाता है तो ऐसे प्रकरण में आप रिपोर्ट तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि पंच/सरपंच निर्वाचन के लिए आप रिटर्निंग अधिकारी हैं, पंच/सरपंच निर्वाचन से संबंधित ऐसी रिपोर्ट आप रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेंगे।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन की रिपोर्ट संबंधित मतदान अधिकारी तैयार करेगा एवं अपनी रिपोर्ट पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) दोनों को भेजेंगे। यह रिपोर्ट आप शीघ्र भेजेंगे, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग तक आने में कोई विलम्ब न हो।

(iii.) **बूथ केप्चरिंग की स्थिति में पुनः मतदान (नियम 48 ख):-** यदि मतदान केन्द्र पर बूथ केप्चरिंग कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट उपरोक्त बिन्दु संख्या (ii) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार भेजेंगे।

अतः आप इस संबंध में बताई गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भली-भांति कागजात को देखकर भेजें। रिपोर्ट पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिये क्योंकि आपकी अस्पष्ट रिपोर्ट पर कार्यवाही संभव नहीं हो पायेगी। जब भी कोई रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी जायें तो रिपोर्ट में मतदान केन्द्र/बूथ का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा घटना का ब्यौरा अंकित किया जाये। रिटर्निंग अधिकारी की पुनः मतदान के संबंध में स्पष्ट अभिशंका भी होनी चाहिये कि पुनः मतदान कराना क्यों जरूरी है। ऐसी रिपोर्ट भेजने पर रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना का कार्य भी रोक देंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही संभव हो पायेगी। मतदान दल को तब तक अपने कागजात सील कर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जमा करा देने चाहिये, यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि किसी मामूली घटना को लेकर ही ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जायें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी यथा स्थान विवरण अंकित किया जाये।

अध्याय-8

पंच एवं सरपंच पद की मतगणना

मतगणना:— पंचायतीराज संस्थाओं में सरपंच एवं पंच के निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करें।

मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जायें यह गणना आपकी (रिटर्निंग अधिकारी की) देख-रेख में तथा निर्देशानुसार की जायेगी। मतदान दलों के सभी सदस्य आपकी सहायता हेतु उपलब्ध हैं। आपके पास सील बन्द EVM समस्त मतदान बूथों से मतगणना स्थान पर आ जायेंगी। यह संतुष्टि कर लें कि समस्त प्रयुक्त EVM आ गयी हैं। मतगणना में आपके स्टाफ के अलावा पंच व सरपंच के उम्मीदवार एवं सरपंच के अधिकतम दो गणन अभिकर्ता भी बैठ सकते हैं। मतगणना स्थल की व मतगणना प्रारम्भ करने के समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को पहले से ही दे दी जायें

1. सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।
2. वोटिंग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष-रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और व्यवस्था सही रखी जायें।
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2/M-3/MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में दोनों पदों के लिए कन्ट्रोल एवं बैलेट यूनिटें पृथक-पृथक होंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन होने पर कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी। पंच एवं सरपंच दोनों पदों के लिए मतगणना कार्य एक ही कक्ष में अथवा यदि वार्डों की संख्या अधिक है तो एक से अधिक कक्षों में करवाया जा सकेगा।
4. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2/M-3/MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में सरपंच पद के लिए प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट एवं उसके कैरिंग बक्से पर **सफेद** स्टीकर लगा होगा व पंच चुनाव वाली यूनिट पर **गुलाबी** रंग का स्टीकर लगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से सरपंच एवं पंच दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, जिस पर सफेद स्टीकर लगा होगा। किन्तु यदि उक्त कन्ट्रोल यूनिट सिर्फ पंच अथवा सरपंच के निर्वाचन अर्थात् एक ही पद हेतु उपयोग में लाई जाती है तो सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की तरह इन कन्ट्रोल यूनिटों पर भी यथा स्थिति स्टीकर लगाये जायेंगे।

2. मतगणना की तारीख, स्थान और समय:-

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 49-घ के अन्तर्गत नियत करनी है।

2. मतों की गणना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जायेगी।
 3. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल बड़ा हो जिसमें आपके लिए कार्मिकों, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- 3. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्ति:-**
1. नियम 70 के अनुसार सरपंच पद का अभ्यर्थी मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये अधिकतम दो तक गणन अभिकर्ता प्ररूप-10 में नियुक्त कर सकता है। अभ्यर्थी जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
 2. मतगणना के प्रारम्भ होने से पूर्व गणन अभिकर्ता प्ररूप-10 की घोषणा पढकर उस पर रिटर्निंग अधिकारी या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।
 3. गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जायेगा और यदि बाहर जाता है तो उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ताकि मतगणना हाल में व्यवस्था बनी रहें एवं गोपनीयता भंग नहीं हो।
- 4. गणना कक्ष में अनुशासन:-** गणना कक्ष में धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा, जिसके लिये मतगणनाकक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्था और अनुशासन मतगणना के दौरान बना रहे।
- 5. मतों की गोपनीयता बनाये रखना:-** मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, अभ्यर्थी या गणन अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है उसे मतों की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। धारा 128 लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो इन चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।
- 6. मतगणना स्थल में प्रवेश:-**
1. नियम 58 के सपटित नियम 68, 70 एवं नियम 49 घ के उप नियम-(4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी मात्र निम्न 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा:-
 - (क) मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी।
 - (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।
 - (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक-सेवक।
 - (घ) अभ्यर्थी और गणन अभिकर्ता (सरपंच के निर्वाचन में)।
 2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये।
 3. मंत्रीगण, सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष/सभापति/मेयर, प्रधान/जिला प्रमुख या सुरक्षा कवर प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः मतगणना केन्द्र पर इनमें से किसी को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

7. मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना

1. नियम 49—ग के प्रावधानों के अनुसार गिनती से पूर्व नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा व निरीक्षण किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी इनकी सीलें देखने की अनुमति होगी।
2. किसी मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14 में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा एवं पीठासीन अधिकारी की घोषणा भी रखी जानी चाहिए।
3. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सों में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त हुई होगी।
4. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए रख दें।
5. प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कैण्डिडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।
6. किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, अभ्यर्थियों या उनके गणन अभिकर्ताओं (सरपंच पद के लिए) को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि समस्त सीलें अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ गड़बड़ नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे। इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे।
7. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेड़छाड़ नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।
8. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर-सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्यांकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें।

9. यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गड़बड़ी की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त करनी चाहिए। सम्पूर्ण गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

10. मतों की गणना के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए (यदि M-2/M-3/ MK-4/ MK-5 मॉडल की मशीन उपयोग में ली गई हैं) :-

- (i.) पीछे के कम्पार्टमेंट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट को ऑन करने पर प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकने लगेगी।
- (ii.) परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर-सील को निकाल दे।
- (iii.) RESULT-1 बटन को दबा दे।
नोट:- MK-5 मॉडल की ईवीएम से मतदान होने की स्थिति में मतगणना के समय परिणाम प्राप्त करने के लिए कन्ट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को कनेक्ट करना आवश्यक होगा।
- (iv.) RESULT-1 बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक-एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।
- (v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14 मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार तथा नोटा को मिले मतों को नोट कर लें।
- (vi.) यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम- I बटन को फिर से दबायें।
- (vii.) परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम-अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट को “स्विच ऑफ” कर दें।
- (viii.) यदि MPSV मॉडल की मशीन उपयोग में ली गई है तो परिणाम प्रदर्शित करते समय इन मशीनों में Under Vote & Unfinished Voter की संख्या भी प्रदर्शित होगी। Under Vote का अर्थ है कि मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाकर END बटन का उपयोग किया गया है अर्थात् मतदाता द्वारा या तो किसी भी पद के लिए मत नहीं दिया गया है या दो में से किसी एक पद के लिए मत देने के बाद END बटन का उपयोग किया गया है। Under Vote की स्थिति में किसी पद के लिए डाले गए मतों की संख्या मत डालने आए मतदाताओं की संख्या से कम होगी एवं इनका अन्तर ही Under Vote की संख्या में प्रदर्शित होगा। बशर्ते मतदाता ने किसी को भी मत नहीं दिया है और मतदाता मतदान बूथ से बाहर चला गया है।

Unfinished Voters का अर्थ ऐसे मतदाताओं से है जिन्होंने दो में से किसी एक ही पद के लिए मत दिया एवं END बटन का उपयोग नहीं किया एवं मतदान बूथ को छोड़कर चला गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी स्थिति में अगले मतदाता को मताधिकार हेतु कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है। Unfinished Voters द्वारा नहीं दिए गए मत Under Vote की श्रेणी में भी सम्मिलित होंगे।

यहां यह ध्यातव्य है कि यदि कोई मतदाता एक पद के लिए मत देने के बाद मतदान केन्द्र छोड़कर चला गया है एवं पीठासीन अधिकारी को मतदान चालू रखने के लिए कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिस पद के लिए मतदाता के द्वारा मत नहीं दिया गया है, वह उस पद के लिए Under Vote की श्रेणी में होगा।

- (ix.) ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही ऐसे मतों की संख्या को प्रत्येक अभ्यर्थीवार पृथक से प्ररूप 14 के भाग II गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए। उसे उक्त प्ररूप 14 के भाग II में यह भी नोट कर लेना चाहिए कि क्या उस भाग में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद 5 के सामने दर्शायी गयी मतों की कुल संख्या से मिलती है या इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क नजर आया है। उस प्ररूप को सभी प्रकार से पूर्ण कर लेने के पश्चात उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उस पर करवाने चाहिए। तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। उक्त प्ररूप से अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप-7) तैयार किया जायेगा।
- (x.) प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों के अनुसार प्ररूप-7 में पूर्ति की जायेगी।
- (xi.) यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी नये मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में नये मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे नये मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।
- (xii.) कुल योग की सत्यता की जांच कर लेवें क्योंकि किसी भी तरह का गलत योग मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर की जानी है, तात्त्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही का कारण बनेगा।
- (xiii.) निविदत्त मतपत्र (Tendered Vote) के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और ना ही निविदत्त मतों (Tender vote)की गणना की जायेगी।
- (xiv.) सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुनर्सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम-बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।
- (xv.) मतगणना में किसी भ्रांति के पूर्णतया निवारण हो जाने और गणना पूरी हो जाने पर प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और परिणाम घोषित कर देना चाहिए।
- (xvi.) यदि आपको नियम 49-क के अन्तर्गत किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पड़े तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सील बंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागज पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दे।
- (xvii.) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये

- गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जाये और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जायें।
- (xviii.) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चित कर लिये जाने और प्ररूप 14 के भाग II “गणना का परिणाम” में और प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 52-क के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके। इस विषय में आयोग का सांविधिक आदेश सं. 56/09 दिनांक 18.12.09 (पत्र क्रमांक 6306 दिनांक 18.12.2009) के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाये। उक्त आदेश परिशिष्ट-24 पर संलग्न है।
- (xix.) यहां यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम को सील नहीं किया जाना है। इन मशीनों में प्रयुक्त किए गए सिक्योर डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) को ही आयोग द्वारा पत्रांक 2537 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार सील किया जाएगा। उक्त आदेश परिशिष्ट-25 पर संलग्न है।
- (xx.) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
- कृपया ध्यान दीजिये:- बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ-साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुंचे। बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।
- 1) परिणाम-सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सील कर दें। नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें। कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दें। कैरिंग बक्से के हैंडल पर एड्रेस टैग को दृढ़तापूर्वक लगा दें एवं एड्रेस टैग पर विवरण अंकित कर दें।
 - 2) आप अपनी सील के साथ-साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।
 - 3) बैटरी को अन्य चुनाव सामग्री के साथ जमा करवा दें।

अध्याय-9

उप सरपंच चुनाव

1. पंचायती राज अधिनियम की धारा 27(2) तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के नियम 65 और 66 के अनुसार उप सरपंच चुनाव कराये जायेंगे।
2. उप सरपंच चुनाव आप द्वारा "रिटर्निंग अधिकारी" के पदनाम से कराया जायेगा। नियम 65 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो अधिकारी पंच, सरपंच चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त है, वही अधिकारी उप सरपंच चुनाव का भी रिटर्निंग अधिकारी होगा।
3. उप सरपंच चुनाव हेतु बुलायी गयी मीटिंग को पहली मीटिंग कहा जायेगा [नियम 65(2)]।
4. **नोटिस:-** मीटिंग की नोटिस का फार्म नियमों में निर्धारित नहीं हैं। आपकी सुविधा के लिए एक मॉडल फार्म (परिशिष्ट-22) तैयार किया गया है। मीटिंग नोटिस के छपे हुये फार्म जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जो यदि कम हो तो आप संलग्न फार्म की कार्बन की सहायता से आवश्यकतानुसार प्रतियां बनाकर प्रयोग में ले लें। मीटिंग नोटिस के छपे हुये फार्म भरकर पहले से तैयार रखें। समस्त चुनाव कार्यक्रम आपको जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले से ही दे दिया है। ये नोटिस (परिशिष्ट-22) समस्त निर्वाचित पंचों व सरपंच को दिये जाने हैं चाहे वे मौजूद हों या नहीं, व्यक्तिगत तामील नहीं होने की दशा में उनके घर पर नोटिस चस्पा कर तामील पूरी करनी है। यह नोटिस मतदान के लिये निर्धारित समय से कम से कम दो घण्टे पहले पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाना आवश्यक है। यदि मतदान 11.00 बजे पूर्वान्ह निर्धारित है तो नोटिस 9.00 बजे प्रातः तक चस्पा कर देना चाहिये [नियम 65(2)]।
5. **नामनिर्देशन पत्र:-**
 - (i) नियमों में उप सरपंच चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र का फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके लिये एक मॉडल फार्म "ख" इस अध्याय में आगे बताया गया है। आप मॉडल फार्म की प्रतियां उप सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को दे दें। यदि वे इस फार्म को प्रयोग नहीं करें और किसी कागज पर किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करें तो भी स्वीकार करें। इस आधार पर नामनिर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावक ने उक्त मॉडल फार्म (ख) में नामनिर्देशन पत्र नहीं भरा।
 - (ii) उपसरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्र या लिखित में प्रस्ताव, सरपंच या किसी निर्वाचित पंच जो उस मीटिंग में मौजूद हो, के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्र आपको नोटिस के लिये निर्धारित समय में ही, प्रस्तुत किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियम 66(1) में एक घण्टे का ही समय दिया हुआ है। यह एक घण्टे का समय उक्त नोटिस में निर्धारित समय में मीटिंग प्रारम्भ होने से गिना जायेगा। यदि मीटिंग प्रारम्भ का समय नोटिस में 9.00 बजे प्रातः दिया गया हो तो नामनिर्देशन पत्र 10.00 बजे प्रातः तक ही लिये जा सकेंगे, बाद में नहीं। इस प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्रस्तावक एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। उम्मीदवार यदि मीटिंग में उपस्थित हों तो आप उसकी मौखिक स्वीकृति लेकर स्वयं उस प्रस्ताव पर यह तथ्य लिख दें। जो उम्मीदवार उस मीटिंग में उपस्थित नहीं है तथा नामनिर्देशन पत्र पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो उसकी अलग से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना कानूनन जरूरी है। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र (मॉडल फार्म-"ख") के साथ ही अनुपस्थित उम्मीदवार की स्वीकृति संलग्न नहीं की है तो वह प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र खारिज हो जायेगा। यह प्रावधान आप मीटिंग प्रारम्भ होते ही बता दें।
 - (iii) ऐसे प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्राप्ति का समय अंकित कर हस्ताक्षर कर दें।
 - (iv) उप सरपंच पद के लिये केवल निर्वाचित पंच ही खड़े हो सकते हैं [नियम 66(1)]।

6. **नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची:-** नामनिर्देशन पत्र या प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् आप नियम 66(3) के अनुसार एक कागज पर समस्त उम्मीदवारों के नाम लिखकर मीटिंग में पढ़ दें।
7. **जाँच:-** तत्पश्चात् समस्त प्रस्ताव व नामनिर्देशन पत्र उपस्थित पंच, सरपंच तथा विशेषतया उम्मीदवारों को बता दें और कोई एतराज हो तो वह भी सुन लें तथा अपने निर्णय अंकित कर दें। यदि कोई नामनिर्देशन खारिज करें तो संक्षिप्त में उसका कारण अवश्य लिखें। ये प्रस्ताव तथा नामनिर्देशन पत्र निम्न कारणों से खारिज किये जा सकते हैं।
 - (i) प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 - (ii) प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (iii) प्रस्ताव के साथ या उसके ऊपर अनुपस्थित उम्मीदवार की लिखित में स्वीकृति नहीं है।
 - (iv) उम्मीदवार, निर्वाचित पंचों में से नहीं है।
8. **चुनाव लड़ने वालों की सूची एवं मतदान प्रक्रिया:-** नामनिर्देशन पत्रों की जांच समाप्त करते ही चुनाव लड़ने वालों की सूची प्ररूप-5 में तैयार करेंगे तथा जिनके नाम, नामनिर्देशन पत्रों की समीक्षा में सही पाये गये हैं उनके नाम मीटिंग में पढ़कर सुनायेंगे। ये नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में होंगे। यदि केवल एक ही उम्मीदवार हैं तो उसे उप सरपंच के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चुनाव में खड़े होते हैं तो गुप्त मतदान से वोट डाले जायेंगे। उप सरपंच चुनाव में डाक द्वारा या प्रोक्सी द्वारा वोट देने का प्रावधान नहीं है। यदि एक भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ होगी। उप सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करेगा।
9. **मतपत्र:-** उप सरपंच चुनाव में गुप्त मतदान कराया जायेगा। इसके लिये मतपत्र का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा जो सरपंच मतपत्र में वर्णित चुनाव चिन्हों के क्रमानुसार होगा। अभ्यर्थियों की सूची को हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार किया जायेगा एवं सरपंच पद के लिये निर्धारित चुनाव चिन्ह जो पहले से ही छपे हुये के अनुसार उप सरपंच पद के अंतिम अभ्यर्थियों को क्रमानुसार चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प व चिन्ह अंकित किया जायेगा। यदि एक नाम के दो अभ्यर्थी हैं तो उन्हें पिता के नाम से सुभिन्न किया जायेगा। मतपत्र का स्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

उप सरपंच मतपत्र के खाली फार्म जिसमें चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे लेकिन अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली रहेगी आपको जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 12/94 दिनांक 29.12.94 से उप सरपंच चुनाव के लिये मतपत्र का प्रारूप सरपंच चुनाव के मतपत्र के प्रारूप के समान ही विनिर्दिष्ट किया हुआ है। उप सरपंच मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की पीठ पर हस्ताक्षर कर अधिप्रमाणित किया जायेगा।
10. **मतदान :-**
 - (i) मतदान के लिये मतदाताओं (पंच/सरपंच) को ऐरोक्रास मार्कसील दें।
 - (ii) मतदान के दौरान मतदाताओं (पंच/सरपंच) की सूची को मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी करने से पूर्व टिक (✓) किया जायेगा।
 - (iii) मत अभिलिखित करते समय मतदाता (पंच/सरपंच) मतपत्र को मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रखी मतपेटी में डालेगा। यदि मतदाता मत की गोपनीयता भंग करे तो उससे मतपत्र लेकर निरस्त कर दिया जाये और इस आशय का अंकन मतपत्र पर करते हुये रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

- (iv) यदि कोई मतदाता शारीरिक अक्षमता के कारण या दृष्टिबाधितता के कारण अपना वोट नहीं दे सके तो रिटर्निंग अधिकारी मतदाता की सहायता करेगा।
11. **मतगणना** :- मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जायेगी। मतपत्र निम्न आधारों पर खारिज किये जा सकते हैं।
- यदि मतपत्र पर अंकित चिन्ह से या हस्ताक्षर से मतदाता की पहचान स्थापित होती हो।
 - यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा एक अभ्यर्थी तथा नोटा दोनों को मत अभिलिखित किया हो।
 - यदि मतपत्र के मुखपत्र पर कोई चिन्ह नहीं हो या पीठ पर चिन्ह लगाया हो या चिन्ह इस प्रकार लगा हो जिससे यह निश्चित नहीं हो पाये कि किसे वोट दिया गया है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी एरोक्रास सील से भिन्न किसी अन्य उपकरण से चिन्ह लगाया हो।
 - यदि मतपत्र जाली हो।
 - यदि मतदाता मतपत्र को गुप्त नहीं रख पाया हो।
12. **परिणाम की घोषणा** :- सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या समान होने पर लॉटरी निकाली जायेगी। परिणाम की घोषणा प्ररूप-7 में होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा को प्राप्त मतों की चुनाव परिणाम अभिनिश्चित करने में कोई भूमिका नहीं होगी।
13. **रिकार्ड व लिफाफे** :- मतगणना के पश्चात् खारिज किये गये व विधिमान्य स्वीकृत किये गये मतपत्रों को रबड़ बैण्ड से अलग-अलग बांधकर एक ही लिफाफा संख्या P-40 में रख कर सील कर दें। उपसरपंच संबंधित अन्य फार्म जैसे नामनिर्देशन पत्र, अभ्यर्थियों की सूची, मतदाताओं की सूची, नोटिस आदि को लिफाफा संख्या P-41 में रख दिया जाये। इस लिफाफे को सील नहीं करना है।

मॉडल फार्म – ख
नामनिर्देशन-पत्र
उप सरपंच चुनाव,

..... पंचायत पंचायत समिति जिला

मैं श्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम) जो उक्त पंचायत में निर्वाचित पंच है, का नाम उप सरपंच पद के लिये उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करता हूँ/करती हूँ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
या अंगूठे के निशान
निर्वाचित पंच/सरपंच

मेरी सहमति है
हस्ताक्षर अभ्यर्थी,
दिनांक

जो शब्द उपर्युक्त न हो काट दीजिए।

अध्याय—10

मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय

- (1) **मतदान का प्रारम्भ :-** मतदान प्रारम्भ करने के लिए जो समय हो, ठीक उसी समय मतदान प्रारम्भ करायें। उस समय तक औपचारिकताएं पूरी हो जानी चाहिए। यदि किसी कारण वश उस समय तक प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हों तो आप मतदान के प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर कुछ मतदाताओं को अन्दर आ जाने दें और मतदान अधिकारियों को उनकी पहचान आदि के संबंध में तब तक कार्यवाही करते रहने दें जब तक कि आपके द्वारा की जाने वाली औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं। मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर प्रारम्भिक कार्यों को पूरा न हो जाना अत्यन्त अवांछनीय है और इससे बचने का प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से आप नियत समय पर, मतदान प्रारम्भ नहीं करते हैं तो भी आपको मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
- (2) **मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी:-** मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के बारे में उनके कर्तव्य और उनके उल्लंघन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।
- (3) **अमिट स्याही के संबंध में सावधानियाँ:-** अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को अमिट स्याही की शीशी को प्रयोग के लिए खोले जाने से पूर्व उसे भली-भांति हिला लेना चाहिए। अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सावधानियां अपनाने को कहा जाये कि अमिट स्याही वाली शीशी इस प्रकार रखी जायें कि मतदान के दौरान यह एक ओर झुके और फैले नहीं। इस प्रयोजन के लिये, एक कप या किसी खाली सिगरेट टिन (एश ट्रे) या किसी चौड़े पैदे वाले बर्तन में कुछ मिट्टी ले और बर्तन के बीच शीशी को, उसकी लम्बाई के पौन हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह मिट्टी में मजबूती से गढ़ी रहे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि कॉर्क से जुड़ी हुई प्लास्टिक सीक/ब्रश शीशी में रहे और मतदाता की तर्जनी को चिन्हित करने के प्रयोजन के अलावा निकाली नहीं जाये। सीक के चिन्हित करने वाले हिस्से को सदैव नीचे की ओर करके रखा जावे अन्यथा, सीक/ब्रश से कुछ स्याही गिर सकती है। जिससे इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां खराब हो सकती है।
- (4) **निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति:-** मतदान के प्रारम्भ से पूर्व आपको मतदान अभिकर्ताओं और मतदान बूथ में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी यह दिखाना चाहिए कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव में उपयोग के लिए निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति या प्रतियों में उन मतदाताओं जिनको डाक मतपत्र जारी किये जा चुके हैं, की प्रविष्टियों के आगे लगाये गये चिन्हों से भिन्न कोई अन्य चिन्ह या प्रविष्टियां नहीं हैं।
- (5) **मतदाता रजिस्टर:-** मतदान अभिकर्ताओं या अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी बताना चाहिए कि प्ररूप 12 में मतदाताओं के रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे मतदाता के संबंध में प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है और इसमें मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जाना है। साथ ही मतदान पूर्व यह भी दर्शाया जाये कि मतदाता रजिस्टर में पूर्व से कोई प्रविष्टि मौजूद नहीं हैं।
- (6) **मतदान बूथ में मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना :-** पुरुष तथा महिला मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक, पंक्तियां होनी चाहिए। लाईन बनवाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति आपके निर्देशानुसार एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में अन्दर जाने की अनुमति देंगे। अन्य मतदाताओं को जो अन्दर जाने की प्रतीक्षा में खड़े हों, बाहर पंक्ति में ही खड़ा करवाया जाना चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं और ऐसी महिला मतदाताओं को जिनके गोद में बालक हो तो पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले मत देने की सुविधा दी जायें।

शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता की व्हील चेयर को पोलिंग बूथ में आने की सुविधा हेतु यदि स्थाई रैंप नहीं है तो वुडन (Wooden) रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए। पुरुष और महिला मतदाताओं को मतदान बूथ में बारी-बारी से पृथक-पृथक समूहों में आने देना चाहिए। पुरुष अथवा महिला मतदाताओं की पृथक-पृथक एक से अधिक पक्तियाँ नहीं बननी चाहिए। मतदान बूथ परिसर में इस आशय का पोस्टर जो आपकी मतदान सामग्री में है। सहज दृश्य स्थान पर लगावें कि दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता से वोट के लिये आगे आने दें।

- (7) **स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा घोषणाएं:-** यह सुनिश्चित करने के लिए आप पहले के अध्यायों में दिये गये अनुदेश जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक हैं, का सही प्रकार से पालन कर चुके हैं आपसे मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व परिशिष्ट-7 में घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (परिशिष्ट-2) के मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने संबंधी उपबन्धों को पढ़कर सुनाना चाहिए ताकि मतदान बूथ में उपस्थित सभी व्यक्ति उसे सुन लें और फिर आपको उस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस घोषणा पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी अभिलिखित करने चाहिए जो उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं।

मतदान की समाप्ति पर आपको परिशिष्ट-7 में एक अतिरिक्त घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए। फिर आपको उस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस घोषणा पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी अभिलिखित करने चाहिए जो उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं।

जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित ईवीएम के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा परिशिष्ट-7 में की गई घोषणा पर जो अभ्यर्थी/अभिकर्ता जिला परिषद् चुनाव से संबंधित हैं, उनसे ही हस्ताक्षर करने हेतु कहा जायें। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव में उस चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लिये जायें। यह घोषणा एक पृथक, लिफाफे (PE-56, PE-55) में रखी जायेगी और मतदान समाप्त होने के बाद इसे मतपत्र लेखा तथा मुद्रा लेखों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिया जायेगा।

इसी प्रकार की प्रक्रिया पंच एवं सरपंच पद के चुनावों में भी अपनाते हुये परिशिष्ट-7 में पंच पद के लिए की गई घोषणा को लिफाफा संख्या PE-56A तथा सरपंच पद के लिए की गई घोषणा को लिफाफा संख्या PE-55A में रखा जायें।

- (8) **नई मतदान मशीन के उपयोग के समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया:-** यदि मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियों के कारण नई मतदान मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो जाये तो नई मशीन से भी मॉकपॉल की प्रक्रिया पूर्ण कर आपसे पुनः परिशिष्ट-7 में विहित किये अनुसार, अतिरिक्त घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा जब कभी नई मशीन उपयोग के लिए ली जाए तब करना होगा।

- (9) **मतदान बूथ में और इसके आसपास निर्वाचन विधि का पालन कराना :-**

1) आपका चातुर्य, दृढ़ता और निष्पक्षता, विशेषतः शान्ति भंग के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवादग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्याय संगत तरीके से विनिश्चय करें। आपके मतदान बूथ पर आप अथवा किसी अधिकारी को कोई पक्षतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

- 2) मतदान दल के सदस्यों को उचित एवं शालीन व्यवहार करना चाहिए। किसी वी.आई.पी. के मत देने के लिए आते समय मतदान बूथ में विशेष महत्व नहीं देना चाहिए और ना ही हाथ मिलाना चाहिए।
- 3) मतदान बूथ के 100 मीटर की दूरी तक प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (परिशिष्ट-2) के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।
- 4) मतदान बूथ से 100 मीटर दूरी पर अभ्यर्थी अपना निर्वाचन बूथ बना सकते हैं जिस पर एक छतरी या तिरपाल के साथ एक मेज व दो कुर्सी लगाई जा सकती हैं। इन निर्वाचन बूथों पर मतदाताओं को अशासकीय पर्वियां जिनमें चुनाव चिन्ह तथा अभ्यर्थी का नाम अंकित नहीं हो, अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की जा सकती है। लेकिन इन बूथों पर भीड़-भाड़ एकत्र होने की, मतदाताओं को प्रभावित करने की गतिविधियों की, अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला करने की या स्वतंत्र व निष्पक्ष व निर्बाध चुनाव में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि आपके ध्यान में आये तो जोनल मजिस्ट्रेट या अन्य उत्तरदायी अधिकारी के ध्यान में लायें।
- 5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 (परिशिष्ट-2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों को लागू करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उद्दण्ड तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों को तब ही अपनाया जाना चाहिए जब उसे मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाये। यदि किसी ध्वनी विस्तारक या लाउडस्पीकर के उपयोग से मतदान बूथ का कार्य बाधित हो तो आपको ऐसा उपयोग रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- 6) कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अपचार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशों की अवज्ञा करता है, आपके आदेशों से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान बूथ से हटाया जा सकेगा। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132)
- 7) आपके पास मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता को कहें कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 (परिशिष्ट-2) के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका फाईल करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाईल की गई किसी शिकायत को उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करें जो आप अपने स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते हैं।
- 8) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान बूथ से मतदान मशीन को कपट पूर्वक या बलपूर्वक ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझकर, सहायता या दुष्प्रेरणा करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा तथा यह संज्ञेय अपराध है।
- 9) आपका ध्यान धारा 134 (परिशिष्ट-2) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, युक्ति युक्त कारण के बिना अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य करने या किसी लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

- (10) **मतदान बूथ में या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध:**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-ख (परिशिष्ट-2) के उपबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान बूथ पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी, जो मतदान बूथ पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा-परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान बूथ के आसपास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने का दायी है, यह अपराध संज्ञेय है।
- (11) **मतदान बूथ में सेल्युलर फोन्स, कार्डलैस फोन्स, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध:**— आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ पर मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता इसकी सख्त मनाई है। मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान बूथ की नेबर हुड (सीमा) कहा गया है।

अध्याय—11

मतदाता की पहचान और निविदत्त मत (Tender Vote) तथा मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना

(1) निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :-

1. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान आवश्यक की है। मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। यदि मतदाता के पास EPIC नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज(परिशिष्ट-16) पहचान हेतु पेश करने चाहिए। इस विषय में आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी और मतदाता की पहचान के संबंध में प्रथम मतदान अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है।
2. प्रायः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पहचान पर्ची लाता है जो शायद उसे किसी अभ्यर्थी या किसी अभिकर्ता द्वारा दी होती है। इस पर्ची पर किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान रखनी है कि यह मतदाता की पहचान की गारण्टी नहीं है और न ही इसके द्वारा कोई मतदान अधिकारी अपने कर्तव्य और ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है वह मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करें। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी तथा निर्वाचक की पहचान के लिये जिम्मेदार प्रथम मतदान अधिकारी को किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची को प्रस्तुत कर देने पर ही निर्वाचक की पहचान साबित हो जाना नहीं मान लेना चाहिये। यद्यपि ऐसी पर्चियों से निर्वाचक नामावली में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि को ढूँढने में सहायता मिलती है, किन्तु यह मान कर नहीं चला जा सकता कि ऐसी पर्ची को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सही मतदाता हो, साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि उसके पास जो पर्ची है वह वास्तव में उससे ही सम्बन्धित है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी को पर्ची के आधार पर निर्वाचक नामावली में अंकित क्रम संख्या को ही पढ़ने चाहियें। किन्तु उसे पर्ची में अंकित नाम तथा अन्य विवरण नहीं पढ़ने चाहिये। उसके पश्चात प्रथम मतदान अधिकारी को उसका नाम और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि की अन्य विशिष्टियां जोर से बोलने के लिये कहना चाहिये। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता के रूप में पर्ची लाने वाला व्यक्ति ही सही मतदाता है। यदि प्रथम मतदान अधिकारी को पूरा समाधान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिये कहा जा सकता है, जो स्वयं के समाधान के लिये मतदाता की पहचान के लिये और छानबीन करेगा। यदि यह प्रतिक्रिया करने वाला सिद्ध हो जाय तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे निर्वाचक को पुलिस के हवाले करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिये। महिला निर्वाचकों विशेषकर पर्दाधारी महिलाओं की पहचान करने के लिये किसी महिला मतदान अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।
3. यह संभव है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित या जाली मतदाताओं की सूची साथ लायें, जिसकी प्रति आपको भी दे सकते हैं। यदि इस सूची में से कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे तो उसकी पहचान दस्तावेजों के आधार पर कड़ाई से की जायें मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न होने पर उसकी वास्तविक पहचान करने के मामले में पीठासीन अधिकारी को निर्णय के लिए सौंप देना चाहिए।
4. कई बार किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियां निर्वाचक नामावली में मुद्रण और लिपिकीय गलती से अशुद्ध अंकित हो जाती हैं जिसमें मतदाता का दोष नहीं होता और केवल मात्र मुद्रण और लिपिकीय त्रुटि निर्वाचक नामावली में हो जाने के आधार पर किसी सही

मतदाता को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली में अंकित कोई प्रविष्टि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है लेकिन उस प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण की गलती है तो भी पीठासीन अधिकारी यह सन्तुष्टि करेगा कि प्रविष्टि उक्त व्यक्ति से संबंधित है या नहीं है और ऐसी विशिष्टियों के कारण को लिखित रूप से अंकित करेगा। साथ ही, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे प्रत्येक मतदाता के बारे में प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी।

(2) मतदाता द्वारा उसकी आयु के बारे में घोषणा :-

1. जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में साफ-साफ समाधान हो जाना चाहिए। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके संदर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के संबंध में एक घोषणा परिशिष्ट-10 में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क (परिशिष्ट-3) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
2. आप ऐसे मतदाताओं की सूची (परिशिष्ट-11, भाग-I) तैयार करें जिनसे आपने परिशिष्ट-10 में ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की हैं। आप ऐसे मतदाताओं की सूची (परिशिष्ट-11, भाग-II) भी तैयार करें जिन्होंने उपयुक्त घोषणा करने से इनकार कर दिया है और बिना मतदान किये चले गये हैं। मतदान समाप्ति के पश्चात् परिशिष्ट-10 एवं 11 जो जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य से संबंधित है को विविध कागजात के लिफाफा नं. PE-57 में एक साथ रखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार परिशिष्ट-10 एवं 11 जो पंच एवं सरपंच चुनाव से संबंधित है को विविध कागजात के लिफाफा नं. PE-57A में एक साथ रखा जाना चाहिए।

(3) मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता :-जब मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है तो किसी मतदाता को इस आधार पर मत देने से रोका नहीं जा सकता कि वह मतदाता के रूप में पात्र नहीं है।

(4) निविदत्त मतपत्र (Tender Vote) :-

1. जब असली मतदाता की जगह कोई फर्जी मतदाता मत देकर चला जाता है और बाद में असली मतदाता मत देने आता है तो उसे मतदान मशीन से मत रिकार्ड करने की अनुमति देने के बजाय निविदत्त मतपत्र (Tender Vote) दिया जायेगा। दूसरा मतदाता असली है या फर्जी इसका निर्णय आपको मतदान अभिकर्ता की सहायता से करना है।
2. यह निविदत्त मतपत्र (Tender Vote) वैसा ही मतपत्र होगा जो मतदान यूनिट में लगाया गया है, अन्तर इतना ही है कि ऐसे मतपत्र की पीछे आपको शब्द 'निविदत्त मतपत्र' स्टाम्पित कर और स्टाम्प के अभाव में हाथ से लिखकर नीचे हस्ताक्षर करने होंगे। सभी निर्वाचनों के लिये पृथक-पृथक निविदत्त मतपत्र होंगे।
3. मतदान बूथ पर निविदत्त मतपत्रों के लिये बीस मतपत्र आपको दिये जायेंगे। यदि ऐसी स्थिति बने कि 20 मतपत्र कम पड़े तो आप जोनल मजिस्ट्रेट को बतायें ताकि वह अतिरिक्त मतपत्रों का इन्तजाम करे।
4. मतदाता मतदान कक्ष में निविदत्त मतपत्र को चिन्हित करने और मोड़ने के पश्चात् उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रखे गये जिला परिषद्

सदस्य के लिये निर्धारित लिफाफा संख्या PE-47 तथा पंचायत समिति सदस्य के लिये निर्धारित लिफाफा संख्या PE-46 में रखेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त लिफाफो को सीलबन्द कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार पंच चुनाव के निविदत्त मतपत्र लिफाफा संख्या PE-46A में तथा सरपंच पद चुनाव के निविदत्त मतपत्र लिफाफा संख्या PE-47A में रखकर सील किया जायेगा।

5. उपरोक्त प्रकार से निविदत्त मतपत्र जारी करने से पूर्व आप मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्हें आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझते हैं, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो ही आप उसकी बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगवा दें, तत्पश्चात् आप निविदत्त मतों की सूची प्ररूप-13 में आवश्यक प्रविष्ट कर दें और उस पर उस मतदाता के हस्ताक्षर करवा लें अथवा उसके अंगूठे का निशान लगवा लें इसके पश्चात् ही आप उसे निविदत्त मतपत्र जारी करें। निविदत्त मतपत्रों के प्रकरण आप स्वयं को ही निपटाने चाहिए।
6. उक्त 'निविदत्त मतपत्र' को मतदाता को जारी करने से पूर्व आपके मतदान बूथ से संबंधित सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर से मतपत्र के पीछे स्टांपित भी किया जायेगा। सुभिन्नकारी चिन्ह में ऊपर वार्ड का क्रमांक और नीचे आपके मतदान बूथ का क्रमांक अंकित होगा।
7. मतदान की समाप्ति के पश्चात् जिला परिषद् सदस्य के चुनाव से संबंधित निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-13) को लिफाफा संख्या PE-49 पंचायत समिति सदस्य के चुनाव से संबंधित निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-13) को लिफाफा संख्या PE-48 में रखें और उसे सीलबन्द कर दें।

इसी प्रकार पंच चुनाव के निविदत्त मतपत्र लिफाफा संख्या PE-48A में तथा सरपंच पद चुनाव के निविदत्त मतपत्र लिफाफा संख्या PE-49A में रखकर सील किया जायेगा।

8. प्ररूप 14 के भाग 1 की मद संख्या 7 में समस्त निविदत्त मतपत्रों का सही लेखा रखेंगे। परिशिष्ट-9 पर नमूना देखें।
 9. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुयी ऐरो क्रॉस मार्क सील भी दी जायेगी। यह सील आपको मतदान सामग्री के साथ प्रदान की जायेगी। निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित निर्वाचक मतदान कक्ष में उसकी इच्छानुसार किसी अभ्यर्थी (नोटा सहित) के प्रतीक चिन्ह पर ऐरो क्रॉस सील से अपना मत चिन्हित करेगा।
- (5) मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना :-**
1. ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान बूथ के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा। उसे मतदान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करना चाहिए। यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो पीठासीन अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुमति नहीं देगा। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गयी हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देनी चाहिए।
 2. जहां किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण मत देने के लिए अनुमति नहीं दी गयी हो वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) के कॉलम-4 में अभ्युक्तियां स्तम्भ में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने इस आशय की अभ्युक्तियां की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है। पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेगा। तथापि, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक या किसी उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय-12

मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया

(1) मतदाता की बांयी तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

1. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा, विहित रीति के अनुसार, उसकी बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिह्नित किया जायेगा। यदि मतदाता बांयी तर्जनी का निरीक्षण या चिह्नित करवाने से इंकार करे या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा। यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुली पर कोई तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पूर्व उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए। ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान बूथ छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये। पंचायतीराज संस्थाओं के किसी पद/पदों के निर्वाचन के पश्चात् कुछ ही दिनों पश्चात् दूसरे पद/पदों के निर्वाचन करवाये जाते हैं या पुनः मतदान होता है तो मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान होगा तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है, के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. **नये सिरे से मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग :-** नये सिरे से मतदान/पुनः मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बांयी मध्यमा (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जायें और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये। किस प्रकार अमिट स्याही से अंगुली पर चिन्ह लगाये इसके निर्देशों लिये परिशिष्ट-17 पर दिये गये आदेश को देखें।
3. **निर्वाचक की बांयी तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना:** यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी नहीं है, तो बांये हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली क्रम से किसी भी ऐसी अंगुली जो उसके बांये हाथ की है पर अमिट स्याही लगावें, यदि किसी के बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो उसके दांये हाथ की तर्जनी पर और यदि दांये हाथ की तर्जनी भी नहीं है तो दांयी हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली क्रम से किसी भी अंगुली पर अमिट स्याही लगा दें, यदि उसके किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली नहीं है तो क्रम से उसके बांये हाथ या दांये हाथ जो भी हो के छोर पर अमिट स्याही लगानी चाहिए। किन्तु उन मामलों में जहां इन निर्वाचनों से कुछ ही दिनों पूर्व किसी ओर पद का निर्वाचन सम्पन्न हुआ है, तथा मतदाता की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है। वहां आयोग के आदेश क्रमांक 2205 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।

(2) मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टियां एवं मतदाताओं के हस्ताक्षर :-

1. मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता की मतदाता नामावली संख्या का अभिलेख : पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बांयी तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जायेगा:-

- 1) मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले से ही ऐसी क्रम संख्याएँ लिख सकता है।
- 2) उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात् क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारम्भ होने के समय मतदान बूथ पर मत डालने आता है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 256 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 256 लिखेगा। इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 304 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 304 लिखेगा और इसी तरह आगे भी। ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (3) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

2. मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :- हस्ताक्षर से अभिप्राय है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम लिखने की अपेक्षा की जायेगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात् उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हों। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, तो अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

3. मतदाता के अंगूठे का निशान:-

- 1) यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। यह बात नोट कर लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।
- 2) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 38 क (परिशिष्ट-4) के अनुरूप अमिट स्याही लगाने के बारे में यदि मतदाता का बायां अंगूठा नहीं हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों अंगूठे न हों तो

बाये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि बाये हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो उस स्थिति में दाये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि अंगुलियां न हो तो उस स्थिति में मतदाता स्वयं अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो जायेगा, तथा ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से सहायता ली जावेगी।

- 3) पंचायतीराज संस्थाओं के किसी पद/पदों के निर्वाचन के पश्चात् कुछ ही दिनों पश्चात् दूसरे पद/पदों के निर्वाचन करवाये जाते हैं या पुनः मतदान होता है तो मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य है तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है, के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4) यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान स्पष्ट होना चाहिए। स्टाम्प पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधला या अस्पष्ट निशान ही बन पाये और न ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।
- 5) अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से साफ कर दी जानी चाहिए।

(3) मतदाता को मतदाता पर्ची जारी किया जाना:-

1. किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए दो मतदाता पर्ची जिसमें से जिला परिषद् सदस्य के लिए पीले रंग की मतदाता पर्ची तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग की मतदाता पर्ची अथवा पंच पद के लिये गुलाबी पर्ची एवं सरपंच पद के लिए सफेद पर्ची परिशिष्ट-13 के अनुसार तैयार करेगा।
2. ये मतदाता पर्चियां किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेंगी और आपके मतदान बूथ की मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुये दी जायेगी। ये पर्चियां सौ पर्चियों या पचास पर्चियों के बंडल में मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी।
3. प्रत्येक मतदाता के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियां उसके द्वारा उस मतदाता को दी जायेंगी और मतदाता को यदि MPSV मॉडल की मशीन प्रयोग में ली जा रही हैं तो यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी जो मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा और यदि M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीन उपयोग में ली जा रही हैं तो पीले रंग की मतदाता पर्ची तृतीय मतदान अधिकारी जो कि जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिये नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा, तथा नीले रंग की मतदाता पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी जो कि पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा।
इसी प्रकार सफेद रंग की मतदाता पर्ची तृतीय मतदान अधिकारी जो कि सरपंच पद के चुनाव के लिये नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा, तथा गुलाबी रंग की मतदाता पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी जो कि पंच पद के चुनाव के लिये नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा।

(4) अनुक्रमिक रूप से मतों का रिकार्ड किया जाना :-

1. मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गयी मतदाता पर्ची के साथ मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय/चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास आयेगा वैसे ही उसे, ऐसी मतदाता पर्ची के आधार पर ही, मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
2. यह अति आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड करें जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिये।
3. यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चात्तर्वर्ती मतदाता, जिसका क्रम उसके कारण से उलट-पुलट हो गया है, के संबंध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिये।

(5) मत रिकार्ड करने के लिए मतदाता को अनुमति देना:-

1. जैसे ही मतदाता, मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय/चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास आये तो मतदाता पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
2. मतदाताओं से संकलित की गयी समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूर्वक संग्रहित की जायेगी और मतदान के अन्त में एक पृथक कवर में रखी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिये लिफाफा नं. (PE-45) तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिये लिफाफा नं. (PE-44), इसी प्रकार सरपंच पद के चुनाव के लिये लिफाफा नं. (PE-45A) तथा पंच पद के चुनाव के लिये लिफाफा नं. (PE-44A) में रखी जायेगी और उसे सील कर सुरक्षित रखा जायेगा।
3. मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहित कर लेने के पश्चात् नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय/चतुर्थ मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बाईं तर्जनी की जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गयी है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट स्याही का चिन्ह बने।
4. तब मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(6) मतदान प्रक्रिया MPSV मॉडल की मशीनों के लिये :-

1. मतदान कक्ष में स्थापित जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच पद की मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित बैलेट यूनिट में उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में छोटी बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी।

इसी प्रकार मतदान कक्ष में रखी दूसरी बैलेट यूनिट पर भी मत रिकॉर्ड किया जायेगा। Ballot Unit में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित बैलेट यूनिट में उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और

मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में लम्बी बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी। साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और लम्बी बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा।

2. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आवे तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।

(7) मतदान प्रक्रिया M-2/M-3/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनों के लिये :-

1. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये जिला परिषद् सदस्य अथवा सरपंच के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।
2. मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और मतदान यूनिट में उम्मीदवार/नोटा सहित की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा।
3. इसी प्रकार मतदाता पंचायत समिति सदस्य अथवा पंच पद के लिये अपना मत रिकार्ड करने के लिये चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा, तथा उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया को पुनः दोहरायेगा।
4. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आवे तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।

(8) डाले गये मतों की संख्या का समय-समय मिलान :-

मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय-समय पर 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे तथा मतदान समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये (परिशिष्ट-8 के बिन्दु सं. 16)। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।

(9) मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :-

1. जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई सन्देह हो या उसके पास यह सन्देह करने का कारण हो कि पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गयी मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रुका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में नियम 36 ख के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
2. जब कभी भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए कहना चाहिए। वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अनभिज्ञ मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए। जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक प्रिन्टेड कार्डबोर्ड पर डमी बैलेट यूनिट का मॉडल पीठासीन अधिकारी को मुहैया कराये जिससे पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर ई. वी.एम. मशीन का उपयोग समझा सकता है। 'बैलेट यूनिट मॉडल' पर 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो ही अंकित होना चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। बत्ती के रंग 'नीला' 'हरा' एवं 'लाल' स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें।

अध्याय-13

मतदान का स्थगन या मतदान को रोका जाना

(1) बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :-

1. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48 सपठित नियम 58 के अंतर्गत किसी मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से :-
 - 1) किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, तीक्ष्ण तूफान और इसी प्रकार के अन्य कारण या,
 - 2) मतदान बूथ पर बलवा, हिंसा अथवा शान्ति भंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये, या
 - 3) किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से, मतदान के स्थगित करने के लिए सशक्त है।
2. यदि बलवा हो जाये या खुले रूप में हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाये तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करें, तथापि यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असम्भव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असम्भव हो गया हो तो ऐसी स्थिति भी मतदान को स्थगित करने का पर्याप्त कारण होगा। किन्तु मतदान स्थगित करने का जो विशेषधिकार आपको दिया गया है उसका प्रयोग आप कम से कम और केवल उन्हीं मामलों में करें जहां मतदान कराना वस्तुतः असम्भव हो गया है।
3. मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग ऑफिसर को संपूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहां कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि अब मतदान उस तिथि को होगा जो बाद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
4. आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन की दोनों प्रकार की यूनिटों और समस्त निर्वाचन संबंधी कागजातों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें। जैसे कि मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

(2) स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना :-

1. जहां किसी मतदान बूथ पर मतदान स्थगित हो चुका है वहाँ स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोड़ा गया था उससे आगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तारीख और समय पर पुनः करवाया जायेगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर, उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकिट और मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) जो उस मतदान बूथ पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा नयी मतदान मशीन (कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट) उपलब्ध करायेगा।
2. स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकिट और मतदाताओं का रजिस्टर, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान बूथ पर उपस्थित हो, के समक्ष खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. नियमों के प्रावधान किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।
4. जहां मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो वहां ऊपर उल्लिखित नियमों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

(3) मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना:-

1. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48-क एवं 48-ख के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग किसी मतदान बूथ पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये मतदान का निर्देश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान बूथ पर :-
 - 1) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या
 - 2) कोई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या समूल नष्ट हो गयी हो या खो गयी हो या ऐसी सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें गड़बड़ कर दी गयी हो कि उस मतदान बूथ के मतदान का परिणाम उस कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या
 - 3) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या
 - 4) प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमिता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने की संभावना हो, या
 - 5) बूथ पर कब्जा हो गया हो। (उक्त नियम 48-ख में यथा-परिभाषित)
2. यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान बूथ पर घटित हुयी हो तो आपको पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सकें।
3. यदि आयोग समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी मतदान बूथ पर नये मतदान कराये जाने का निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसे मूल मतदान हुआ है।
4. नये मतदान की स्थिति में मतदान बूथ पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक, नये मतदान में पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये मतदान के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नये मतदान के समय बनाये गये चिन्हों का, पहले से ही बनाये गये मूल मतदान के समय के चिन्हों से भेद करने के लिए आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 के द्वारा जारी किये हुये हैं, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।

(4) बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना :-

1. जहां किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किये जा सकें, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तत्काल बन्द कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को पृथक् कर देगा।
2. आपको मतदान बन्द किये जाने की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को केवल तब ही करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, न कि केवल बूथ का कब्जा किये जाने की संभावना के बारे में आशंका या संदेह हो, क्योंकि जब एक बार 'Close' बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बन्द कर दिया जायेगा तो मतदान मशीन आगे और मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए या अस्थायी रूप

- से, उस मतदान बूथ पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।
3. मतदान मशीन बन्द करने के पश्चात् तत्काल ज्योंही संभव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा।
 4. राज्य निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान बूथ पर मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान बूथ पर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।
 5. जहां मतदान, ऊपर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मतदान मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया है वहां मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे मतदान के बन्द होने पर रखे जाते हैं।
 6. आयोग द्वारा अधिसूचित दिनांक व समय पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए आगे की कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-14

मतदान की समाप्ति तथा मतदान मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मुहर लगाना

(1) मतदान को बन्द किया जाना :-

1. पीठासीन अधिकारी नियम 58 (परिशिष्ट-4 के अध्याय-6) के अधीन नियत किये गये समय पर मतदान बूथ को बन्द करेगा और उसके पश्चात् मतदान बूथ में किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं करने देगा। मतदान बन्द करने के नियत समय से कुछ मिनट पूर्व उन सब व्यक्तियों के समक्ष जो मतदान देने के लिये मतदान बूथ की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी-बारी से अपना मत रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे आप ऐसे समस्त मतदाताओं को एक पंक्ति जिस पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर एवं क्रम संख्या अंकित है, वितरित कर दें। उन समस्त मतदाताओं को पंक्तियां पंक्ति के अंतिम छोर (एक से प्रारम्भ करते हुये) से बांटना प्रारम्भ करते हुये पंक्ति के अग्रिम भाग तक बांट दी जाये। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के पश्चात् भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे समस्त मतदाता अपना मत नहीं दे देते हैं। मतदान की समाप्ति के पश्चात् कोई भी अन्य व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देख-रेख के लिये आप मतदान बूथ पर तैनात पुलिस/कर्मचारियों को हिदायत दें।
2. मतदान बन्द करने के लिये नियत समय पर उपस्थित समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान किये जाने के पश्चात् आप मतदान समाप्ति की विधिवत् घोषणा कर दें और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने की अनुमति नहीं दें।

(2) मतदान समाप्ति पर मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को बन्द करना :-

1. 'Close' बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए 'Close' बटन दबाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक, मत देने से वंचित तो नहीं रह गया है।
2. आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'Close' बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब नियंत्रण यूनिट का 'Busy' लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् ही Close बटन दबाना चाहिए।
अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश 'बैलेट' बटन दबाये जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा 'बैलेट' बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड करने से इन्कार करने के कारण यदि 'Busy' लैम्प चालू हो जाता है तो 'Busy' लैम्प को नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट (यूनिटों) से सम्बंध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को सम्बंध विच्छेद करने के पश्चात् 'पावर' स्विच को पुनः चालू किया जाना चाहिए। अब 'Busy' लैम्प बुझ जायेगा और 'Close' बटन क्रियाशील हो जायेगा।
3. अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड नहीं किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, आपको नियंत्रण यूनिट के 'Close' बटन को दबाये। 'Close' बटन दबाने पर नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन पैनल, मतदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या प्रदर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप-14 के भाग I में तत्काल अंकित कर लेने चाहिए।
4. 'Close' बटन पर लगी प्लास्टिक/रबड की कप को वापिस लगा दें।

(3) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना :-

1. आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् राज. पंचायतीराज (निर्वाचन) नियमों के नियम 47 ग के अधीन मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा मत लेखा प्ररूप 14 के भाग 1 में तैयार किये जायेंगे।
2. जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है मतदान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 'Total' बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को पुनः दबाया जा सकता है।
3. आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या, मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर आप द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) के स्तम्भ-1 के अनुसार दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।
4. मतों के लेखा (प्ररूप-14) का भरा हुआ नमूना परिशिष्ट-8 पर आपके मार्गदर्शन के लिए दिया गया है।
5. दोनों चुनाव (जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) के लिए रिकार्ड किये गये मतों व पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14) पृथक-पृथक रूप से तैयार किया जायेगा। जिला परिषद् सदस्य का प्ररूप-14 लिफाफा नं. (PE-54) में तथा पंचायत समिति सदस्य का प्ररूप-14 लिफाफा नं. (PE-53) में रखा जायेगा। दोनों चुनावों से संबंधित प्ररूप-14 की अतिरिक्त प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित लिफाफा सं. (PE-52) में भी रखी जानी चाहिए।
इसी प्रकार सरपंच पद का प्ररूप-14 लिफाफा नं. (PE-54A) में तथा पंच पद का प्ररूप-14 लिफाफा नं. (PE-53A) में रखा जायेगा। दोनों चुनावों से संबंधित प्ररूप-14 की अतिरिक्त प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित लिफाफा सं. (PE-52A) में भी रखी जानी चाहिए।
6. मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता प्ररूप 14 में आप द्वारा तैयार किये गये मतों के लेखा की प्रति लेना चाहे तो उसे प्रमाणित करते हुए उक्त प्रति दे दें।

(4) मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना

1. मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप-14 में तैयार करने के पश्चात् मतदान मशीन को मुहर बन्द किया जाना चाहिए।
2. मतदान मशीन को मुहर बन्द करने और सुरक्षित करने के लिए नियंत्रण यूनिट के पावर स्विच को बन्द कर मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहिए।
3. मतदान यूनिट के ऊपर एड्रेस टैग पर अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों और अपनी हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करते हुये एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर लगाते हुये सील किया जाना चाहिए। एड्रेस टैगों पर विशिष्टियाँ साफ-साफ लिखी होनी चाहिये।
4. मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को संबंधित कैरिंग बक्से में रख देना चाहिए।
5. अब कैरिंग बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में धागा डालकर सील किया जाना चाहिए तथा एक एड्रेस टैग जिस पर निर्वाचन संबंधित जानकारी को दर्शाते हुये एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर तथा हस्ताक्षर कर संलग्न कर देना चाहिए।

(5) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा करना :-

मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा करेगा और वहां उपस्थित अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को कहेगा कि मतदान यूनिट व नियंत्रण यूनिट एवं बक्सों पर लगे एड्रेस टैग और कागजात जिनको कि वह मोहर बंद कर रहा है उन पर चाहे तो वे भी अपनी हस्ताक्षर कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी की घोषणा प्ररूप (परिशिष्ट-7) के भाग-3 में ऐसे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेगा तथा ऐसे अभिकर्ताओं जिन्होंने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हो तो उनके नाम भी इस प्ररूप में अंकित करेगा। पीठासीन अधिकारी की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् पृथक्-पृथक् लिफाफे, जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा संख्या (PE-56) एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा संख्या (PE-55) में रखा जायेगा और सीलबन्द नहीं किया जायेगा।

इसी प्रकार सरपंच पद के लिए लिफाफा संख्या (PE-56A) एवं पंच पद के लिए लिफाफा संख्या (PE-55A) तैयार किया जायेगा और उसे सीलबन्द नहीं किया जायेगा।

(6) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को मुहर बंद करना :-

1. मतदान की समाप्ति के पश्चात् आपको दोनों चुनावों (पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य) के लिए पृथक्-पृथक् निम्न चार प्रकार के 8 लिफाफों को परिशिष्ट-12 के अनुसार पृथक्-पृथक् सीलबन्द करना है जो निम्न प्रकार से है :-

1) प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. PE-44 एवं PE-45
2) प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. PE-46 एवं PE-47
3) निविदत मतपत्र की सूची	लिफाफा नं. PE-48 एवं PE-49
4) अप्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. PE-50 एवं PE-51

इसी प्रकार पंच पद एवं सरपंच पद के लिए पृथक्-पृथक् निम्न चार प्रकार के 8 लिफाफों को परिशिष्ट-12A के अनुसार पृथक्-पृथक् सीलबन्द करना है जो निम्न प्रकार से है :-

1) प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. PE-44A एवं PE-45A
2) प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. PE-46A एवं PE-47 A
3) निविदत मतपत्र की सूची	लिफाफा नं. PE-48A एवं PE-49 A
4) अप्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. PE-50A एवं PE-51 A

2. निम्नांकित कागजात जो दोनों चुनावों (पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य) के लिए एक ही उपयोग में आये है उसके दोनों चुनावों के लिये निम्नलिखित सम्मिलित लिफाफे तैयार करने हैं और इन्हें पृथक्-पृथक् सील बन्द करना है।

1) निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. PE-42
2) मतदाताओं का रजिस्टर	लिफाफा नं. PE-43

इसी प्रकार निम्नांकित कागजात जो दोनों चुनावों (पंच एवं सरपंच पद) के लिए एक ही उपयोग में आये है उसके दोनों चुनावों के लिये निम्नलिखित सम्मिलित लिफाफे तैयार करने हैं और इन्हें पृथक्-पृथक् सील बन्द करना है।

1) निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. PE-42A
2) मतदाताओं का रजिस्टर	लिफाफा नं. PE-43A

(7) अन्य कागजात तैयार करना :-

उपरोक्त में बताये गये सीलबन्द लिफाफों के अलावा निम्नांकित लिफाफे और तैयार होंगे लेकिन उन्हें सीलबन्द नहीं किया जायेगा जो निम्न प्रकार से है :-

1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप-14 दो प्रतियों में बनाया जायेगा इसकी प्रतियां दोनों चुनावों के लिए पृथक्-पृथक् तैयार की जायेंगी। जिला परिषद् सदस्य के चुनाव से संबंधित

एक प्रति पृथक लिफाफा नं. (PE-54) में रखी जायेगी और दूसरी प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी में संलग्न कर लिफाफा (PE-52) में रखी जायेगी।

पंचायत समिति सदस्य के चुनाव से संबंधित प्ररूप-14 की एक प्रति पृथक लिफाफा नं. (PE-53) में रखी जायेगी और दूसरी प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी में संलग्न कर लिफाफा (PE-52) में रखी जायेगी।

इसी प्रकार पंच पद के लिए पृथक लिफाफा संख्या PE-53A तथा सरपंच पद के लिए PE-54A तथा दोनों पदों की एक प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ एक लिफाफा PE-52A में रखी जायेगी

पिंक पेपर सीलों का लेखा पृथक से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिंक पेपर सीलों का लेखा प्ररूप-14 रिकार्ड किये गए मतों का लेखा के भाग-1 के मद 9 में ही अंकित करना है।

2. पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति पर की गयी घोषणायें

- | | |
|---|-------------------|
| 1) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिए की गई घोषणायें | लिफाफा नं. PE-56 |
| 2) पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए की गई घोषणायें | लिफाफा नं. PE-55 |
| 3) सरपंच पद के चुनाव के लिए की गई घोषणायें | लिफाफा नं. PE-56A |
| 4) पंच पद के चुनाव के लिए की गई घोषणायें | लिफाफा नं. PE-55A |
| 3. पीठासीन अधिकारी की डायरी (ZP एवं PS के लिए एक) | लिफाफा नं. PE-52 |
| 4. सांख्यिकी आंकड़ों का लिफाफा (ZP एवं PS के लिए एक) | लिफाफा नं. P-2 |
| 5. पीठासीन अधिकारी की डायरी (पंच एवं सरपंच के लिए एक) | लिफाफा नं. PE-52A |
| 6. सांख्यिकी आंकड़ों का लिफाफा (पंच एवं सरपंच के लिए एक) | लिफाफा नं. P-2A |
| 7. विविध कागजात का लिफाफा संख्या PE-57 जिसमें निम्नांकित कागजात होंगे (ZP एवं PS के लिए एक):- | |

- 1) अप्रयुक्त मतदाता पर्चिया (दोनों चुनावों की)
- 2) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग (दोनों चुनावों की)
- 3) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्ररूप (दोनों चुनावों की)
- 4) मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियां (चिह्नित मतदाता सूची से भिन्न)
- 5) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची
- 6) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें
- 7) अन्य विविध कागजात

8. विविध कागजात का लिफाफा संख्या PE-57A जिसमें निम्नांकित कागजात होंगे (पंच एवं सरपंच के लिए एक):-

- 1) अप्रयुक्त मतदाता पर्चिया (दोनों चुनावों की)
- 2) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग (दोनों चुनावों की)
- 3) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्ररूप (दोनों चुनावों की)
- 4) मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियां (चिह्नित मतदाता सूची से भिन्न)
- 5) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची
- 6) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें
- 7) अन्य विविध कागजात

इस प्रकार संक्षिप्त में आपको लिफाफा नं. PE-42 से PE-51 एवं PE-52A से PE-57A तक तो चपड़ी से सीलबन्द करने हैं। तथा लिफाफा नं. P-2, PE-52 से PE-57 एवं P-2A, PE-52A से PE-57A तक आपको सील नहीं करने हैं। लिफाफा तैयार करते समय उन पर पृष्ठांकन करना नहीं भूलें। पृष्ठांकन प्रविष्टियां पूर्ण रूप से लिखें।

अध्याय—15

चुनाव अनियमितताएं

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22 निर्वाचन अपराध के उद्धरण परिशिष्ट-3 में दिये गये हैं। धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132 क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के प्रावधान भी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धाराओं के उद्धरण भी परिशिष्ट-2 में बताये गये हैं। अतः जो चुनाव सम्बन्धी अनियमितताएं, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन अपराध, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में माने गये हैं। वे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भी माने जायेंगे और इन प्रावधानों के विपरीत कोई भी व्यक्ति कार्य करता है या आचरण करता है तो उसके विरुद्ध आप ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग ले सकते हैं। यद्यपि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के निर्वाचन संबंधी विवादों के प्रावधान आपके अवलोकन के लिये पुस्तक में उद्धरित कर दिये गये हैं फिर भी निम्न प्रावधानों को संक्षेप में आपको बताया जा रहा है।

1. **चुनाव सभाओं आदि पर रोक:-** मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घण्टों की अवधि में चुनाव सभाओं, जुलूसों, सिनेमा, टीवी पर प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से चुनाव प्रचार पर रोक है। (धारा 126)
2. चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मिकों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष/विपक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के कृत्य को अपराध माना गया है। (धारा 129)
3. **मत संयाचना पर रोक :-** मतदान बूथ में और मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रचार करे तो पुलिस द्वारा उसे बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ता उस उम्मीदवार का, जिसका वह अभिकर्ता है, चुनाव-चिन्ह या उम्मीदवार के नाम का बैज नहीं पहन सकता है। इस प्रकार के बैज को चुनाव सम्बंधी चिन्ह का प्रदर्शन माना जायेगा जिसकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अनुसार दण्डनीय अपराध है।
4. **उम्मीदवारों के चुनाव बूथ (मंडप) :-** मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव बूथ लगाने की अनुमति है।
5. **मतदान बूथ के अन्दर या निकट उच्छृंखल आचरण:-** अगर कोई व्यक्ति उच्छृंखल आचरण करे तो आप उसे तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं। यदि लाउडस्पीकर या मेगाफोन की आवाज के कारण मतदान बूथ की कार्यवाही में बाधा होती है तो आप उसे पुलिस द्वारा फौरन बन्द करवा सकते हैं। (धारा 131)
6. **उच्छृंखल व्यक्तियों को हटाया जाना :-** यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय मतदान बूथ में उच्छृंखलता करता है या आपके कानूनी निर्देशों को नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप मतदान बूथ से पुलिस के द्वारा या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हटवा सकते हैं और यदि ऐसा व्यक्ति पुनः बिना आपके अनुमति के मतदान बूथ में प्रवेश करे तो आप उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। (धारा 132)
7. **मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिये वाहनों का गैर कानूनी ढंग से किराये पर लेना:-** आपके पास मतदाताओं को गैर कानूनी ढंग से लाने-ले जाने को रोकने के लिये कोई कारगर साधन नहीं है। लेकिन इस प्रकार कोई शिकायत आपके सामने की जावे तो आप शिकायत करने वाले को समझा दें कि वह अपराध करने वालों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 125(5) के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवा दें साथ ही आप भी समय समय पर भ्रमण कर रहे जोनल मजिस्ट्रेटों अथवा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त अवगत करा दें एवं पुलिस

कर्मचारी/अधिकारी को भी आप बता दें। साथ ही शिकायत करने वाले को यह भी समझा दें कि समय आने पर ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव याचिका में इस आधार का वह उपयोग कर सकता है।

8. **चुनाव अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यवाही की अवहेलना :-** यदि कोई पीठासीन अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर बिना किसी कारण के किसी ऐसे काम को करता हुआ पाया जाये या उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे सरकारी कार्यवाही भंग होती है तो ऐसा कर्मचारी धारा 134 के अन्तर्गत अपराध कारित करता है।
9. सरकारी कर्मचारी के किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता होने को भी अपराध माना गया है। (धारा 134 क)
10. पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कानून-व्यवस्था का कार्य देख रहे अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान बूथ में कोई शस्त्र नहीं ले जा सकता, इसका उल्लंघन भी अपराध है। (धारा 134 ख)
11. EVM या निर्वाचन संबंधी कागजात एवं मतपत्रों को कोई व्यक्ति जबरदस्ती लेने का प्रयास करे या ले जाये तो ऐसी स्थिति में आप तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस अधिकारी को भी रिपोर्ट करेंगे।
12. बूथ कैचरिंग धारा 135 क के अंतर्गत अपराध है।
13. मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपना मत दे सकें। (धारा 135 ख)
14. मतदान समाप्ति पर पूर्ण होन वाली 48 घंटे की अवधि में शराब का बेचना, वितरण करना या दिया जाना अपराध है। (धारा 135 ग)

अध्याय—16

मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा कराना

जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशानुसार बताये गये संग्रहण स्थल पर आपको मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात तथा अन्य सामग्री को जमा कराना है। साधारणतः संग्रहण स्थल पर मतदान मशीन, निर्वाचन कागजात एवं अन्य सामग्री को जमा कराने के लिये तीन काउंटर रखे जायेंगे, हालांकि उनमें थोड़ा फेर-बदल जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तीन प्रकार के काउंटर जहां कि आपको सामग्री जमा करानी है, वे निम्न प्रकार से होंगे, जहां पर निम्न प्रकार की सामग्री जमा करानी है:—

काउंटर नं. 1

जो कि स्ट्रांग रूम का होगा उस पर आपको निम्न आईटम जमा कराने है जहाँ संबंधित चुनाव के लिये अलग-अलग (पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य) जमा होंगे:—

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) उपयोग में ली गयी सीलबंद मतदान यूनिट व कंट्रोल यूनिट | |
| (2) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा एवं पेपर | लिफाफा नं. PE-53 एवं PE-54 |
| सीलों का लेखा (प्ररूप-14) | (बिना सील किया हुआ) |
| (3) पीठासीन अधिकारी की घोषणा | लिफाफा नं. PE-55 एवं PE-56 |
| | (बिना सील किया हुआ) |
| (4) पीठासीन अधिकारी की डायरी | लिफाफा नं. PE-52 |
| | (बिना सील किया हुआ) |
| (5) सांख्यिकी सूचना | लिफाफा नं. P-2 |
| | (बिना सील किया हुआ) |

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव से संबंधित उपरोक्त लिफाफे संख्या P-2A, PE-52A से PE-56 A तक बिना सील किये हुए लिफाफे जमा किये जायेंगे।

काउंटर नं. 2

काउंटर नं. 2 पर निम्नांकित लिफाफे जमा करवाये जायेंगे :—

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) निर्वाचन नामावलियों की चिन्हित प्रति | लिफाफा नं. PE-42 |
| (2) मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) | लिफाफा नं. PE-43 |
| (3) प्रयुक्त मतदाता पर्चियां | लिफाफा नं. PE-44 एवं PE-45 |
| (4) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र | लिफाफा नं. PE-46 एवं PE-47 |
| (5) निविदत्त मतपत्रों की सूची | लिफाफा नं. PE-48 एवं PE-49 |
| (6) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र | लिफाफा नं. PE-50 एवं PE- 51 |

उपरोक्त सभी लिफाफे (नं. PE- 42 से PE-51) सीलबंद होंगे। जिनका एक पैकेट अलग होगा।

काउंटर नं. 2 पर विविध कागजात का लिफाफा नं. PE-57 भी जमा होगा जो सील किया हुआ नहीं होगा। लिफाफा नं. PE-57 में निम्नांकित कागजात रखे होंगे :—

- (1) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां (दोनों चुनावों की)
- (2) अप्रयुक्त एट्रेस टैग एवं स्पेशल टैग (दोनों चुनावों की)
- (3) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म, (प्ररूप-9 दोनों चुनावों की)
- (4) निर्वाचक नामावलियों की अन्य प्रतियां (चिन्हित प्रति को छोड़कर)

- (5) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ व सूची
- (6) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें
- (7) अन्य निर्वाचक कागजात

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच के चुनाव से संबंधित उपरोक्त लिफाफे संख्या PE- 42A से PE-51A तक सील किये हुए लिफाफे एवं PE- 57A बिना सील किया हुआ लिफाफा जमा किये जायेंगे।

काउंटर नं. 3

काउंटर नं. 3 पर अन्य चुनाव सामग्री जमा करवायी जायेंगी जो निम्न प्रकार है:-

- (1) पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील
- (2) पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका एवं अन्य कानूनी पुस्तकें
- (3) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की निर्देशिका
- (4) स्टाम्प पैड
- (5) स्टाम्प पैड इंक
- (6) अमिट स्याही की शीशी
- (7) ऐरोक्रास माक्र सील
- (8) मेटल रूल
- (9) कपडे के पर्दे अथवा कार्ड-बोर्ड कम्पार्टमेंट
- (10) सुभेदक चिन्ह की सीलें
- (11) रबर सीलें केन्सिल
- (12) अप्रयुक्त मतदान/कन्ट्रोल यूनिट
- (13) केनवास बैग
- (14) डमी बैलेट यूनिट
- (15) अन्य कोई सामग्री जो दी गई है।

यहां एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे आपको उपरोक्तानुसार सभी तैयार करने हैं, चाहे कोई सूचना शून्य क्यों न हो तथा उन लिफाफों में सम्बन्धित प्ररूप भी पूर्ति करके रखने हैं चाहे उनमें सूचनाएँ शून्य ही क्यों न हो। आपको काउंटरोँ पर उपरोक्तानुसार सामग्री अच्छी तरह से सम्भलवा कर उसकी रसीद भी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त कर, काउंटर छोड़ना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

यहां आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात आप यथाशीघ्र कागज पत्रों के पैकिट बन्द करेंगे और जिन पर चपड़ी से सील लगनी है उन्हें ही चपड़ी से सील करेंगे अन्य को नहीं तथा मतदान बूथ पर बिना समय व्यतीत किये आप सामग्री जमा करने के लिये संग्रहण स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पहुंच जायेंगे तथा बीच रास्ते में अन्य किसी स्थान पर नहीं जायेंगे और ना ही अनावश्यक रूप से रुकेंगे।

अध्याय—17

पीठासीन अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

(1) नियुक्ति होने पर

1. जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप निम्नलिखित बातों की सावधानी पूर्वक जांच और परीक्षा कर लें:-

- 1) अपने मतदान केंद्र का नाम और उसका संख्यांक;
- 2) जिला परिषद व पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, जिसके भीतर वह मतदान बूथ स्थित है;
- 3) अपने मतदान बूथ का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जायेंगे, आप उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते एवं मोबाईल नंबर अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय पता एवं मोबाईल नंबर उनको दे दें।

आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप मतदान मशीन के प्रचालन से पूर्णतः परिचित हो जायें। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें, क्योंकि इससे आप गलती कर सकते हैं। अनुदेशों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

2. निम्नलिखित पैम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें:-

- 1) पीठासीन/रिटर्निंग/मतदान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका
- 2) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका;
- 3) पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के वे पत्र/आदेश जिसमें महत्वपूर्ण अनुदेश दिये गये हों।

3. आप परिशिष्ट -5 में बताई गई मतदान सामग्री की मदों की जानकारी प्राप्त कर लें। दोनों चुनावों के लिए वोटिंग मशीन मॉडल के आधार पर निर्धारित कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट का मिलान कर लें।

4. आप नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा नियंत्रण यूनिट को बंद करने और मुहरबंद करने की रीति और विधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। दोनों चुनावों की कंट्रोल यूनिटें एवं बैलेट यूनिटें आपस में मिल नहीं जायें।

5. आप उपाबंधों में दिये गये विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

6. आप परिशिष्ट-1, 2 व 3 में दिये गये भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की सुसंगत धाराओं और परिशिष्ट-4 में दिये गये राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियमों के संबंधित प्रावधानों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करें और अपने संदेह का निराकरण कर लें। आप कभी किसी बात के बारे में संदिग्ध स्थिति में न रहें।

(2) मतदान सामग्री प्राप्त करते समय

1. अपने मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्बन्ध बनाये रखें।
2. जब तक टीमवर्क नहीं होगा आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।
3. यह सुनिश्चित कर लें कि :-
 - 1) आपके मतदान बूथ पर दोनों चुनावों के लिये उपयोग की जाने वाली मतदान मशीन अर्थात् मॉडल के आधार पर निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट प्रदान कर दी गई हैं एवं चुनाव से संबंधित स्टीकर एवं एड्रेस टैग एवं मतपत्र मशीन पर लगे हुये हैं।
 - 2) प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा हुआ है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।
 - 3) प्रत्येक मतदान यूनिट पर 'स्लाइड स्विच' समुचित स्थिति में है।
 - 4) नियंत्रण यूनिट के कैंण्डिडेट सेट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहर बंद किया हुआ है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा हुआ है।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है।
5. विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, दोनों रंग की मतदाता पर्ची, दोनों प्रकार के निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतों के लिए ऐरोक्रास मार्क, रबड़ की स्टॉम्प, पिक पेपर सील, स्ट्रिप सील, मुहर बंद करने के लिए मोमबत्ती, अमिट स्याही, दोनों प्रकार के एड्रेस टैग, दोनों प्रकार के स्पेशल टैग आदि की जांच कर लें।
6. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में PB (Postal Ballot) से भिन्न कोई चिन्ह न हो।
7. यह भी देख लें कि:-
 - 1) हटाये गये नाम और अनुपूरक सूचियों के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये हैं।
 - 2) काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल प्रति में क्रम से संख्यांकित है।
 - 3) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

(3) मतदान बूथ की स्थापना एवं मतदान पूर्व की प्रक्रिया

1. मतदान बूथ पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व पहुँचे।
2. यथासाध्य, मॉडल ले-आउट के अनुसार ही मतदान बूथ स्थापित करें और मतदान बूथ पर मतदाताओं के आने-जाने के लिए पृथक-पृथक प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।
3. मतदान के दिन आपके मतदान बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।
4. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।
5. मशीन के मॉडल के आधार पर दोनों चुनावों के लिये प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को ध्यान में रखते हुये जोड़ें।
6. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को चालू कर दें।

7. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और कुछ गांठे लगाकर सुरक्षित कर लें।
 8. उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन में चुनाव संबंधित कोई डॉटा संग्रहित नहीं है और इसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।
 9. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर मॉकपॉल का संचालन करायें।
 10. मॉकपॉल के संचालन के पश्चात् समस्त उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे मॉकपॉल का परिणाम दिखाकर मतदान मशीन के डॉटा को क्लीयर कर दें।
 11. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष में पिंक पेपर सील लगा दें।
 12. रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।
 13. मुद्रित क्रम संख्या के नीचे पेपर सील की सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।
 14. उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हो पेपर सील पर हस्ताक्षर करा लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।
 15. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को स्पेशल टैग से सील करें।
 16. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद कर दें और सील कर दें उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।
 17. मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।
 18. स्ट्रिप सील के साथ कंट्रोल यूनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील करें।
 19. मतदान कक्ष में मतदान यूनिट (यूनिटों) को रखें। नियंत्रण यूनिट को आप अपनी मेज पर रखें।
 20. परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़े।
 21. उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 'PB' से भिन्न कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है।
 22. यह भी दिखायें कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 12) में कोई प्रविष्टि नहीं है।
- (4) मतदान प्रारंभ करते समय एवं मतदान के दौरान**
1. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा (परिशिष्ट-7) को पढ़ें, मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर कराएँ और स्वयं हस्ताक्षर करें। दोनों चुनावों के लिए पृथक-पृथक घोषणा करनी है।
 2. नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।
 3. मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (परिशिष्ट-02) को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।
 4. दिये गये किसी भी समय में मतदान बूथ के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।
 5. निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें।
 6. आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के प्रति सम्यक् शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उनके द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हें प्रदान करें।
 7. मतदान बूथ के एक सौ मीटर तक चुनाव प्रचार करना एक अपराध है।
 8. मतदान बूथ में धूम्रपान निषिद्ध है।
 9. किसी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान के लिए आये उसे विशेष व्यवहार या महत्त्व नहीं दें।
 10. किसी मतदान अभिकर्ता को अभ्यर्थी या पार्टी का चुनाव चिन्ह धारण नहीं करने दें।

11. मतदाता जब मतदान कक्ष में मत दे रहा हो तब आप उस समय किसी अन्य को वहां जाने की अनुमति न दें और उसकी फोटो भी उस समय न लेने दें।
12. मतदान दल के सदस्यों के कार्यों को समझाते हुये उन्हें इस पुस्तक के अध्याय-4 के अनुरूप कार्य का विभाजन कर दें।
13. निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात करें जिसमें उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक अनुज्ञात न करें जब तक कि उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।
14. प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।
15. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।
16. यदि निर्वाचक के नाम से किसी अन्य द्वारा पहले ही मत दे दिया गया हो, और उसके पश्चात् असली निर्वाचक मतदान बूथ पर आता है और उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड नहीं करने दें अपितु ऐसे निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें।
17. ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिसको निविदत्त मतपत्र जारी किये गये है। दोनों चुनावों के लिए निविदत्त मतपत्र पृथक-पृथक लिफाफे में रखें जायें और इसी प्रकार दोनों चुनावों के लिए निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप 13) पृथक-पृथक लिफाफे में रखी जायें। टेण्डर मतपत्र जारी करने पर निर्वाचक नामवली की चिन्हित प्रति में 'टी' अक्षर अंकित कर दें।
18. ऐसे किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें जो आप द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करें।
19. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्तियां स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि भी करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर में स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।
20. यदि मतदान के दौरान अपरिहार्य परिस्थितिवश वोटिंग कपांटमेंट में जाना पड़े तो निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी साथ आने के लिए कहें।
21. डमी बैलेट यूनिट से मतदाताओं को मत देने का तरीका समझायें, यदि वे ऐसा चाहें तो।
22. मतदान की समाप्ति पर पंक्ति में खड़े समस्त निर्वाचकों को, पंक्ति के अन्तिम छोर से प्रारम्भ करते हुए क्रम संख्या लिखी पर्ची वितरित करें।
23. ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी पर्ची जारी की गई हैं चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात् भी जारी क्यों न रखना पड़े।

(5) मतदान समाप्ति के समय

1. ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् मतदान बंद किये जाने की औपचारिक घोषणा करें।
2. नियंत्रण यूनिट पर 'Close' बटन को दबाकर मतदान मशीन बंद कर दें। Close बटन दबाये जाने के पश्चात् 'Close' बटन के ऊपर लगी प्लास्टिक की कैप को वापिस लगा दें।
3. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 14) तैयार करें।
4. मतदान के बंद करने के पश्चात् मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का संबंध विच्छेद कर दें।
5. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में पॉवर स्विच को बंद कर दें।
6. नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उनके अपने-अपने कैरिंग बक्सों में रखें।

7. कैरिंग बक्सों को दोनो ओर से सील कर दें। प्रत्येक कैरिंग बक्सों पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें। जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित वहन बक्सों पर पीले रंग के तथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित वहन बक्सों पर नीले रंग के एड्रेस टैग लगायें। इसी प्रकार सरपंच चुनाव से संबंधित इवीएम के वहन बक्सों पर सफेद रंग के एड्रेस टैग तथा पंच चुनाव से संबंधित इवीएम के वहन बक्सों पर गुलाबी रंग के एड्रेस टैग लगायें।
8. समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन कैरिंग बक्सों पर लगे टैग पर अपने हस्ताक्षर करने के लिये अनुज्ञात करें।
9. समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक पैकेटों में सील करें तथा मतदान अभिकर्ताओं को अपने हस्ताक्षर करने के लिये अनुज्ञात करें।
10. मतदान बूथ पर हुई घटनाओं का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी जब कभी भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण करते चलें।

(6) मतदान स्थगन की स्थिति में

1. यदि मतदान बूथ पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।
2. यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गयी है या क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उनमें गड़बड़ की गयी है तो मतदान बन्द कर दें। रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

प्ररूप - 1
डाक मतपत्र हेतु
रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन-पत्र

प्रेषित:-

रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत समिति/जिला परिषद* (नाम)
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

महोदय,

मैं पंचायत समिति/जिला परिषद*
..... के सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या के होने वाले निर्वाचन में
अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम पंचायत समिति व जिला परिषद
..... के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या में समविष्ट ग्राम पंचायत
..... के वार्ड संख्या की निर्वाचक नामावली के क्रम
संख्या पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र इस पते पर भेजा जायें

पता:-

भवदीय

.....

.....

.....

स्थान

तारीख

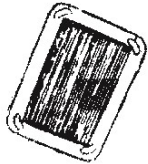
नोट:- जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचक हेतु डाक मतपत्र प्राप्त करने
के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायें

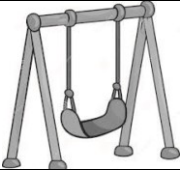
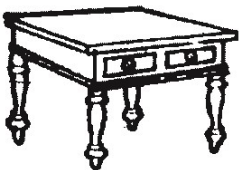
*जो लागू ना हो, उसे काट दीजिए।

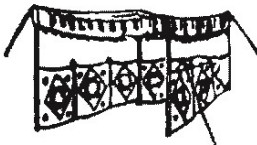
प्ररूप – 5

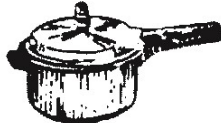
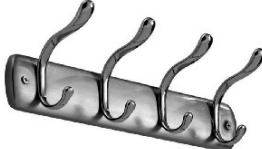
विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये हैं और वापस नहीं लिये गये हैं

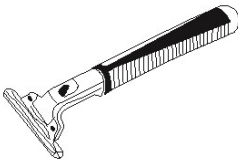
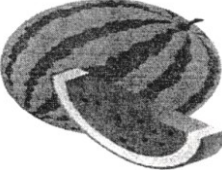
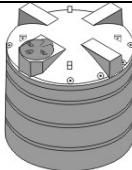
.....पंचायत के लिए निर्वाचन (सरपंच चुनाव)
निर्वाचन की तारीख.....

क्र.स.	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		

35		
36		
37		
38		
39		
40		

तारीख.....

स्थान.....

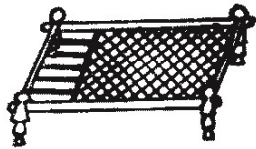
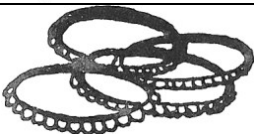
रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

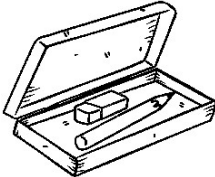
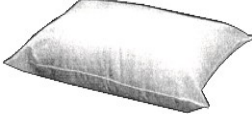
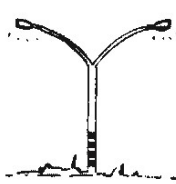
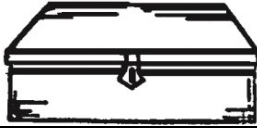
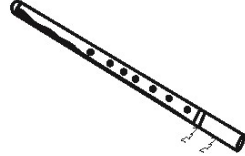
प्ररूप – 5

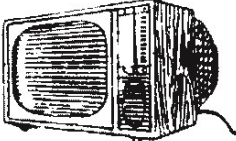
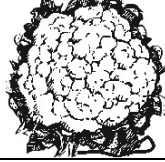
विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये हैं और वापस नहीं लिये गये हैं

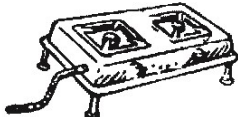
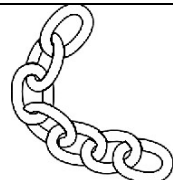
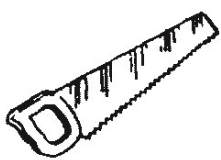
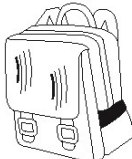
.....पंचायत के लिए निर्वाचन (पंच चुनाव)

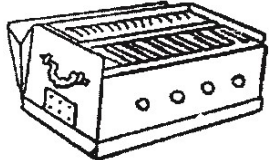
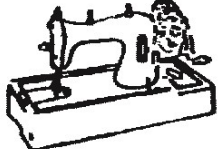
निर्वाचन की तारीख.....

क्र.स.	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		

35		
36		
37		
38		
39		
40		

तारीख.....

स्थान.....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

प्ररूप – 7

(नियम – 52, 59, 60, 61 देखिये)

पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद के सदस्य

पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषदकुल निर्वाचक मण्डल पंचायत समिति जिला निर्वाचन

की तारीख

कुल निर्वाचक मण्डल सहित वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (आरक्षण के ब्यौरे, यदि कोई हो)	नियम 29(2) के अधीन निर्विरोध घोषित अभ्यर्थियों का नाम (केवल जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनीतिक दल का नाम)	उन अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिए विधिमाम्य मत डाले गये (केवल जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनीतिक दल का नाम)	कॉलम (2) व (3) में उल्लेखित अभ्यर्थियों की विशिष्टियां						प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गये विधिमाम्य मतों की संख्या	नामंजूर किये गये मतों की संख्या	नियम 51 के अधीन लॉट का यदि कोई हो, परिणाम	अभ्युक्तियाँ
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)				
			पता	जाति (अनु. जाति या अनु. जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख कीजिये)	शैक्षिक स्तर, क्या निरक्षर/मिडिल से कम/मैट्रिक/स्नातक है	आयु वर्षों में	व्यवसाय	क्या पूर्व में पंच या सरपंच का पद धारित किया है				
1	2	3	4						5	6	7	8
		नोटा (इनमें से कोई नहीं)										

मैं, इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट वार्डों से पंच के रूप में निर्वाचन क्षेत्र संख्या से उपर्युक्त पंचायत के सरपंच के रूप में/पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के रूप में, निर्वाचित हुआ है/हुए हैं।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम (पंच या सरपंच) सदस्य, पंचायत समिति/जिला परिषद	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम और पता	लिंग	जाति	वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7

स्थान

दिनांक

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-8
(नियम 68 देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं

*पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से पंचायत समिति सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य के

निर्वाचन का जो को होने जा रहा है,

अभ्यर्थी, इसके द्वारा श्री को

(अभिकर्ता का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ

स्थान

तारीख

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान

तारीख

.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप-9
(नियम 69 देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत
*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य
*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र
से जिला परिषद के सदस्य;

मैं, अभ्यर्थी
जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा
..... (नाम और पता)
..... को स्थान पर मतदान बूथ
सं. में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान
तारीख मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन
बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप-10
(नियम 70 देखिए)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य,
*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र
से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

मैं, अभ्यर्थी
जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता
को इसके द्वारा
(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान पर गणना अभिकर्ता
के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान
तारीख गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन
बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप – 11
(नियम – 75 देखिये)

शपथ का प्रारूप

मैं,.....पंच/सरपंच/प्रधान/उप-प्रधान/प्रमुख/उप-प्रमुख
/पंचायत समिति/पंचायत की जिला परिषद/पंचायत समिति/जिला परिषद
का सदस्य, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का, जिनमें
मैं प्रवेश करने वाला हूँ, सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और

1. मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
2. मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
3. मैं न गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को फैलाने दूंगा।
4. मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक न तो गंदगी फैलाते हैं और न ही फैलाने देते हैं।
5. मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
6. मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
7. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर
या अंगुठे की छाप
पदनाम सहित

रिटर्निंग अधिकारी
या प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर पदनाम सहित

प्ररूप-12
(नियम 40क देखिए)

मतदाता रजिस्टर

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या जिला परिषद/

मतदान बूथ की संख्या व नाम.....

क्र.स.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी	अभ्युक्तियां
1			
2			
3			
4			
इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-13
(नियम 44क देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

.....निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या से.....

जिला परिषद्/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल के लिए निर्वाचन।

मतदान बूथ की संख्या और नाम.....

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में उन व्यक्तियों की क्रम संख्या जिन्होंने पहले ही निर्वाचक के स्थान पर मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
इत्यादि				

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-14
(नियम 47ग और 49घ (6) देखिए)

भाग-1
अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या से.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त के लिए निर्वाचन।
मतदान बूथ की संख्या और नाम
मतदान बूथ पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक.....
नियंत्रण यूनिट.....
मतदान यूनिट.....

1. मतदान बूथ को समनुदिष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या।
2. मतदाता रजिस्टर 'प्ररूप 12 में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या।
3. नियम 36क, 38क या 40क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या।
4. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
5. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
6. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44 क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये।
7. निविदत्त मतपत्रों की संख्या। क.स.....से.....तक
(क) उपयोग के लिए प्राप्त.....
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये.....
(ग) प्रयुक्त न किये गये और लौटाये गये.....
8. पेपर सील की क्रम संख्यासेतक

1. प्रदाय की गयी पत्र मुद्राओं (पेपर सील) की क्रम संख्यासेतक

अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

- | | |
|---|--------|
| 1. प्रदाय की गयी पेपर मुद्राओं की कुल संख्या..... | 1..... |
| 2. प्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या..... | 2..... |
| 3. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गयी | 3..... |
| अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या..... | 4..... |
| (मद 2 में से मद 3 घटाईए) | 5..... |
| 5. नष्ट हुई पत्र मुद्राओं का क्रम संख्यांक, यदि कोई है। | 6..... |
| | 7..... |

तारीख.....
स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान बूथ संख्या.....

भाग-2

गणना का परिणाम		
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग-1 की मद सं.- 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दो योगों के बीच में कोई भी फर्क देखा गया।

स्थान.....

तारीख.....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
पूर्ण हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-1
(देखें अध्याय-1, पैरा 2)

भारतीय न्याय संहिता 2023 के उद्धरण

172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण:— जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिये आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उत्पात करता है या उत्पात करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

174 निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्ड:— जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना:— जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनायें भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।
126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध:—
- (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान:—
 - (क) निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या
 - (ख) चलचित्र, टेलिविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या
 - (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
 - (2) वह व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।
 - (3) इस धारा में, “निर्वाचन संबंधी बात” पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।
127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव:—
- (1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिये उदीप्त करेगा (वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा)।
 - (1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।
 - (2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा में लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।
 - (3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति पर युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उप-धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस आफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

127. (क) पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन:-

- (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को-
 - (क) उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और ना ही मुद्रित करायेगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा
 - (ख) उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और ना ही मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित-
 - (i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा
 - (ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर भेज देता है।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
 - (क) दस्तावेज की अनेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा
 - (ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूल: प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है।
- (4) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. मतदाता की गोपनीयता को बनाए रखना:-

- (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा।
- (2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए न तो कार्य करेंगे और ना ही मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे:-

- (1) कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने

से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रेसर करने के लिए नहीं करेगा।

(2) उपरोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस दल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का, और ना ही

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का, और ना ही

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध:—

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिनको किसी मतदान बूथ में मतदान होता है, मतदान बूथ के भीतर या मतदान बूथ से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:—

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, और

(घ) निर्वाचन में मत देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ड.) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति:—

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान बूथ में मतदान होता है—

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधन मतदान बूथ के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायेगा और ना ही चलायेगा, और ना ही

(ख) मतदान बूथ के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लायेगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान बूथ में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान बूथ में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान बूथ के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

- (4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उप-धारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाये गये किसी साधन को अभिग्रहित कर सकेगा।

132. मतदान बूथ के अवचार के लिए शास्ति:-

- (1) जो कोई किसी मतदान बूथ में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालना में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान बूथ से हटा सकेगा।
- (2) उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे प्रयुक्त नहीं की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान बूथ में मत देने के लिए हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाये।
- (3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान बूथ से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान बूथ में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति:- यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति:- यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जैसा धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों में संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग:- यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य के लोभ का या युक्तियुक्त हेतु के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

- (1) (क) उप-धारा(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
- (2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी।
- (3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है या जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली या अर्थ इस धारा के लिए तदनुसार लगाया जायेगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति:- यदि सरकार की सेवा का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134ख. मतदान बूथ या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिशोध:-

- (1) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान बूथ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान बूथ पर कर्तव्यरूढ़ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान बूथ के

आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर नहीं जाएगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (3) आयुध अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जायेगी।
- (4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संदेय होगा।

135. मतदान बूथ से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा:—

- (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान बूथ से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जायेगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (2) यदि मतदान बूथ के पीठासीन अफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान बूथ छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा, परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, तलाशी ली जायेगी।
- (3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अफिसर द्वारा पुलिस अफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (4) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135.क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध:— जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए “बूथ का बलात् ग्रहण” के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;
- (ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

- (ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीडित करना या अभिन्नस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;
- (घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;
- (ङ.) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौन अनुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश संदेय होगा –

- (1) किसी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है तो उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होती तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ने किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उप नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना:—

- (1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पॉकशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

136. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियां:—

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति:—

- (क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा
- (ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा
- (ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा
- (घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति का कोई मतपत्र देगा, (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा), अथवा
- (ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा, अथवा
- (च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में हैं, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा
- (छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति:—

- (क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान बूथ में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा,
 - (ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गये मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु “पदीय कर्तव्य” पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अधिरोपित है।
- (4) उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

परिशिष्ट-3

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

18-क मिथ्या घोषणा करना:- यदि कोई व्यक्ति-

- (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा
 - (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित किये जाने के,
- संबंध में ऐसा कथन या घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

18-ग मत देने का अधिकार-

1. इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायतीराज संस्था के किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा:
 2. कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 18 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्याधीन है।
 3. कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य समझे जायेंगे।
- स्पष्टीकरण -** पंच या सरपंच या किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचन, जब साथ-साथ कराये जायें, पृथक्-पृथक् निर्वाचन समझे जायेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उसके सभी मत शून्य समझे जायेंगे।
 5. कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरुद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं:- किसी पंचायतीराज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायतीराज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

- (क) राजस्थान राज्य के विभाग मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है;
- परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;
- (कक) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीनानुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है;
 - (ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसायटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;
 - (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

- (घ) किसी भी पंचायतीराज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;
- (ङ) संबंधित पंचायतीराज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;
- (च) कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;
- (छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छः मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात् उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;
- (छछ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसने उसके विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;
- (ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है;
- (झ) संबंधित पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;
- (ञ) संबंधित पंचायतीराज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;
- (ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;
- (ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;
- (ड) पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायतीराज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यक्तिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;
- (ढ) राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है;
- (ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और
- (त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है;
- (थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो।

स्पष्टीकरण II :-

1. "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।
 2. "परिवार के सदस्य" में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता से अभिप्रेत है।
- इस प्रकार उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके

लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों दिया जाना है।

परन्तु—

- (i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायतीराज संस्था के बीच की गई किसी भी संविधा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;
 - (क) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति खण्ड (कक) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित समझा जायेगा;
 - (ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की, तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;
 - (iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;
 - (iv) खण्ड—(ठ) के प्रयोजन के लिए
 - (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्में किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा;
 - (ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ का तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;
 - (ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रसित हो;
- स्पष्टीकरण:—** शब्द दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होंगी।
- (v) खण्ड (छ) के प्रयोजनों के लिये, किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नाम निर्देशन पत्र फाईल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदाय कर देता है।

19—ख किसी पंचायती राज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध—

(1) इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यक्ति—

- (क) पंच के निर्वाचन की दशा में एक से अधिक वार्डों के लिए,
 - (ख) यदि वह सरपंच के रूप में निर्वाचन लड़ता है तो उस पंचायत में पंच के स्थान के लिए,
 - (ग) किसी पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस पंचायत समिति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए,
 - (घ) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस जिला परिषद् के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा।
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पंचायतीराज संस्था के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-धारा(1) के उल्लंघन में अपना नाम निर्देशन फाईल कर दिया हो, एक को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी अभ्यर्थिता लिखित सूचना द्वारा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, वापस लेगा और नाम निर्देशन वापस लेने के लिए नियत समय और तारीख के पूर्व परिदत्त करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्टानुसार अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने उन सभी स्थानों से, जिनके लिए उसने अपना नाम निर्देशन फाइल किया हो, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हैं।

22. निर्वाचन अपराध:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132-क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के उपबन्ध ऐसे प्रभावी होंगे मानो-

- (क) किसी निर्वाचन के प्रति उनमें निर्देश इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;
- (ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनमें निर्देशों में, किसी पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हों,
- (ग) उसकी धारा 134 और 136 में, शब्दों "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के द्वारा या अधीन" प्रतिस्थापित किये हुए हों; और
- (घ) धारा 135 ख की उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति "लोकसभा या विधानसभा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंचायतीराज संस्था" प्रतिस्थापित की हुई हो।

22-क. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन

- (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।
- (2) यदि कोई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो 2000 रु. तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगा:
परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्पूर्ति आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम सकेगा।
- (4) कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन:- ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो चाहे पंचायतीराज संस्था के सदस्य निर्वाचित किये गये हों या ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे।

24. शपथ या प्रतिज्ञान:- किसी पंचायतीराज संस्था का प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

26. सरपंच और उसका निर्वाचन:- (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच, उप-सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर, ऐसी रिक्ति के, छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित सरपंच या, यथास्थिति उप-सरपंच समझा जायेगा।

27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया:- (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप-सरपंच होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात् उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलायी जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप-सरपंच निर्वाचित किया जायेगा।

38. हटाया जाना और निलंबन:- (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायतीराज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो-

(क) कार्य करने से इंकार करता है या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ख) कर्तव्य के निर्वहन में अवचार या किसी भी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी है;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी जाँच, संबंधित पंचायती राज संस्था की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ की जा सकेगी या, यदि ऐसी समाप्ति के पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गई थी तो उसके पश्चात् जारी रखी जा सकेगी और किसी भी ऐसे मामले में, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, लगाये गये आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राज्य सरकार के विवेक से, संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता, यदि कोई हो, से भी हटाया जा सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो उप-धारा (1) के अधीन हटाया गया है या जिसके विरुद्ध निष्कर्ष उस उप-धारा के परन्तुक के अधीन अभिलिखित किये गये हैं, उसके हटाये जाने की तारीख या, यथास्थिति, उस तारीख, जिसको ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किये जाते हैं, से पांच वर्ष की कालावधि तक इस अधिनियम के अधीन चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगी जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन कोई जाँच प्रारम्भ कर दी गई है या जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के संबंध में कोई भी दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित हो जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर निलम्बित कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब किसी वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा, सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिये वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर को निर्दिष्ट कर दिया गया हो और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार आयोजित और उसके नामनिर्देशिती की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने, पंच या, यथास्थिति, सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर दी हो:

परन्तु यह और कि पंच या, सरपंच का निलंबन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या, यथास्थिति, सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने से पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्भूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के अधीन नहीं होगा।

117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन:- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,—

- (क) इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों के परिसीमन से, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों अथवा वार्डों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा; और
- (ख) किसी भी पंचायतीराज संस्था के किसी भी निर्वाचन को, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित है, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

117-क सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित:- किसी भी सिविल न्यायालय को—

- (क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है या नहीं, ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की; अथवा
- (ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधिकार के द्वारा या अधीन की गयी किसी कार्रवाई की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की; अथवा
- (ग) किसी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्रवाई की या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की, अधिकारिता नहीं होगी।

119-ख अधिकारियों और कर्मचारियों का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना:-

इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धियां करने और उनका संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारियों उस कालावधि में, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों, उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अध्याधीन होंगे।

119-ग कर्मचारियों के लिए शास्ति-

- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों से संसक्त या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि से संसक्त कर्तव्यों के पालन के लिए तैनात किया गया कोई कर्मचारी कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है या ऐसे कर्तव्य पर उपस्थित होकर, उसे समनुदेशित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह ऐसी किसी कालावधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

परिशिष्ट-4
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन)
नियम, 1994 से उद्धृत अंश

अध्याय-4 (पंचों का निर्वाचन) :-

23. निर्वाचनों की अधिसूचना:- (1) आयोग के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुये, जब कभी अधिनियम के उपबंधों द्वारा किसी पंचायत सर्किल में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो जाए या अपेक्षित हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक नोटिस द्वारा:-

- (i) पंचायत सर्किल के वार्ड/वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन सार्वजनिक नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, करने की अपेक्षा करेगा ; और
 - (ii) निम्नलिखित नियम करेगा:-
 - (क) वह दिन जिसको और वह समय जिसके बीच में नामनिर्देश-पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं:
 - (ख) वह दिन जो नामनिर्देशन-पत्रों के प्रस्तुतीकरण के लिये नियम दिन से ठीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय, जिसको ऐसे नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी।
 - (ग) वह दिन जो नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन के ठीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय जिस तक नामनिर्देशन वापस लिया जा सकेगा।
 - (घ) वह दिन, जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा ; और
 - (ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान होगा।
- (2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये, किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काये करने के लिये नियुक्त करेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, प्रत्येक पंचायत सर्किल के बूथों के लिये नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये भी प्राधिकृत कर सकेगा।

24. रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां - इन नियमों के अधीन किसी रिटर्निंग अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ ऐसे समस्त कार्य और बातें करना उसका साधारण कर्तव्य होगा जो इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिये आवश्यक हो और वह यह भी देखेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदान, यदि हो तो, निष्पक्ष संचालित होता है।

24क. मतदान अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां - मतदान अधिकारी मतदान बूथ पर व्यवस्था बनाये रखेगा, यह देखेगा कि मतदान निष्पक्ष संचालित हो रहा है और मतदान बूथ के भीतर किसी एक समय पर प्रवेश दिये जाने के लिये मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़कर उनमें से समस्त व्यक्तियों को बहार निकाल देगा:-

- (क) सहायक मतदान अधिकारी,
- (ख) निर्वाचन से संसक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवक,
- (ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,
- (घ) अभ्यर्थी,
- (ङ) किसी मतदाता के साथ उसकी गोद में कोई बच्चा, और
- (च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश दे।

25. नाम निर्देशन-पत्रों का पेश किया जाना- (1) नियम 23 के उप-नियम(1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन-पत्र के पेश करने के लिये नियत दिन को, धारा 19 के अधीन पंच के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हित और ऐसे निर्वाचन लड़ने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सम्यक् रूप से भरा हुआ और स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे की छाप लगाया हुआ अपना नाम निर्देशन-पत्र प्ररूप 4घ के साथ प्ररूप 4 में रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः देगा;

परन्तु यदि अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र किसी आरक्षित वार्ड के लिये प्रस्तुत करे तो वह, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा उस आशय का जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी अभ्यर्थी को साधारण वार्ड से निर्वाचन लड़ने से निवर्जित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि कोई पुरुष अभ्यर्थी, महिलाओं के लिये आरक्षित किसी वार्ड में नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उप नियम (1) में यथा - उपबंधित रूप से नहीं किया गया कोई भी नाम निर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

26. नाम निर्देशन-पत्रों के परिदान पर प्रक्रिया:- नियम 23 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के परिदान पर रिटर्निंग अधिकारी, उसे इस प्रकार पेश करने वाले व्यक्ति को, उसकी समीक्षा के लिए नियत दिन, समय और स्थान के बारे में सूचित और उस पर अपने हस्तलेख से निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा-

(i) वार्ड का क्रम संख्यांक जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन चाहने का प्रस्ताव करे;

(ii) ऐसे वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक;

(iii) नाम निर्देशन पत्र देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो ;

(iv) वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, नाम निर्देशन पत्र उसे दिये गये।

27. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा:- (1) नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को और समय पर, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(2) ऐसे परीक्षा के समय पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रह सकेंगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(i) उनके द्वारा परिदत्त नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए समस्त समुचित सुविधायें और

(ii) उनमें से किसी पर भी आक्षेप करने का समुचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त आक्षेपों पर विनिश्चय करेगा और या तो ऐसे आक्षेपों के आधार पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नानिर्देशन-पत्र को नामंजूर कर सकेगा, अथात्:-

(क) कि अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित हो गया है,

(ख) कि वह वही व्यक्ति नहीं है जिसका मतदान सूची में का संख्यांक या नाम नामनिर्देशन-पत्र में वर्णित है;

(ग) कि उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है या कपट, प्रपीड़न या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है;

(घ) कि नियम 25 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक रही है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे मंजूर या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय, और नामंजूरी के मामले में ऐसी न मंजूरी के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

(5) संविक्षा उसी दिन पूरी की जायेगी और कार्यवाही का कोई स्थगन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

28. अभ्यर्थिता वापस लेना :- (1) कोई भी अभ्यर्थी, अपने द्वारा हस्ताक्षरित या अपने अंगूठे की छाप लगे हुए और व्यक्तिशः परिदत्त लिखित, नोटिस, रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करके नियम 33 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को और समय तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

(2) वापसी का कोई नोटिस उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दिन और सम के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, उसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर या जहां कोई पंचायत कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है वहां पंचायत मुख्यालय के किसी भी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करायेगा।

29. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुपालित की जाने वाली पश्चात्पूर्वी प्रक्रिया :- (1) नियम 23 के उप-नियम (1) के अधीन नियत समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उन अभ्यर्थियों के नाम, जिनका नाम निर्देशन पत्र मंजूर कर लिया गया है, और वापस नहीं लिया गया है, अभ्यर्थियों की सूची के अन्त में एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) दर्शित करते हुए प्रत्येक वार्ड के लिए प्ररूप 5 में सूची तैयार करायेगा।

(2) यदि किसी वार्ड में एक ही अभ्यर्थी हो और उसका नाम निर्देशन मंजूर कर लिया गया है तो रिटर्निंग अधिकारी उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) यदि किसी वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी—

(i) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को एक प्रतीक समनुदिष्ट करेगा,

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीक/अपेक्षित प्रतीकों से कम पाये जाने की दशा में, रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे अन्य प्रतीक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बतायी गयी रीति से आवंटित कर सकेगा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनैतिक दल के लिये आरक्षित नहीं किये गये हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग को और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचित करेगा।

(ii) ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम में, प्रत्येक के लिये समनुदिष्ट प्रतीक के साथ, वार्ड के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करवा कर के प्रकाशित करेगा और इस प्रकार प्रकाशित सूची की मूल प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(iii) निर्देश देगा कि मतदान नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के क्रमशः उप खण्ड (घ) और (ङ.) के अधीन नियत तारीख को और समय के बीच होगा,

(iv) मतदान कराने के लिये आवश्यक और व्यवस्थाएँ करने के लिये अग्रसर होगा।

(4) (क) मतपत्र ऐसे प्ररूप में होंगे जो आयोग निर्दिष्ट करे और इनमें विशिष्टतां देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों के नाम, मतपत्र पर उसी क्रम में होंगे जिसमें प्ररूप 5 की सूची में दिये हुए हैं, मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) को अंकित किया जायेगा।

(ग) यदि एक ही नाम के दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उनके पिता का, यथास्थिति, पति का नाम जोड़कर या किसी ऐसी अन्य रीति में, जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझ सुभिन्न किये जायेंगे।

30. मतदान केन्द्र और मतदान बूथ:-

(1) यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्याधीन रहते हुए, मतदान बूथ के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा।

परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

- (2) रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्याधीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे और जहां इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किये जाने हैं वहां वह निर्देश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याओं से प्रारम्भ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदान सूची में निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ-विशेष में अपने-अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- (3) मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर या, यदि पंचायत कार्यालय नहीं हैं तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व प्रकाशित किया जायेगा।

31. मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ:-

- (1) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामनिर्देशन अधिकारी, नाम से या पदनाम से, मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इतने व्यक्ति और इतना अन्य स्टॉफ नियुक्त करेगा, जितना प्रत्येक मतदान अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे;

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी स्टॉफ का कोई भी अन्य सदस्य मतदान केन्द्र या मतदान बूथ से अनुपस्थित है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तदनुसार सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निर्वाचन में या उसके बारे में किसी अभ्यर्थी के द्वारा या उसके निमित्त नियोजित किया गया हो या उसके लिए कार्य कर रहा हो, मतदान अधिकारी या स्टॉफ के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों द्वारा उन पर अधिरोपित किये गये हैं या जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गये हैं।

स्पष्टीकरण:- पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

32. निर्वाचन सामग्री का प्रदाय:- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतपत्र, मतदाता सूचियों की प्रतियां, मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए निर्वाचकों के लिए आवश्यक उपकरणों और मतपेटियों को सम्मिलित करते हुए, मतदाताओं को उनके अपने-अपने मत डालने में समर्थ बनाने के लिए प्रयोजनार्थ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) ऐसी सामग्री का प्रदाय करने में, मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार निर्वाचकों को संख्या और उसमें स्थापित मतदान बूथों की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा।

33. मतपेटियां:- (1) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त प्रत्येक मतपेटी पर पंचायत का नाम और पंचायत के सर्किल के वार्ड का संख्याक होगा।

(2) प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार से निर्मित की जायेगी कि मतपत्र उसमें डाले तो जा सकेंगे किन्तु पेटे का ताला खोले बिना उसमें से निकालें नहीं जा सकेंगे।

34. मतदान का प्रारम्भ:- (1) मतदान का प्रारम्भ ऐसे प्रारम्भ के लिए नियत समय पर होगा।

(2) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रत्येक मतदान अधिकारी-

- (i) प्रत्येक मतपेटी, इस तथ्य के सत्यापन के लिए कि वह खाली है, ऐसे अभ्यर्थियों को दिखलायेगा जो उस समय उपस्थित हों,
- (ii) तत्पश्चात उसके ताला लगायेगा,
- (iii) उस पर ऐसी रीति से मुहर लगायेगा कि मुहर को तोड़े बिना उसका खोला जाना या उसका ताला खोला जाना रोका जा सके,

(iv) उसे अपने सामने रखेगा।

35. **निर्वाचनों में मतदान की रीति**— प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है, इस नियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मत मतदान केन्द्र में या नियम 20 के उप-नियम (2) के अधीन उपबंधित मतदान बूथ में मतपत्र द्वारा और व्यक्तिगत रूप से डाले जायेंगे और मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को प्राक्सी द्वारा डाले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा:

परन्तु ऐसे वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मशीन द्वारा मत डाला या अभिलिखित किया जाना अंगीकृत किया जा सकेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह और कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजन के लिये, “मतदान मशीन” से मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या साधन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संचालित हो, अभिप्रेत है और इन नियमों में किसी मतपत्र के निर्देश से, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी मतदान मशीन, जहां किसी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन प्रयुक्त की गयी है, के निर्देश को सम्मिलित करते हुये अर्थ लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2: “निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता” से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायतीराज संस्था में मतदाता है, और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मतदान देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

36. **मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था**— (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र या, यथास्थिति बूथ में एक पृथक कोष्ठ होगा जिसमें मतदाता पर्दे में अपना मत डाल सके।

(2) जब निर्वाचक ऐसे कोष्ठ में हो तब नियम 41 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(3) मतदान अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, ऐसे कोष्ठ में यदा-कदा तक प्रवेश कर सकेगा जब कोष्ठ में कोई भी निर्वाचक नहीं हो।

37. **निर्वाचकों की अनन्यता** :— किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदान सूची में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों के प्रति निर्देश से निर्वाचक का अनन्यता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा। वह इस निमित्त उठाये गये किसी भी आक्षेप की वहां इन्कार कर सकेगा जो ऐसी अनन्यता निश्चित करने के प्रयोजनार्थ उससे पूछे गये किसी भी युक्तियुक्त प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करें या जिसकी अनन्यता उसकी समाधानप्रद रूप से साबित नहीं होता है, किन्तु मतपत्रों को जारी किये जाने से मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टियों में किसी भी मुद्रण संबंधी भूल या लोप के आधार पर इन्कार नहीं किया जायेगा, यदि निर्वाचक की अनन्यता अन्यथा साबित हो जाती है।

38. **प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय**— (1) ऐसा प्रत्येक मतदाता, जिसकी अनन्यता के बारे में रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, मतदान अधिकारी का समाधान हो जाये अपने बाये हाथ की तर्जनी अंगुली का रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी से निरीक्षण करवायेगा और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगवायेगा।

(2) यदि कोई मतदाता उपनियम (1) के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्ह न करने देने से इन्कार करें या उसके बाये हाथ की तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह हो या स्याही के चिन्ह को हटाने को दृष्टि से कोई भी कार्य करें तो उसे कोई भी मत-पत्र प्रदत्त नहीं किया जायेगा और मत नहीं देने दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम में, किसी मतदान के बाये हाथ की तर्जनी अंगुली के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे मामलों में जहां किसी मतदाता की उसके बाये हाथ की तर्जनी अंगुली नहीं हो वहां, उसके बाये हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेगा और ऐसे मामलों में, जहां उसके बाये हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां उसके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली या

किसी भी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेगा, और ऐसे मामले में, यहां उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां उसकी बांयी या दांयी बांह के ऐसे छोर के प्रति निर्देश लगाया जायेगा जो भी उसके हों।

39. मतपत्र:— (1) प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा और आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जायें।

(2) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करते समय, मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी उसका क्रम संख्यांक इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) में मतदान से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

(3) उप-नियम (2) में यथा उपबंधित के सिवाय मतदान केन्द्र में का कोई भी व्यक्ति विशिष्ट निर्वाचकों को जारी किये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक नोट नहीं करेगा।

40. मतदान की रीति:— (1) कोई निर्वाचक उसको जारी किया गया मतपत्र प्राप्त कर लेने पर किसी भी एक मतदान कोष्ठ में तुरन्त जायेगा, वहां इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र के मुख भाग पर अभ्यर्थी के प्रतीक या नाम पर या नाम और प्रतीक के सामने ऐसे अभ्यर्थी के लिए निश्चित खाली स्थान में मुद्रित स्तम्भ में चिन्ह लगायेगा जिसके लिए मत देने का उसका आशय हो, और तत्पश्चात् इस प्रकार से चिन्हित मतपत्र इस प्रकार मोड़ेगा कि जिससे उसका मत छिपा रह जाये और इस प्रकार मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा जो कि रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी के सामने रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक निर्वाचक अपना मत या अपने मत किसी असम्यक् बिलम्ब के बिना अभिलिखित करेगा और डालेगा और मतदान कोष्ठ, मतदान बूथ और मतदान केन्द्र से यथा सम्भव शीघ्र सुविधानुसार चला जायेगा।

41. दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचकों को सहायता:— (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।

42. खराब हुए मतपत्र :— ऐसा निर्वाचक, जो अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से काम में लाता है कि वह उस रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो मतदान अधिकारी को उसका प्रदाय कर दिये जाने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिये जाने पर खराब हुए मतपत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और ऐसे खराब हुए मतपत्र को मतदान अधिकारी द्वारा “रद्द” चिन्हित किया जायेगा।

44. निविदत्त मत:— यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत् यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिया जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे रिटर्निंग अधिकारी या कोई भी मतदान अधिकारी पूछे, वह इस नियम के निम्नलिखित उपबंधों के अध्याधीन रखते हुए इसमें (इसके पश्चात् इन नियम में “निविदत्त मतपत्र” के रूप में निर्दिष्ट) मतपत्र को चिन्हित करने का हकदार ऐसे होगा जैसे कोई अन्य निर्वाचक होता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने से पहले अपना नाम प्ररूप 6 की सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र, इसके सिवाय कि वह —

(क) मतदान केन्द्र या बूथ में उपयोग के लिए दिये गये मतपत्रों के बंडल, में क्रम में अंतिम होगा, और

(ख) उसके पृष्ठ पर शब्दों “निविदत्त मतपत्र” से किसी भी मतदान अधिकारी द्वारा उसके स्वयं के हाथ पृष्ठांकित होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, वैसा ही होगा जैसा मतदान में उपयोग में लाया जाने वाला अन्य मतपत्र होता है।

(4) निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिन्हित करने और उसके मॉडने के पश्चात् उसे मतपेटी में रखने के बजाय उसे रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

45. अवचार के लिए मतदान बूथ से हटाया जाना:-

- (1) यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ पर स्वयं अवचार करे, या वहां नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण ओदशों का पालन नहीं करे तो रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति ऐसा मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं इस प्रकार अवचार कर रहा हो, मतदान बूथ से तुरन्त हटायेगा या वहां उपस्थित किसी भी पुलिस अधिकारी को उसे हटाने का आदेश देगा और ऐसे व्यक्ति को, रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान बूथ पर पुनः प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान बूथ से हटाये जाने का आदेश इस प्रकार नहीं दिया जायेगा ताकि अपना मत डालने के हकदार मतदाता को वहां मतों को डालने का अवसर प्राप्त करने से निवारित किया जा सके।

46. मतदान का समापन:-

- (1) मतदान अधिकारी, ऐसे बन्द किये जाने के लिए नियत समय पर मतदान केंद्र को बंद करेगा जिससे किसी निर्वाचक को उसके पश्चात् उसमें प्रविष्ट होने से रोका जा सके।
- (2) तथापि, किसी भी ऐसे निर्वाचक को जिसे उस समय के पूर्व प्रवेश दे दिया गया हो, उस समय के पश्चात् भी मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- (3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं भी निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट मतपेटियां और पैकेट-मतदान अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे।

47. मतदान के समापन पर प्रक्रिया:- (1) मतदान बन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, मतदान अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थिति हों

- (i.) मतदान केंद्र पर उपयोग में लायी गई प्रत्येक मतदान पेट्टी की यह देखने के लिए परीक्षा करेगा कि वह खुली हुई नहीं है, और उसके साथ छेड़-छाड़ नहीं की गई है,
- (ii.) उस पर अपनी मुहर लगायेगा,
- (iii.) पृथक-पृथक पैकेटों में निम्नलिखित रखेगा :-
 - (क) निविदत्त मतों वाला लिफाफा,
 - (ख) अप्रयुक्त मतपत्र,
 - (ग) खराब हुए मतपत्र,
 - (घ) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, और
- (iv.) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा।

48. मतदान का स्थगन:-

- (1) रिटर्निंग अधिकारी आपातकाल में, जैस लोक शांति में सम्भाव्य विघ्न होने पर, मतदान बन्द कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी पश्चात्पूर्ती दिन के लिए उसके स्थगन की घोषणा कर सकेगा।
- (2) ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा बन्द या स्थगन किया गया, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी।

48क. मतपेट्टियों के विनिष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान-

- (1) यदि किसी निर्वाचन में:-
 - (क) किसी मतदान बूथ में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर उपयोग में लाई गई कोई मतपेट्टी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध तथा निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान

- पहुँचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान बूथ या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या
- (ख) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है; या
- (ग) किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये;
- तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तुरन्त करेगा।

- (2) तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग समस्त तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो—
- (क) उस मतदान बूथ में या स्थान पर उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान बूथ में या स्थान पर नया मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे या
- (ख) यदि समाधान हो जाता है कि उस मतदान बूथ पर या स्थान पर किसी नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या कि (मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या) प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं हैं तो रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन के आगे के संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह समुचित समझे।
- (3) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों एवं आदेशों के उपबन्ध नये मतदान के संचालन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान के संबंध में लागू होते हैं।

48ख. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना:—

- (1) यदि किसी निर्वाचन में,—
- (क) किसी मतदान बूथ पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान बूथ या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा
- (ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्काल करेगा।
- (2) निर्वाचन आयोग में रिटर्निंग अधिकारी से उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब सात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो,—
- (क) उस मतदान बूथ या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान बूथ या स्थान में नये सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा
- (ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभावना है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए “बूथ का बलात् ग्रहण” के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात:—

- (क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान का अधिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;
- (ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को मतदान करने से निवारित करना;
- (ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;
- (घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;
- (ङ.) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

48 ग— नियम 48 (क) और 48 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

49 मतों की गणना — (1) मतों की गणना, उस तारीख को और ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो रिटर्निंग अधिकारी नियमत करें, प्रारंभ की जायेगी।

(2) ऐसी तारीख, समय और स्थान, सभी अभ्यर्थियों को संसूचित किया जायेगा।

(3) मतों की गणना, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) मतदान अधिकारी और सहायक अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के सिवाय, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए अनुज्ञा दे, मतों की गणना के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा नहीं किया जायेगा।

(5) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को उन, मतपत्रों को वह जिन्हें वह नामंजूर किये जाने योग्य समझता है, उन्हें उठाये बिना निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा।

(6) गणना—स्थल पर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय, रिटर्निंग अधिकारी से उस वार्ड से संबंधित मत—पत्रों की पुनर्गणना करने के लिए लिखित में प्रार्थना कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से या तो प्रार्थना को नामंजूर कर सकेगा या मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकेगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी, स्वविवेक से सभी अभ्यर्थियों या उनमें से किसी के भी मतपत्रों को एक बार या एकाधिक बार पुनर्गणना कर सकेगा यदि उसका ठीक पूर्ववर्ती गणना के सहीपन के बारे में समाधान नहीं हो।

(8) प्रत्येक ऐसा मतपत्र जिसे नियम 50 के अधीन नामंजूर नहीं किया गया है उसे विधिमान्य समझा जायेगा और उसे एक विधिमान्य मत के रूप में गिना जायेगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) को दिये गये सभी विधिमान्य मतों की गणना करेगा और गणना किये गये मतपत्रों के और उन मतपत्रों के जिन्हे नामंजूर किया गया है अभ्यर्थीवार पैकेट बनायेगा और ऐसे सभी पैकेट समुचित रूप से मुहरबन्द किये जायेंगे।

49 (क) गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि आदि— (1) यदि मतों की गणना समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाये गये कोई मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिए जाते हैं

अथवा घटनावश या साक्ष्य विनष्ट हो जाते हैं या कर दिये जाते हैं या खो जाते हैं या खो दिये जाते हैं अथवा इस विस्तार तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो –

(क) निर्देश देगा कि मतों की गणना बन्द की जाए, घोषणा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर का मतदान शून्य है उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के लिए कोई दिन और समय नियत करेगा तथा ऐसी नियत तारीख और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा, तो रिटर्निंग अधिकारी की गणना के पुनः आरम्भ और पूरे किये जाने के लिए और उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरे किये जाने के लिए जिसके बारे में मतों की गणना की गई है ऐसे निर्देश देगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों या निकाले गये आदेशों के उपबन्ध हर ऐसे मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू है।

49 ख— नियम 49 (क) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

50 – मतपत्रों का नामंजूर किया जाना:— (1) कोई मतपत्र नामंजूर किये जाने योग्य होगा:—

- (i) यदि, उसमें ऐसा कोई भी चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की शिनाख्त की जा सके,
- (ii) यदि, उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के लिये चिन्ह लगे हुए हों,
- (iii) यदि किसी भी मतपत्र के मुख्य पर कोई भी मत अभिलिखित नहीं किया गया हो या मत, मतपत्र के पृष्ठ भाग पर अभिलिखित किया गया हो या उसे इस प्रयोजन के लिये प्रदायित उपकरण से अन्यथा अभिलिखित किया गया हो,
- (iv) यदि, मतपत्र उस पर अभिलिखित किये गये मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो, या यदि वह जाली मतपत्र हो, या
- (v) यदि वह इतना नुकसानग्रस्त या विकृत हो गया हो कि उसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान सिद्ध नहीं की जा सके।

(2) उप-नियम (1) में प्रगणित आधारों में से किसी भी आधार से अन्यथा किसी भी मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जायेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर, जिसे वह नामंजूर करता है ऐसे नामंजूर किये जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी का मतपत्र को विधिमाम्यता के बारे में या अन्यथा विनिश्चय अन्तिम होगा।

51— मतों की समानता:— मतों की समानता के मामले में परिणाम ऐसी रीति से लाट निकालकर घोषित किया जायेगा जो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे।

52— निर्वाचन का परिणाम:— (1) जब मतों की गणना पूर्ण कर ली गई हो तब रिटर्निंग अधिकारी:—

(क) निम्नलिखित के पृथक् पैकेट बनायेगा :—

- (i) गिने गये विधिमाम्य मतपत्र, और
- (ii) गणन के समय नामंजूर किये गये मतपत्र

(ख) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा;

(ग) निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए प्ररूप-7 में एक विवरणी तैयार और प्रमाणित

करेगा:—

- (i) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप-नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित किया गया हो,

- (ii) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिनके पक्ष में विधिमान्य मत डाले गये हैं,
- (iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या,
- (iv) अविधिमान्य के रूप में नामंजूर किये गये मतों की संख्या, और
- (v) उस लाट का परिणाम, यदि कोई हो, जो नियम 51 के अधीन निकाला गया हो, और

(घ) उस अभ्यर्थी को, जिसने मतदान और नियम 51 के अधीन निकाले गये लाट के परिणामस्वरूप अधिकतम संख्या में मत अर्जित किये हों, निर्वाचित हुआ घोषित करेगा, और

(ङ) उन वार्डों को विनिर्दिष्ट करेगा जिनमें पंच निर्वाचित नहीं हुए हों।

(2) रिटर्निंग अधिकारी यथाशक्त शीघ्र, —

- (i) उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की एक प्रति पंचायत के कार्यालय को, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा,
- (ii) ऐसी एक प्रति पंचायतों के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को और नये निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा,
- (iii) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागजातों के साथ उसको एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा,
- (iv) उस खण्ड की पंचायत समिति को ऐसी एक प्रति जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषित करेगा,
- (v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को ऐसी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

53— निर्वाचन के कागजात की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना, उनका निरीक्षण और विनाशन में किया जाना:—

(1) निर्वाचन से संबंधित सभी कागजात जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा रहेंगे।

(2) सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय उपयोग में लिये गये मतपत्रों के पैकेट चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त या नामंजूर किये हुए हो और मतदान सूची की चिन्हित प्रतिलिपियों को नहीं खोला जायेगा और उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण या उसे पेश नहीं किया जायेगा।

(3) आयोग या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिये गये किसी भी प्रतिकूल निर्देश के अध्याधीन रहते हुए:—

(क) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के पैकेट छः मास की कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् ऐसी रीति से विनष्ट कर दिये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दे;

(ख) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागजात एक वर्ष के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् विनष्ट कर दिये जायेंगे;

(ग) निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात ऐसी कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दें।

54— पंचों के नामों की अधिसूचना :— नियम 52 के अधीन निर्वाचित सभी पंचों के नाम आयोग द्वारा राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

55— उप-निर्वाचन:— जब कभी किसी पंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो, नियम 25 से 54 तक के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्त को भरने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक उप-निर्वाचन पर लागू होंगे।

अध्याय-4क पंचों के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान और मतों की गणना :-

55क. मतदान मशीन द्वारा मतदान और मतों की गणना .- मतदान और मतों की गणना, अभिरक्षा, निरीक्षण और निर्वाचन कागज पत्रों आदि के संबंध में, जहां मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है, -

(क) नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 और 53 के सिवाय, अध्याय-4 के उपबंध, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और उन उपबंधों में मतपत्र के किसी निर्देश से ऐसी मतदान मशीन के निर्देश को सम्मिलित करते हुए अर्थ लगाया जायेगा।

(ख) नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 और 53 के स्थान पर, इस अध्याय के निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :-

32क. निर्वाचन सामग्री का प्रदाय.-

- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किये जायेंगे जहां मतदाता देखे जाने से मुक्त होकर अपने मतों को अभिलिखित कर सकेंगे।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान बूथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, निर्वाचन नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य वस्तुएं और सामग्री, जो मतदाता के लिए मत देने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा।
- (3) ऐसी सामग्री का प्रदाय करते हुए मतदान बूथ पर मत डालने के हकदार निर्वाचकों की संख्या और उसमें स्थापित मतदान बूथों की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा।

33क. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का डिजाइन .- प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और ऐसी डिजाइन की होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये।

33ख. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.-

नियम 39क के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी,-

- (क) मतदान यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के नाम और प्रतीक चिन्ह अन्तर्विष्ट करने वाले मतपत्र को लगायेगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों की मुद्रा से, जो उसे लगाने के इच्छुक हो, सुरक्षित करेगा;
- (ख) नियंत्रण यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित सैट करेगा और अभ्यर्थी सैट सैक्शन को बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों की मुद्रा से, जो उसे लगाने के इच्छुक हो, सुरक्षित करेगा;

34क. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना.-

- (1) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए पीठासीन अधिकारी पेपर सील पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेगा और उन पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों के, जो हस्ताक्षर करना चाहे, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।
- (2) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील को मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में इसके लिए अभिप्रेत स्थान पर लगायेगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।
- (3) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा ऐसी रीति से लगायी जायेगी कि यूनिट को मुद्रांकित किये जाने के पश्चात् सील को तोड़े बिना 'Result' बटन को दबाया जाना संभव न हो।
- (4) किसी मतदान बूथ में प्रयुक्त मतदान मशीन की प्रत्येक नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर अन्दर और बाहर दोनों तरफ निम्नलिखित से चिह्नित लेबल लगे होंगे :-

(क) वार्ड का क्रम संख्यांक और ग्राम पंचायत का नाम;

- (ख) मतदान बूथ का क्रम संख्यांक और नाम;
- (ग) यूनिट (कन्ट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट) का क्रम संख्यांक; और
- (घ) मतदान की तारीख।

- (5) मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं और उपस्थित अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है और उस पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगे हुए हैं।
- (6) नियंत्रण यूनिट मुद्राबंद और सुरक्षित की जायेगी और पीठासीन अधिकारी और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के सामने रखी जायेगी और मतदान यूनिट मतदान प्रकोष्ठ में रखी जायेगी।

36क. मतदान और मतदान की गोपनीयता के लिए प्रक्रिया.—

- (1) प्रत्येक मतदाता जिसे नियम 40 क के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान बूथ के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उस प्रयोजन के लिए, इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।
- (2) मत डालने के लिए अनुज्ञात किये जाने पर तुरन्त मतदाता पीठासीन अधिकारी या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी की ओर अग्रसर होगा जो मतदाता के मत को अभिलिखित करने के लिए नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबा कर मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।
- (3) मतदाता तत्पश्चात् तत्क्षण —
 - (क) मतदान प्रकोष्ठ की ओर अग्रसर होगा ;
 - (ख) उस अभ्यर्थी, जिसको वह मत डालने का आशय रखता है, के नाम और प्रतीक के सामने मतदान यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा ; और
 - (ग) मतदान प्रकोष्ठ में से बाहर आयेगा और मतदान बूथ को छोड़ देगा ।
- (4) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मत डालेगा ।
- (5) कोई भी मतदाता किसी मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक दूसरा मतदाता उसके अन्दर हो ।
- (6) यदि कोई मतदाता, जिसे नियम 40-क या 44-क के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात्, उप-नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।
- (7) जहां किसी मतदाता को उप-नियम (6) के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्ररूप 12 में मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता के नाम के सामने इस आशय की अभियुक्ति की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है ।

36ख. मतदान के दौरान मतदान प्रकोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश.—

- (1) पीठासीन अधिकारी, जब कभी भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, मतदान के दौरान मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया गया है ।
- (2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह करने का कोई कारण हो कि मतदाता, जो मतदान प्रकोष्ठ में गया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् रूप से लंबी कालावधि के लिए मतदान प्रकोष्ठ के भीतर रहा है तो वह मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठायेगा जो मतदान की निर्बाध और व्यवस्थित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

(3) जब कभी भी पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करे तब वह उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ चलने के लिए अनुज्ञात करेगा।

37क. मतदाता की अनन्यता.— मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी स्वेच्छा से, ऐसे मतदान बूथ पर मतदाता की अनन्यता या मत डालने के उसके अधिकार पर संदेह करने का कारण है और किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर स्वयं का समाधान करेगा जो वह आवश्यक समझे कि ऐसा व्यक्ति उस मतदाता के समरूप है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबंधित है।

38क. प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय.— किसी मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व, मतदान अधिकारी अमिट स्याही से मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर निशान लगायेगा;

परन्तु जहां मतदाता के बांयी तर्जनी पर कोई निशान पहले से ही विद्यमान हो तो यह माना जायेगा कि उसने निर्वाचन में अपना मत पहले ही डाल दिया ;

परन्तु यह कि कोई भी मतदाता मत डालने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक उसे अमिट स्याही से अपनी बाईं तर्जनी पर निशान लगाने के लिए अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण: इस नियम में, किसी मतदाता की बांयी तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में जिसमें किसी मतदाता की बांयी तर्जनी नहीं है ऐसा अर्थ लगाया जायेगा मानो वह उसके बांये हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बांये हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानो वह निर्देश दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी भी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा कि मानो वह उसकी बांयी या दांयी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश है जैसा कि उसका है।

39क. मतपत्र का प्ररूप.—

- (1) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये।
- (2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र पर उसी तरह से दर्शित और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे जैसे कि वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रकट होते हैं।
- (3) मतपत्र पर की विशिष्टियां देवनागरी लिपि में हिन्दी में होंगी।
- (4) अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक चिन्ह मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के साथ-साथ दर्शित किये जायेंगे।
- (5) मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित स्थान एक ही आकार का होगा।
- (6) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम हो तो उनके व्यवसाय या निवास या किसी अन्य रीति के साथ उनको पृथक् किया जायेगा।

40क. मतदान मशीनों द्वारा मतदान की प्रक्रिया.—

- (1) किसी मतदाता को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी,—
 - (क) मतदाता का निर्वाचन नामावली संख्यांक जो मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा ;
 - (ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा ; और
 - (ग) मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतदान करने की अनुज्ञा दी गयी है :
- परन्तु यह कि कोई भी मतदाता मत डालने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी न लगा दी हो।

(2) किसी भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता के रजिस्टर में मतदाता की अंगूठा निशानी को अधिप्रमाणित करें ।

41क. दृष्टिबाधित या दिव्यांग निर्वाचकों को सहायता.—

- (1) यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांगता के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा ।
- (2) मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा ।

43क. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना.— यदि कोई मतदाता उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक से मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में सम्यक् रूप से प्रविष्टि किये जाने और नियम 40—क के अधीन अपेक्षित रूप से उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशानी लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 12 में उक्त प्रविष्टि के सामने इस आशय की टिप्पणी करेगा और ऐसी टिप्पणी के सामने मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा ।

44क. निविदत्त मत—

- (1) यदि किसी मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात्, मत देना चाहता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसा पीठासीन अधिकारी पूछे, उसे मतदान यूनिट के जरिए मतपत्र देने के लिए अनुज्ञात करने के स्थान पर एक निविदत्त मत प्रदाय किया जायेगा जो ऐसे डिजाइन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें ।
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने से पहले अपना नाम प्ररूप 13 में सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा ।
- (3) मतपत्र प्राप्त होने पर ऐसा व्यक्ति तत्क्षण,—
 - (क) मतदान प्रकोष्ठ की ओर अग्रसर होगा ;
 - (ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिये गये उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिए वह मत देने का आशय रखता है क्रॉस चिह्न ('ग') लगाकर अभिलिखित करेगा;
 - (ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाये ;
 - (घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो, तो मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा ;
 - (ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो इसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा ; और
 - (च) मतदान बूथ से बाहर चला जायेगा ।

47क. मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना.—

- (1) मतदान समाप्ति के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हो, नियंत्रण यूनिट को बन्द करेगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा ।
- (2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् पृथक्-पृथक् रूप से उस रीति से मुद्राबन्द और सुरक्षित किया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे और इन्हें सुरक्षित किये जाने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि मुद्राओं को तोड़े बिना यूनिटों को खोलना संभव नहीं होगा ।

47ख. निर्वाचन से संबंधित सामग्री और अन्य कागजपत्रों का मुद्राबन्द किया जाना.—

- (1) प्रत्येक मतदान बूथ का पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों को पृथक्-पृथक् पैकेटों में रखेगा और इन्हें अपनी मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों की मुद्रा, जो अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, मुद्राबन्द करेगा,—
 - (क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति,
 - (ख) निविदत्त मतपत्र ;
 - (ग) निविदत्त मतों की सूची,
 - (घ) प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टर ; और
 - (च) कोई अन्य ऐसे कागज-पत्र जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्राबन्द पैकेट में रखे जाने के लिए निदिष्ट किया है ।
- (2) पीठासीन अधिकारी समस्त पैकेटों को मुद्राबन्द करने के पश्चात्, प्रत्येक पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तुओं के विवरण को पृष्ठांकित करेगा ।

47ग. अभिलिखित मतों का लेखा.—

- (1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 14 में, अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा ।
- (2) पीठासीन अधिकारी अभिलिखित मतों का लेखा एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उस पर शब्द “अभिलिखित मतों का लेखा” पृष्ठांकित करेगा ।

47घ. मतदान मशीनों आदि का रिटर्निंग अधिकारी को पारेषण.—

- (1) पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे स्थान पर, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित परिदत्त करेगा या परिदत्त करवायेगा,—
 - (i) मतदान मशीन ;
 - (ii) प्ररूप 14 में अभिलिखित मतों का लेखा ;
 - (iii) नियम 47ख के अधीन मुद्राबन्द पैकेट ; और
 - (iv) मतदान में प्रयुक्त समस्त अन्य कागजपत्र ।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा ।

49ग. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण.—

- (1) रिटर्निंग अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लायी गयी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना साथ-साथ करवा सकेगा ।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन किसी मतदान मशीन की किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना करने के पूर्व, गणना पटल पर उपस्थित अभ्यर्थी को पेपर सील और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राएं जो यूनिट पर लगायी गयी हों, का निरीक्षण करने और स्वयं का यह समाधान करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा कि मुद्राएं अविकल हैं ।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है ।
- (4) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन के साथ वास्तव में गड़बड़ी की गयी है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान बूथ के संबंध में, जहां मशीन का प्रयोग किया गया था, नियम 49 ख में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

49घ. मतों की गणना.—

- (1) मतों की गणना ऐसी तारीख और ऐसे समय और स्थान पर प्रारंभ की जायेगी जो रिटर्निंग अधिकारी नियत करें ।
- (2) ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी ।

- (3) मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
- (4) मतों की गणना के स्थान पर निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा,—
 - (क) मतदान और सहायक मतदान अधिकारी ;
 - (ख) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता के लिए अनुज्ञात करें ;
 - (ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ।
- (5) रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि किसी मतदान मशीन के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है, वह नियंत्रण यूनिट में उपलब्ध "Result" के रूप में चिह्नित समुचित बटन को दबाकर गणना करेगा जिसके द्वारा यूनिट में इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध प्रदर्शन (डिस्प्ले पैनेल) पर डाले गये कुल मत और प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मत प्रदर्शित हो जायेंगे ।
- (6) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मत प्रदर्शित हों, रिटर्निंग अधिकारी,—
 - (क) प्ररूप 14 के भाग-2 में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में ऐसे मतों की संख्या पृथक्-पृथक् रूप से अभिलिखित करेगा ;
 - (ख) प्ररूप 14 के भाग-2 को अन्य प्रकार से पूर्ण करेगा और उस पर गणना पर्यवेक्षक के और अभ्यर्थियों या उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उसके गणना अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा ;
 - (ग) प्ररूप 7 में परिणाम शीट में तत्संबंधी प्रविष्टियां करेगा और परिणाम शीट में इस प्रकार प्रविष्ट की गयी विशिष्टियों की घोषणा करेगा ।
- (7) निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी मत की गणना नहीं की जायेगी ।

50क. डाक मतपत्रों की गणना और उन्हें नामंजूर करना.—

- (1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिया गया सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेश के अध्याधीन, नियम 50 के अधीन के उपबंध, नियम 35 में निर्दिष्ट निर्वाचन ड्यूटी पर के अधिकारियों से प्राप्त डाक मतपत्रों के नामंजूर किये जाने के संबंध में लागू होंगे ।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी, डाक द्वारा प्राप्त मत, यदि कोई हों, की गणना का परिणाम प्ररूप 7 में परिणाम शीट में अभिलिखित करेगा और उसकी घोषणा करेगा ।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी गिने गये मतों के पैकेट बनायेगा और प्रत्येक ऐसे पैकेट पर अपनी मुद्रा लगायेगा ।

52क. मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् मतदान मशीनों को मुद्राबन्द करना—

- (1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के परिणाम को अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित कर लिये जाने और नियम 49 घ के अधीन प्ररूप 14 के भाग 2 और प्ररूप 7 में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, की मुद्राओं से इस प्रकार पुनः मुद्राबन्द करेगा कि नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके ।
- (2) इस प्रकार मुद्राबन्द नियंत्रण यूनिट विशेष रूप से तैयार की गयी पेटियों में रखी जायेगी जिन पर रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

(क) वार्ड संख्या सहित ग्राम पंचायत का नाम ;

(ख) उस मतदान बूथ की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट का उपयोग किया गया

है;

- (ग) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्यांक ;
 (घ) मतदान की तारीख ; और
 (ङ) मतगणना की तारीख ।
- (3) जब नियम 49घ और 50क के अधीन मतों की गणना पूर्ण हो जाये तो रिटर्निंग अधिकारी—
- (क) प्ररूप 7 में एक विवरणी, जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, तैयार और प्रमाणित करेगा:—
- ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप-नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है ;
 - ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और पते, जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये हैं, और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डाले गये मतों की संख्या ;
 - नियम 50 क के अधीन अविधिमान्य होने के कारण नामंजूर किये गये मतों की संख्या ; और
 - नियम 51 के अधीन निकाले गये लॉट, यदि कोई हो, का परिणाम ।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसने मतदान या नियम 51 के अधीन निकाले गये लॉट के परिणामस्वरूप सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं; और
- (ग) ऐसे वार्डों को विनिर्दिष्ट करेगा जो पंचों को निर्वाचित करने में विफल रहे हैं ।
- (4) रिटर्निंग अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से —
- उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई विवरणी की एक प्रति पंचायत कार्यालय, यदि कोई हो, को अग्रेषित करेगा ;
 - ऐसी एक प्रति प्रत्येक पंचायतों के प्रभारी अधिकारी, और नव निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा ;
 - निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज-पत्रों के सहित उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा ;
 - ऐसी एक प्रति ब्लॉक की पंचायत समिति को, जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषित करेगा ;
 - ऐसी एक प्रति आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित करेगा ।

53क. निर्वाचन कागज-पत्रों की अभिरक्षा, प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण.—

- निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज-पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रहेंगे ।
- अभिरक्षा के दौरान,—
 - अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट ;
 - प्रयुक्त डाक मतपत्रों, चाहे वे विधिमान्य, नामंजूर या रद्द हों, के पैकेट;
 - प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट ;
 - निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट ;
 - प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टर रखने वाले पैकेट; और
 - निर्वाचकों द्वारा घोषणा और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट, किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय खोले, निरीक्षित या प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे ।
- नियम 52क के अधीन मुद्राबंद और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गयी नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय खोला, निरीक्षित या प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।
- ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय, जो निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे, के अध्याधीन निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज-पत्र लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और उनकी प्रतियां आवेदन करने पर दी जायेंगी ।

- 53ख. निर्वाचन कागज-पत्रों इत्यादि का निपटारा.**— राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अध्याधीन रहते हुए,—
- (क) प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्रों तथा निविदत्त मतपत्रों के पैकेट छः मास की कालावधि के लिए रखे जायेंगे और उसके पश्चात् उन्हें ऐसी रीति से नष्ट कर दिया जायेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ;
 - (ख) नियम 53क के उप-नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गयी मतदान मशीनें ऐसी कालावधि के लिए अविकल रखी जायेंगी जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ;
 - (ग) नियम 53क के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागज-पत्र एक वर्ष की कालावधि के लिए रखे जायेंगे और उसके पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा :
परन्तु प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपण रखने वाले पैकेटों को राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा; और
 - (घ) निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे।

अध्याय-5 सरपंच का निर्वाचन :-

56. सरपंच और पंचों का साथ-साथ निर्वाचन :- (1) नियम 23 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन किसी पंचायत के सरपंच का निर्वाचन उसके पंचों के निर्वाचन के साथ-साथ करवाया जायेगा।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में इतने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जितने पंचायत में मतदान केन्द्र हैं और जब कभी कोई ऐसी नियुक्ति की जाये, उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जायेगी।

(3) नियम 23 से 54 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्त ऐसे निर्वाचन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि सरपंच का नाम निर्देशन-पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 500/- रुपये का और महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 250/- रुपये का प्रतिभूति निक्षेप उसके साथ न हो, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के प्रतिभूति प्रतिदेय होगी जो निर्वाचित नहीं किया जाये और उस निर्वाचन में डाले गये कुल वैध मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त न कर पाये, उसकी दशा में वह समपह्त हो जायेगी।

परन्तु निर्वाचन में जहो एक अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्रों से नाम निर्दिष्ट हुआ है तो इस उप नियम में एक से अधिक निक्षेप अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे निर्वाचनों में जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां ऐसे निर्वाचनों में नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 और 53 के उपबन्धों के बजाय, जहां तक हो सके, अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(4)(क) जब तक सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतदान कोष्ठ और या कोई पृथक मतपेटी उपलब्ध नहीं करायी गयी हो, पंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग कराये गये मतदान कोष्ठ या मतपेटी को सरपंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग में लिया जा सकेगा।

(ख) पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिये एक मतपेटी दी जाने या उपयोग में ली जाने की दशा में नियम 33(1) में उल्लिखित विशिष्टियों के अलावा शब्द "सरपंच" भी मतपेटी पर लिखा जायेगा।

(ग) यदि सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतपेटी दी जाती है या उपयोग में ली जानी है तो उस मतपेटी पर पंचायत का नाम और शब्द "सरपंच" लिखा होगा।

(5) किसी पंच के निर्वाचन के लिये मतदान बूथ पर मतदान करने के लिये और प्रत्येक निर्वाचक को सरपंच के निर्वाचन के लिये दूसरा मतपत्र जारी किया जायेगा।

(6) किसी पंचायत सर्किल के सरपंच को निर्वाचित करने में विफल रहने पर, उक्त तथ्य को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तुरन्त रिपोर्ट की जायेगी, जो

आयोग और राज्य सरकार को सूचित करेगा। तदुपरान्त राज्य सरकार धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सरपंच के रूप में नियुक्त करेगी।

57. सरपंच का उप निर्वाचन:- जब कभी किसी सरपंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो नियम 23 से 56 तक के उपबंध रिक्ति को भरने के लिये करवाये जाने वाले प्रत्येक निर्वाचन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय-6 पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी नियम

58. पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन:-

- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और—
 - (क) वे तारीखें, जिनको और वह समय, जिसके बीच रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं, नियत करेगा।
 - (ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत किये गये अंतिम दिन का आगामी दिन और उसका समय, जब ऐसे नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी, नियत करेगा।
 - (ग) वह दिन, जो नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करने के लिए नियत दिन के आगामी दिन के बाद का नहीं होगा और उसका वह समय, जिसके बीच नामनिर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे, नियत करेगा।
 - (घ) वह दिन जो नामनिर्देशन वापस लेने के लिए नियत तारीख के पश्चात् से 7 दिन पूर्व का नहीं होगा जिसका मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायेगा, नियत करेगा।
 - (ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान किया जायेगा, नियत करेगा।
 - (च) वह स्थान, तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी, नियत करेगा।
- (2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा और उसकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।
- (3) राज्य निर्वाचन आयोग जिला परिषद के सदस्यों से निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करेगा।
- (4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का, इन नियमों के अधीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लेखित कृत्यों को पालन करने का, साधारण कर्तव्य होगा।
- “(5) पंचायत समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जहां तक हो सके, यदि जहां मतपेटियां प्रयुक्त की जाये, वहां नियम 24क से 54 तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और यदि जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54 तथा अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:

58 क. जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्यों का उप निर्वाचन:- जब कभी जिला परिषद् या पंचायत समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो, नियम 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किये जाने वाले प्रत्येक उप-निर्वाचन पर लागू होगा।

अध्याय-9 उप सरपंच का निर्वाचन

65 . उप सरपंच का निर्वाचन :- (1) उप-सरपंच का निर्वाचन, वार्ड पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख के अगले दिन होगा;

परन्तु रिटर्निंग अधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, यह व्यवस्था दे सकेगा कि उप-सरपंच का निर्वाचन आगे की किसी तारीख को होगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी वार्ड पंच के परिणाम की घोषणा के पश्चात् उप-सरपंच के निर्वाचन के लिये, नवनिर्वाचित पंचों और सरपंच की बैठक आयोजित करेगा और बैठक का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस, मतदान से कम से कम दो घंटे पूर्व, पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा और जहां ऐसा कोई भी कार्यालय स्थापित ही न किया गया हो या जहां निर्वाचन, पंचायत मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाना हो तो किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाया जायेगा और ऐसे निर्वाचन की बैठक के ऐसे समय और स्थान के बारे में, वह उपस्थित सरपंच और पंचों को भी सूचित करेगा।

स्पष्टीकरण:- रिटर्निंग अधिकारी से नियम 23 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी से अभिप्रेत है।

66. निर्वाचन के लिए प्रक्रिया :- (1) बैठक में, उसमें उपस्थित प्रत्येक पंच या सरपंच, उप-सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिये किसी भी पंच का (जिसे इसमें आगे अभ्यर्थी कहा गया है) नाम लिखित में प्रस्तावित कर सकेगा;

परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, बैठक आरंभ होने के एक घंटे के भीतर-भीतर किये जायेंगे और कोई भी प्रस्ताव तत्पश्चात् ग्रहण या प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(2) यदि अभ्यर्थी बैठक में उपस्थित नहीं हो तो प्रस्तावों की लिखित में उसकी स्वीकृति, प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

परन्तु ऐसे निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के ऐसी बैठक में उपस्थित होने की दशा में, यदि वह ऐसी स्वीकृति मौखिक रूप से प्रकट कर देता है तो उसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी एक-एक करके अभ्यर्थियों के नामों का वाचन करेगा और प्रस्तावों की परीक्षा करेगा, उपस्थित सरपंच और पंचों को उनकी परीक्षा करने और उन पर आक्षेप करने का मुक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा और तब ऐसे समस्त आक्षेपों को विनिश्चित करेगा और या तो ऐसे आक्षेपों के कारण या स्वप्रेरणा से, किसी भी प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर खारिज कर सकेगा :-

(क) कि अभ्यर्थी, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उप-सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है, या

(ख) कि इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा है।

(4) यदि कोई भी प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे खारिज किये जाने के कारण का संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा।

(5) ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों का जिसके नामांकन सही पाये गये हैं, रिटर्निंग अधिकार द्वारा वाचन किया जायेगा।

(6) यदि केवल एक ही अभ्यर्थी हो तो उसे उप-सरपंच के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाये।

(7) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो मतदान गुप्त मत द्वारा कराया जायेगा और नियम 59 और 60 में अधिकथित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(8) यदि कोई भी अभ्यर्थी न हो और पंचायत कोई उप-सरपंच निर्वाचित करने में विफल रहे भी रिटर्निंग अधिकारी, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी और

कलक्टर को सूचित करेगा, जो अधिनियम की धारा 26 (2) के अधीन उप सरपंच की नियुक्ति के लिए सरकार को सूचित करेगा।

(9) पीठासीन अधिकारी उप-सरपंच के निर्वाचन का संक्षिप्त कार्यवृत्त तैयार करेगा।

67. **पीठासीन अधिकारी उप-सरपंच:-** जैसे ही और जब अधिनियम की धारा 20 के अधीन उप-सरपंच का उप-निर्वाचन आवश्यक हो जाये, रिटर्निंग अधिकारी सरपंच और पंचों पर, ऐसी बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाले नोटिस की तामील के पश्चात् उनकी एक बैठक आयोजित करेगा और नियम 65 और नियम 66 के उपबंध, जहां तक शक्य हो, लागू होंगे।

अध्याय-10 अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता :-

68. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण :-

- (1) यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो ऐसी नियुक्ति, उप-नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, या तो नामांकन पत्र के परिदान के समय या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप-8 में की जायेगी।
- (2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय, स्व हस्ताक्षरित और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किसी लिखित घोषणा द्वारा, प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह दाखिल किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

69. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति:-

- (1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान बूथ पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप-9 में दो प्रतियों में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिये नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान बूथ पर किसी भी प्रकार के कर्तव्य के पालन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करें।

70. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति:-

- (1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।
- (2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा

हस्ताक्षरित प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति (Reliever) अभिकर्ता के लिए।

- (3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्ता को मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तब तक उसने इस उप-नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

71. मतदान अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण:-

- (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।
- (2) ऐसी घोषणा
 - (क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहत न की गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,
 - (ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी के या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।
- (3) यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मर जाये तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट निम्नलिखित को तुरन्त करेगा-
 - (क) ऐसे मामले में, जिसमें मृत्यु मतदान के प्रारम्भ से सात से कम दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग अधिकारी को और
 - (ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।
- (4) जब भी रिटर्निंग अधिकारी को उप-नियम (1) या (2) के अधीन की गई कोई भी घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो वह ऐसी घोषणा या यथास्थिति, रिपोर्ट उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा, जहां ऐसे मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।
- (5) जहां मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की जाये या जहां मतदान अभिकर्ता मतदान बंद होने के पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय नियम 69 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा; परन्तु नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने का पत्र-
 - (क) ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात के अन्यून दिन पूर्व की जाये, रिटर्निंग अधिकारी को दिया जायेगा, और
 - (ख) किसी भी अन्य मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को दिया जायेगा जहां नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया है।

- (6) नियम 69 के उप-नियम (2) के उपबंध उप-नियम (5) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्ता के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे नियम 69 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

72. गणन अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण:-

- (1) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा, मतों की गणना प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसी घोषणा रिटर्निंग अधिकारी या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के यहां दाखिल की जायेगी।
- (2) यदि किसी अभ्यर्थी का गणन अभिकर्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाता है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी को या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को मृत्यु की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त करेगा।
- (3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत कर ली गयी हो या जहां गणन अभिकर्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियम 70 के उप-नियम (1) में अधिकथित रीति से किसी नये गणन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा।
- (4) नियम 70 के उप-नियम (2) और (3) के उपबंध उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नियम 70 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

73. मतदान से पूर्व अभ्यर्थियों की मृत्यु:- चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि किसी स्थान के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु के परिणामस्वरूप वहां लड़ने वाला केवल एक अभ्यर्थी ही रह जाये तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और इसमें इसके पूर्व के नियमों के अनुसार, नये निर्वाचन की तरह ही, निर्वाचन के बारे में समस्त कार्यवाहियां पुनः प्रारम्भ होगी;

परन्तु:-

- (i) उस व्यक्ति के मामले में कोई और नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय एक लड़ने वाला अभ्यर्थी था; और
- (ii) कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने से पूर्व नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण का नोटिस दे दिया था, ऐसे प्रत्यादेशन के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्देशन होने के लिए अपात्र नहीं होगा।

अध्याय-11 शपथ या प्रतिज्ञान

74 . निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन:- किसी पंचायतीराज संस्था के सदस्य के रूप में या अध्यक्षों या उपाध्यक्षों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

75 . शपथ या प्रतिज्ञान:- किसी पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख और पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा धारा 24 के अधीन ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान प्ररूप-11 में होगा।

76. शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का समय और रीति :- (1) पंचायतीराज संस्था के समस्त सदस्य या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उसके परिणाम की घोषणा के पश्चात् तीन मास के भीतर-भीतर किसी भी समय ली जायेगी या कराया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान, परिणाम की घोषणा के पश्चात् किसी भी समय निम्नलिखित के समक्ष ली जा सकेगी या किया जा सकेगा;

- (i) रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष; या
- (ii) संबंधित तहसीलदार के या कलेक्टर द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी के समक्ष; या
- (iii) पंच के मामले में सरपंच के समक्ष; या
- (iv) पंचायत, पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् को किसी बैठक में और उनको किये जाने के समय हस्ताक्षरित शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय को भेजे जायेंगे और वहां पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए रखे जायेंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें विनष्ट कर दिया जायेगा।

ANNEXURE-5

List of Polling Material to be supplied for PRESIDING OFFICER where simultaneous elections for ZP Member and PS Member are to be held with EVM.

S.no.	Name of Article	Scale per polling party
A	IMPORTMENT ARTICLES	
1	Pink Paper Seals	6
2	ABCD Strip Seals	6
3	Electronic Voting Machine (For PS Member/Panch) With Blue Sticker/Pink	
	(a) Control Unit	1
	(b) Balloting Unit	As per requirement
4	Electronic Voting Machine (For ZP Member/Sarpanch) With Yellow Sticker/White	
	(a) Control Unit	1
	(b) Balloting Unit	As per requirement
5	Ballot Papers for Tendered Votes	
	(a) For ZP Member/Sarpanch (Yellow/White)	20
	(b) For PS Member/Panch (Blue/Pink)	20
6	Working Copies of E. Rolls	3
7	Special Tags for Control Units	5
B	ARTICLE TO BE SUPPLIED PER POLLING STATION	
1	Stamp Pad (Purple)	1
2	Stamp Pad ink purple	1 phial
3	Presiding Officer Brass Seal	1
4	Arrow Cross Seal	2
5	Manual of Electronic Voting Machine	1
6	Printed Badge for Presiding Officer	1
7	Printed Badge for Polling Officer	5
8	Printed Badge for Polling Agents	10
9	Single Card Board Voting Compartment	02 Card Board Compartments with Drawing pins + one extra
10	Pla-Card 'Exit'	1

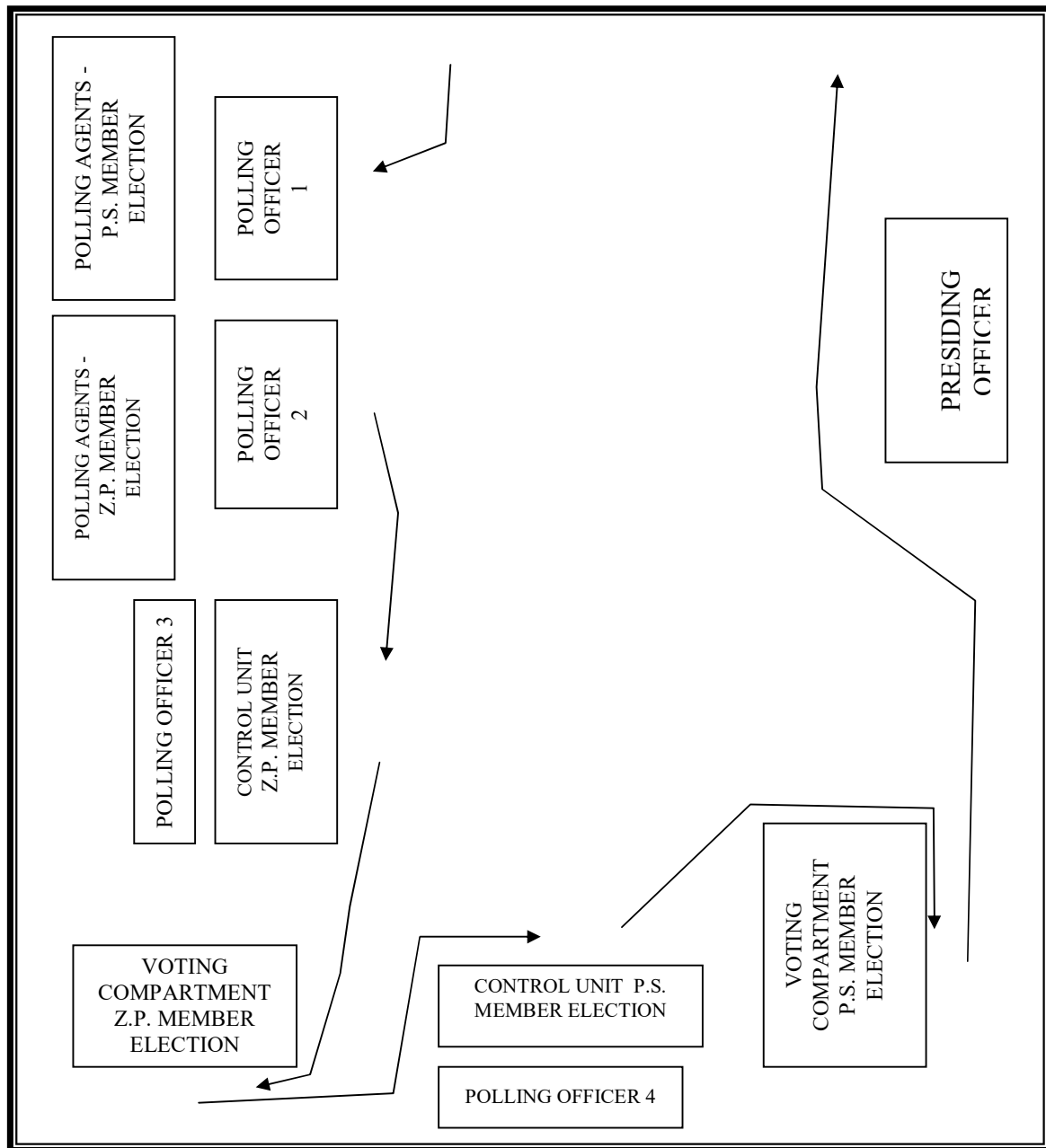
11	Pla-Card ‘Enterance’	1
12	Pla-Card, to give priority in voting to disabled/	1
	Sr. Citizens	1
13	Empty Cigarette Tin or Earthen pot	1
14	Iron Nails Big	6
15	Iron Nails Small	6
16	Moonj Rope	10 meters
17	Cloth piece or rag	1
18	Indelible Ink Phial 10 cc	1
19	Rubber Seal for distinguished mark	1
20	Craft wrapping paper (17” x 27”) or	3
21	Unbleached sheet or Polythin Bag	3
22	Alpins	10
23	Candle Sticks	3
24	Sealing Wax Sticks	5
25	Twine for EVM	4 Meters
26	Country Twine or Sutli	12 Meters
27	Glue bottle	1 bottle
28	Unbleached or White paper (17” x 27”))	2 Sheets
29	Carbon Paper (17” x 27”))	2 Sheets
30	Dummy Ballot sheet	1 Sheet
C	Forms etc.	
1	Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (For PS/ZP Member)	1
2	Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (For Panch/Sarpanch Member)	1
3	Form 13- List of Tendered Votes	2
4	Form 14- Account of votes recorded and Paper Seal Account (For PS Member/Panch)	2

5	Form 14- Account of votes recorded and Paper Seal Account (For ZP Member/Sarpanch)	2
6	Form- Presiding Officer's Diary	1
7	Address Tags for Control Units	
	(a) Yellow for ZP Member/White For Sarpanch	6
	(b) Blue for PS Member/Pink For Panch	6
8	Address Tags for Ballot Unit	
	(a) Yellow for ZP Member/White For Sarpanch	5
	(b) Blue for PS Member/Pink For Panch	5
9	Card Board Pieces for EVM	6
10	Notice of Polling Area under Rule 30 along with Hours of Poll and closure	1
11	Notice of Contesting Candidates (For PS Member/Panch)	1
12	Notice of Contesting Candidates (For member ZP/Sarpanch)	1
13	List of Contesting Candidates and their election agents with specimen signatures of candidates (for PS member /Panch election)	1
14	List of Contesting Candidates and their election agents with specimen signatures of candidates (for ZP member/Sarpanch election)	1
15	Printed Form- Receipt form No. 1	1
16	Printed Form- Receipt form No. 2	1
17	Printed Form- Receipt form No. 3	1
18	Forms of declaration by elector about his age	5
19	Forms of List of Voters from whom declarations as to their age obtained	1
20	Form-9 Appointment of Polling Agents	10
21	Register of Voters (in Form-12) Depending upon No. of Electors	As per Requirement
22	Voters Slips Depending upon No. of Electors	
	(a) Yellow (ZP member)/ White (Sarpanch)	As per Requirement
	(b) Blue (PS member)/Pink (Panch)	As per Requirement
23	Form - Polling station wise statistics	1

D	Envelops	Env.No.	Quantity
1	Polling station wise statistics	P-2/P-2A	1
2	Marked copy of Electoral Rolls	PE-42/ PE-42A	1
3	Register of voters	PE-43/ PE-43A	1
4	Used Voter Slips (PS Member/Panch)	PE-44/ PE-44A	1
5	Used Voter Slips (ZP Member/Sarpanch)	PE-45/ PE-45A	1
6	Used Tendered Ballot Papers (PS Member/Panch)	PE-46/ PE-46A	1
7	Used Tendered Ballot Papers (ZP Member/Sarpanch)	PE-47/ PE-47A	1
8	List of Tendered Votes in Form 13 (PS Member/Panch)	PE-48/ PE-48A	1
9	List of Tendered Votes in Form 13 (ZP Member /Sarpanch)	PE-49/ PE-49A	1
10	Unused Tendered Ballot Papers (PS Member/Panch)	PE-50/ PE-50A	1
11	Unused Tendered Ballot Papers (ZP Member/Sarpanch)	PE-51/ PE-51A	1
12	Presiding Officer's Diary	PE-52/ PE-52A	1
13	Account of votes recorded and Paper Seal Account Form-14 (PS Member/Panch)	PE-53/ PE-53A	1
14	Account of votes recorded and Paper Seal Account Form-14 (ZP Member/Sarpanch)	PE-54/ PE-54A	1
15	Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (for PS Member /Panch Election)	PE-55/ PE-55A	1
16	Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll (for ZP Member /Sarpanch election)	PE-56/ PE-56A	1
17	Envelop Containing:-	PE-57/ PE-57A	1
	(i) Unused voter slips		
	(ii) Unused Address Tags and Special Tags		
	(iii) Form of Appointment of Polling Agents		
	(iv) Copies of E.Rolls (Other than marked copy)		
	(v) Declarations of voters about age and their list		
	(vi) Unused various forms		
	(vii) Cash against sale proceeds of forms		
	(viii) Unused and damaged paper seals and Strip Seals		

	(ix) Election misc. papers	As per Requirement
E	Out right payment at the discretion of the Collector (DEO) for following	
	Articles	
1	Ball Pen	8
2	Blade	1
3	Match Box	1
4	Bucket	1
5	Chargeable emergancy light	1
6	Bamboos	As per Requirement
7	Lock	1

ANNEXURE - 6
LAYOUT OF POLLING STATION WHERE EVMs
ARE USED AT SIMULTANEOUS ELECTION FOR PS, ZP/PANCH, SARPANCH



परिशिष्ट-6-A
प्ररूप - 4
नाम निर्देशन-पत्र

(नियम-25(1) देखिये)
पंच/सरपंच का निर्वाचन।

पंचायत समिति जिला की पंचायत के लिए निर्वाचन मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या से उपर्युक्त पंच/सरपंच के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ।

1. पूरा नाम
2. अभ्यर्थी का लिंग
3. अभ्यर्थी की जाति
(केवल अजा./ज.जा./अ.पि.व. के व्यक्तियों द्वारा भरा जाये)
4. पंचायत का नाम तथा संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम

मैं यह और घोषित करता हूँ कि-

- (1) मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन पंच/सरपंच के रूप में अर्ह हूँ।
- (2) मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अध्यक्ष नहीं हूँ।
- (3) मैं अनुसूचित जातियों/अनु.जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का हूँ/नहीं हूँ।
- (4) मैंने नियम 56(3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति जमा करायी है। (केवल सरपंच के लिए लागू)

तारीख

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटनिंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये

* उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है

* ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या

यह नाम निर्देशन मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी(अभ्यर्थी) द्वारा (तारीख) को
..... बजे प्रस्तुत किया गया था।

रिटनिंग अधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय

मैंने नाम निर्देशन-पत्र की परीक्षा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है:-

तारीख

रिटनिंग अधिकारी

(नाम निर्देशन-पत्र की रसीद)

उस वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या जो पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) को बजे श्री जिनके साथ पहचानकर्ता श्री थे, के द्वारा परिदत्त किया गया था।

नाम निर्देशन-पत्र को (तारीख) को बजे (स्थान) में संवीक्षा के लिए लिया जायेगा।

तारीख

स्थान

रिटनिंग अधिकारी

* टिप्पण: जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दीजिए।

(नियम 25 और 58 देखिए)

.....ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् के वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्यासे
पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा।

मैं, पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री आयु वर्ष निवासी

.....जो उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:-

1. कि मैं किसी लम्बित केस (केसों) में ऐसे अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप (आरोपों) विरचित कर दिये गये हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा:-

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) प्रलस थाना (थाने) जलला (जलले) राज्या

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित है:-

(iv) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने आरोप (आरोपों) को विरचित किया है

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप (आरोपों) का विरचन किया गया है

(vi) क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सभी या किन्हीं कार्यवाहियों में स्थगन दे दिया गया है

यदि हाँ, तो न्यायालय का नाम..... आदेश की तारीख

2. कि मुझे किसी अपराध (अपराधों) के लिए दोषसिद्ध और दण्डित किया गया है/ नहीं किया गया है। यदि अभिसाक्षी दोषसिद्ध और दण्डित है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा।

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने दण्डित किया.....

(iii) प्रलस थाना (थाने) जलला (जलले) राज्या

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित हुआ है.....

(v) वह तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया (सुनाये गये)

(vi) दण्ड का ब्यौरा

(vii) क्या दण्डादेश (दण्डादेशों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें).....

(viii) क्या दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें).....

3. यह कि मैं इसके नीचे मेरे बच्चे, जो जीवित हैं, का ब्यौरा दे रहा हूँ:-

(क) 27.4.1994 को मेरे बच्चों की कल संख्या.....थी और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नाम

जन्म की तारीख

(i)

(ii)

(iii)

(ख) 27.4.1994 से 27.11.1995 की कालावधि में जन्में बच्चों की कुल संख्या है और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नाम

जन्म की तारीख

(i)

(ii)

(ग) 28.11.1995 को और उसके पश्चात् जन्में बच्चों की कुल संख्या..... है और उनका ब्यौरा निम्नुसार है:-
नाम जन्म की तारीख

(i)

(ii)

4. यह कि मैं इसके नीचे मेरी, मेरे पति/पत्नी और आश्रितों की आस्तियों (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष इत्यादि) का ब्यौरा दे रहा हूँ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ख. स्थावर आस्तियों का ब्यौरा

(टिप्पणी:-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करने वाली संयुक्त स्वामित्व में सम्पतियां भी उपदर्शित की जानी चाहिए)

क्र.स.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	कृषि भूमि - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) - सीमा (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) - सीमा (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	भवन (वाणिज्यिक और आवासीय) - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं) - सीमा (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	मकान/अपार्टमेन्ट इत्यादि - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं) - सीमा (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे सम्पति में हित)					

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर अभिसाक्षी (अभ्यर्थी)

परिशिष्ट-6-C

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

{दिखें धारा 19(थ) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994}

{राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 दिनांक 01.04.2015 द्वारा प्रतिस्थापित}

मैं, पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी* श्री
..... निवासी जिसने
जिला परिषद/पंचायत समिति/ पंचायत सर्किल* के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड
संख्या के सदस्य/सरपंच/पंच* के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है, मैं
सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरे घर में स्वच्छ कार्यशील शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है।
इसमें जल-बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।
2. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी* बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में
शौच के लिए नहीं जाते हैं।

तारीख

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही है।

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनांक

स्थान

* जो लागू ना हो, उसे काट दीजिए।

परिशिष्ट-6-D

उपाबंध I-B

(शपथ पत्र)

सरपंच के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।
ग्राम पंचायत

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, जो (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या की मतदाता सूची के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास

(ख) मोबाइल नं.

(4) आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित-1	
4.	आश्रित-2	
5.	आश्रित-3	

(5) मैं किसी लंबित मामले में पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त हूँ, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं/नहीं हूँ

(यदि अभिसाक्षी के विरुद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरुद्ध पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्ध किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया है।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि (Movable and immovable property etc.) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – “आश्रित” से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट /म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					

(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/ याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (बजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेंट सहित) – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं /देय राशि (Liabilities/dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय (entity) या व्यक्ति (individual) के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपर वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों (individual), निकाय (entity) ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता (any other Liabilities)					

	देयताओं का सकल योग					
(ii)	सरकारी शोध: (Government dues) सरकारी आवास से संबंधित विभागों का बकाया					
	जलदाय विभाग का बकाया					
	विद्युत विभाग का बकाया					
	विकास प्राधिकरण सहित शहरी निकाय/हाउसिंग बोर्ड/पंचायतीराज संस्थाओं का बकाया					
	कोई अन्य बकाया					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (Details of profession or occupation)

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(10) आय के स्रोत के ब्यौरे – (Details of sources of income)

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(ग) आश्रितों के

(11) समुचित सरकार, पंचायतीराज संस्थाओं और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ—

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ङ) भागीदारी फार्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है

(12) मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार है:—

.....
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र से साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र 50/-रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-6-E

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन में खड़े होने वाले
प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाला सांख्यिकीय सूचना का फार्म
(यह फार्म नोमिनेशन फार्म के साथ भर कर दिया जावे)

कृपया अपनी
पासपोर्ट साईज
फोटो लगायें

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त का नाम निर्वाचन क्षेत्र संख्या

1. उम्मीदवार का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. डाक का पता
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर (1) निवास का
(2) मोबाईल नं.
(3) E-mail address@.....
5. लिंग
6. अनुमानित आयु (आज की तिथि को)
7. जाति
(यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हो
तो शब्द "अनु. जाति" या "अनु.जनजाति" या "अन्य पिछड़ा
वर्ग" लिखकर उस जाति का नाम लिखें)
8. व्यवसाय
9. शैक्षणिक योग्यता
(लिखें- साक्षर या दसवीं पास या ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री)
10. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से सम्बंधित है,
तो उस दल का नाम
11. क्या इससे पूर्व आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है तो,
उसका संक्षिप्त विवरण-जीतें या हारें ?
12. क्या आप पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकाय संस्थाओं के
किसी पद पर पूर्व में रहे हैं तो उसका उल्लेख अवधि सहित करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

परिशिष्ट – 7

[देखें अध्याय-6, पैरा 7-8]

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएं

(जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्य चुनाव तथा पंच एवं सरपंच के चुनाव में पृथक-पृथक काम में ली जानी है।)

(केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहां मतदान मशीन उपयोग में लायी जा रही है)
जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम निर्वाचन क्षेत्र सं.
मतदान बूथ का क्रम संख्यांक और नाम
मतदान की तारीख

भाग-1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि—

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान कराकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि—
 - (अ) मतदान मशीन सुचारु रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है,
 - (ब) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है, जो डाक मतपत्र जारी किये जाने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं, और
 - (स) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली मतदाता रजिस्टर (प्ररूप -12) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।
2. मैंने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं, जो वहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है:—

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

भाग-2

(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि:-

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
2. मैंने मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए हैं, जो यहां उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है:-

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
 2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

भाग-3

(मतदान के अन्त में मतदान मशीन को मोहर युक्त करने के बाद की गई घोषणा)

मैंने अपनी मोहर लगा दी है और मतदान की समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, उन्हें मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी है।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है:-

1. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
 2. (.....) (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- तारीख

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

परिशिष्ट - 8

पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

- | | | |
|------|--|--|
| (1) | जिला परिषद् का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं. | |
| (2) | पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं. | |
| (3) | मतदान की तारीख | |
| (4) | मतदान बूथ का नम्बर व नाम | |
| (5) | मतदान मशीन | |
| (1) | उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं. | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| (2) | उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| (3) | उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की सं. | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| (4) | उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या | |
| (6) | (1) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| | (2) उपयोग में लाई गई स्ट्रीप सील का क्रमांक | |
| (7) | मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| (8) | ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं | 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| (9) | (1) मतदान बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या | |
| | (2) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किये गये मतदाताओं की संख्या |
1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच1 जि.प. सदस्य /सरपंच |
| | (3) मतदाता पंजिका (प्ररूप 12 क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया |
2. पं. स. सदस्य/पंच |
| | (4) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या | |
| | प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर | मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर |
| (10) | निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया :- | पुरुषमहिला.....योग..... |

- (11) निविदत (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (12) निर्वाचकों की संख्या :-
(क) जिनसे उम्र के बारे में
घोषणाएं प्राप्त की
(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा से
इन्कार किया
- (13) निर्वाचकों की
(क) जिनकी फोटो मतदाता
पहचान पत्र से पहचान की
गई
(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों
से पहचान की गई
- (14) मतदान करने वाले दृष्टि हीन मतदाताओं की संख्या, जिनकी नियम 41-क में सहायता की गई।
- (15) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हाँ तो ऐसे
स्थगन के कारण
- (16) डाले गये मतों की संख्या :
(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10
बजे पूर्वान्ह तक
(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे
मध्यान्ह तक
(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे
अपरान्ह तक
(घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान
समाप्त होने तक
- (17) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई
पर्चियों (स्लिप्स की संख्या)
- (18) व्योरो सहित निर्वाचन अपराध निम्नलिखित मामलों की संख्या :-
(क) मतदान बूथ से 100 मीटर
की दूरी के भीतर मत
सयाचना
(ख) मतदाताओं द्वारा रूप-धारण
(Impersonation) किया
जाना
(ग) मतदान बूथ पर किसी सूची
या सूचना या अन्य
दस्तावेज को कपटपूर्वक
बिगाडना, नष्ट करना या
हटाना
(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना
(ड) मतदाताओं (तथा अन्य
व्यक्तियों) को भयभीत
करना
(च) बूथ कैपचरिंग

- (19) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये :—
 (क) बलवा या खुली हिंसा
 (ख) बूथ कैपचरिंग
 (ग) मतदान मशीन का असफल होना
 (घ) अन्य कोई कारण
- (20) क्या मतदान बूथ पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया :—
 (क) पीठासीन ऑफिसर की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर
 (ख) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गड़बड़ी की गई
 यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जायें।
- (21) अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों
- (22) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या
- (23) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण
- (24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ?
- (25) अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण (मॉकपॉल प्रमाण-पत्र संबंधित विवरण)
- स्थान
- तारीख.....

पीठासन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
 के हस्ताक्षर

- नोट :— (1) इस प्ररूप में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहियें।
 (2) यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सील्ड पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित करें।
 (3) दोनों चुनावों की प्ररूप – 14 की पृथक-पृथक एक-एक प्रति भी संलग्न करें।
 (4) पीठासीन अधिकारी की डायरी PS तथा ZP चुनाव के लिए एक ही होगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए भी एक ही डायरी होगी।

परिशिष्ट - 9

प्ररूप - 14

नमूना

(नियम-47 ग और 49 घ (6) देखिये)

भाग-1 अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद्/पंचायत समिति अथवा सरपंच/पंच का निर्वाचन मतदान बूथ की संख्या और नाम - 16 - त थ द

मतदान बूथ में प्रयुक्त

नियंत्रण यूनिट 0002

मशीन का पहचान संख्यांक

मतदान यूनिट 0004

1. मतदान बूथ को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 1020
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 815
3. नियम 43(क) के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 5
4. नियम 36क, 38क या 40 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या 3
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 807
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है। हाँ मेल करती है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए 6
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

	क्रम संख्या
(क) उपयोग के लिए प्राप्त	0081 से 0100 तक
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	0081 से 0086 तक
(ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए	0087 से 0100 तक
9. पत्र मुद्राओं का लेखा

क्रम संख्या	
002567 से 002570 तक	

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गई पत्र मुद्राओं की क्रम संख्यांक

002567 से 002570 तक	1
	2
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या 4 3
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 1

(002567)	4
----------	---
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई

अप्रयुक्त सीलों की संख्या	5
(मद 3 से मद 2 घटाइए)	3 6
5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है

..... कोई नहीं	
----------------------	--

तारीख 1.2.3

स्थान य र ल

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान बूथ संख्या 15

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1.	क	315
2.	ख	206
3.	ग	4
4.	घ	5
5.	ङ	115
6.	च	56
7.	छ	8
8.	ज	46
9.	झ	52
योग	9	807

क्या उपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

.....हॉ, मेल करती है

स्थान प, फ, भ

तारीख 3.4.5.

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

पूर्ण हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.....

.....

स्थान

तारीख

रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-10

(निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप)

जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम _____

निर्वाचन क्षेत्र का संख्याक _____

मतदान बूथ की संख्या व नाम _____

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 2009 की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति-निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 क के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

पिता/पति का नाम

निर्वाचक नामावली का भाग

निर्वाचक की क्रम संख्या

तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान बूथ की संख्या व नाम

परिशिष्ट-11

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

----- जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्याक -----
मतदान बूथ की संख्या तथा नाम -----

भाग – I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गई हैं।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

भाग – II

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे अपनी आयु के संबंध में घोषणायें करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

परिशिष्ट-12

(देखे अध्याय 3 का पैरा (11) 6)

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं
(जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ-साथ होने पर)

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव दोनों के लिये	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये (नीले रंग में)	केवल जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये (पीले रंग में)
जो सील करने हैं- 1. चिन्हित मतदाता सूची, PE-42 2. मतदाता रजिस्टर, PE-43 जो सील नहीं करने हैं- 3. महिला-पुरुषवार मतदाताओं का सांख्यिकी आंकड़ों का लिफाफा, P-2 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतों व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित) PE-52 5. विविध कागजात PE-57 (i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां, (ii) अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग, (iii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र, (iv) मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न), (v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची, (vi) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें (vii) अन्य विविध निर्वाचन कागजात	जो सील करने हैं- 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (पं.स. सदस्य) PE-44 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-46 3. निविदत्त मतों की सूची (पं.स. सदस्य) PE-48 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-50 जो सील नहीं करने हैं- 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14) (पं.स. सदस्य) PE-53 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (पं.स. सदस्य) PE-55	जो सील करने हैं- 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (जि.प. सदस्य) PE-45 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-47 3. निविदत्त मतों की सूची (जि.प. सदस्य) PE-49 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-51 जो सील नहीं करने हैं- 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14) (जि.प. सदस्य) PE-54 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (जि.प. सदस्य) PE-56

परिशिष्ट-12A

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं
(सरपंच व पंच दोनों के लिये मतदान साथ-साथ होने पर)

पंच एवं सरपंच चुनाव दोनों के लिये	केवल पंच चुनाव के लिये (गुलाबी रंग में)	केवल सरपंच चुनाव के लिये (सफेद रंग में)
जो सील करने हैं- 1. चिन्हित मतदाता सूची, PE-42A 2. मतदाता रजिस्टर, PE-43A जो सील नहीं करने हैं- 3. महिला-पुरुष एवं थर्ड जेण्डर मतदाताओं का सांख्यिकी आंकड़ों का लिफाफा, P-2 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतों व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित) PE-52A 5. विविध कागजात PE-57A (viii) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां, (ix) अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग, (x) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र, (xi) मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न), (xii) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची, (xiii) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें (xiv) फार्मों के विक्रय की राशि, (xv) अन्य विविध निर्वाचन कागजात	जो सील करने हैं- 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां PE-44A 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र PE-46A 3. निविदत्त मतों की सूची PE-48A 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र PE-50A जो सील नहीं करने हैं- 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14) PE-53A 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा PE-55A	जो सील करने हैं- 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां PE-45A 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र PE-47A 3. निविदत्त मतों की सूची PE-49A 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र PE-51A जो सील नहीं करने हैं- 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14) PE-54A 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा PE-56A 7. प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जब्त राशि P-42

उपसरपंच से संबंधित लिफाफे:-

- | | |
|--|-----------------|
| 1) उप सरपंच चुनाव के वैद्य एवं अवैद्य मतपत्र | (सील होगा) P-40 |
| 2) उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड | (सील होगा) P-41 |

परिशिष्ट-13
मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं.

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं.

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

नोट:- जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिए पीली मतदाता पर्ची तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिये नीली मतदाता पर्ची सरपंच चुनाव के लिए सफेद पर्ची तथा पंच चुनाव के लिए गुलाबी पर्ची प्रयोग में ली जायेंगी।

नोटिस

पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन

1. पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम
2. पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र संख्या
3. पंचायत सर्किल का नाम
4. बूथ का विवरण (वार्ड संख्या लिखें)
5. कुल मतदाता

रिटर्निंग अधिकारी

नोटिस

पंच/सरपंच चुनाव

1. पंचायत सर्किल का नाम
2. बूथ का विवरण
(बूथ में सम्मिलित वार्ड संख्यांक)
3. कुल मतदाता

मतदान अधिकारी

परिशिष्ट-15
पीठासीन अधिकारियों लिए चैक मीमो

क्र. सं.	कार्य जो किया जाना है	विवरण
1	2	3
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित अनुदेश प्राप्त करना और सुरक्षित करना	क्या प्राप्त कर लिया है और रख लिया है?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय तथा उनसे नजदीक संबंध रखना	क्या कर लिया गया है?
3.	चुनाव सामग्री को प्राप्त करना	क्या आप आश्वस्त हो गये कि समस्त प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में आपने प्राप्त कर ली है?
4.	मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिटें व मतदान यूनिटें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों, ऐरोक्रॉस मार्क, रबर सील, सुभिन्नकारी चिन्ह की सील मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्चियां, पेपर सील, निविदत्त मतपत्र जि.प./पं.स. अथवा सरपंच/पंच के लिए अलग-अलग इत्यादि की जांच	क्या आपने अच्छी तरह से चैक कर ली है?
5.	मतदान बूथ में प्रवेश व निकास के लिए पृथक व्यवस्था	क्या आपने कर ली है?
6.	मतदान बूथ के क्षेत्र और निर्वाचकों की संख्या, जो कि मतदान बूथ के लिए निश्चित है, को दर्शित करते हुए नोटिस तथा मतदान का समय दर्शित करने के लिए नोटिस प्रदर्शित कर दिया है	क्या आपने प्रदर्शित कर दिया है?
7.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जि.प. व पं. स. सदस्य अथवा सरपंच/पंच के लिए अलग-अलग प्रदर्शित कर दी है	क्या आपने प्रदर्शित कर दी है?
8.	नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट को आपस में जोड़ना व बैटरी चालू करना	क्या आपने ऐसा कर लिया है?
9.	मॉकपॉल संचालित करना	क्या आपने जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच दोनों के लिए करा दिया है?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन पर पिंक पेपर सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच दोनों के लिए करा दिया है?
11.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन को सीलबंद करना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच दोनों के लिए करा दिया है?
12.	नियंत्रण यूनिट को स्ट्रिप सील से सील करना	क्या आपने जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच दोनों के लिए करा दिया है?
13.	पीठासीन अधिकारी को जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच/पंच के लिए मतदान प्रारम्भ करते समय घोषणा	क्या आपने दोनों के लिए कर दी है?
14.	मतदान प्रारम्भ करते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 में बताये गये मतदान की गोपनीयता के प्रावधान जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच के लिए उपस्थित/अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ता को बता दिया है।	क्या आपने बता दिया है?
15.	जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच/पंच के लिए मतदान यूनिट व बैलेट यूनिट तथा पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील व स्पेशल टैग क्रमांक नोट करने हेतु मतदान अभिकर्ताओं को कह दिया है।	क्या आपने कह दिया है?

- | | | |
|-----|---|---|
| 16. | बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना एवं मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर / निशानी लगातार प्राप्त किया जा रहा है। | क्या लगातार ऐसा किया जा रहा है? |
| 17. | अल्प आयु निर्वाचकों से घोषणा प्राप्त कर ली हैं। | क्या प्राप्त कर ली है? |
| 18. | रिकार्ड किये गये मतों का लेखा जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच व पंच के लिए प्ररूप 14 सही तैयार किये हैं। | क्या आपने लेखे सही तैयार किये हैं और दोनों के मतदान अभिकर्ताओं को नोट करा दिया है या उनके द्वारा नकल उतारने पर उसे प्रमाणित कर दिया है? |
| 19. | पीठासीन अधिकारी की डायरी की समय-समय पर प्रविष्टी की जा रही है? | क्या समय-समय पर पूर्ति की जा रही है? |
| 20. | नियत समय पर मतदान बंद करा दिया है। | क्या करा दिया है? |
| 21. | मतदान समाप्ति की घोषणा आपने कर दी हैं। | क्या आपने कर दी है? |
| 22. | उपस्थित जि.प. व पं.स. सदस्य अथवा सरपंच/पंच के अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अनुज्ञात किये है। | क्या उन्हें अनुज्ञात किया है? |
| 23. | मतदान मशीन एवं निर्वाचन कागजात को मोहरबंद करना निर्देशों के अनुसार किया हैं। | क्या आपने निर्देशों के अनुसार किया है? |
| 24. | मतदान मशीन एवं अन्य निर्वाचन सामग्री को जमा जमा कराने के लिए उनको पूर्णतया तैयार कर लिया हैं। | क्या आपने जमा कराने के लिए उनको पूर्णतया तैयार कर लिया है? |

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/६०३

दिनांक : 19.01.2026

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं अनुच्छेद 243ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 559 दिनांक 07.02.2019 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

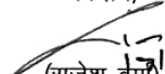
1. आधार कार्ड,
2. मनरेगा कार्ड,
3. बैंको/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,

4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,
5. ड्राइविंग लाइसेन्स,
6. पैन कार्ड,
7. भारतीय पासपोर्ट,
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
11. यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएँ तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 19.01.2026

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/604-613
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
7. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र विशेषांक 6(ग) में प्रकाशन हेतु।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम- प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ई-गजट पर अपलोड करने, संबंधित को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/ 1408

दिनांक : 04/02/26

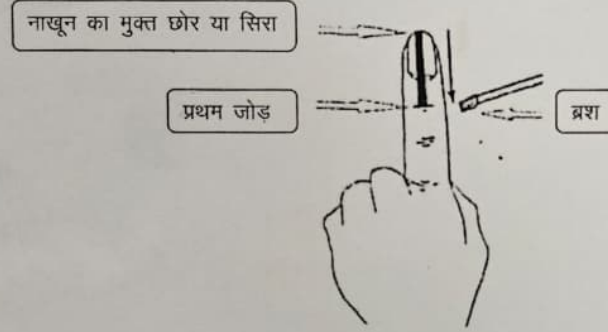
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों में निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में पूर्व में जारी आयोग के पत्र क्रमांक 5493 दिनांक 26.07.2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे:-

1. अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसा कि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।



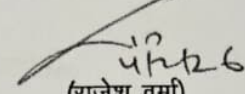
2. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो। साथ ही मतपेटी से मतदान होने की स्थिति में चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक द्वारा मत अभिलिखित करने से पूर्व अमिट स्याही का निशान निर्वाचक की अंगुली पर पूरी तरह लगाया जाना सुनिश्चित करें।

3. इस अनुदेश की एक प्रति सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालना के लिए उनके संज्ञान में लाए जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

4. आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 में प्रदान किये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

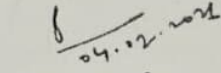
भवदीय


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 04/02/26

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/1403-1413
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

परिशिष्ट-18
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014-15 / 2235

जयपुर, दिनांक: 25.06.2019

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम-38 में मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम-38 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

38. Safeguard against impersonation.- (1) Every voter about whose identity the Returning Officer or the Polling Officer, as the case may be is satisfied shall allow his left hand fore-finger to be inspected by the Returning Officer or the Polling Officer, and cause an indelible ink mark to be put on it.

Explanation.- Any reference in this rule to the left hand fore-finger of a voter shall, in the case where voter has his left hand fore-finger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as reference to the fore-finger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन पृथक-पृथक चरणों में होने पर पश्चात्पूर्वी चरण में होने वाले निर्वाचन तथा लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान पृथक-पृथक दिवसों में होने पर पूर्ववर्ती निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में पश्चात्पूर्वी निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दांये हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
2. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दांये हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर

अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।)

3. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में जिन पदों के लिए पहले निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा तथा जिन पदों पर बाद में निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के दांये हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :- जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (बांये) हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेगा। इसी तरह जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान दांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (दांये) हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेगा।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
5. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम-38 के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/2236-2240 दिनांक: 25.06.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य/पंच एवं सरपंच मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

(परिशिष्ट-19)

प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच चुनाव

क्र.सं.	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) जिला परिषद् सदस्य/सरपंच के लिए	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) पंचायत समिति सदस्य/पंच के लिए	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से Result-I बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।

मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।

(पीठासीन अधिकारी)
हस्ताक्षर

नोट:- जिला परिषद् सदस्य/सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य/पंच के चुनावों के लिए अलग-अलग मॉकपॉल प्रमाण-पत्र प्रारूप (परिशिष्ट-19) को तैयार कर पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट-7) के साथ संलग्न कर जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-56) में तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-55) में तथा इसी प्रकार सरपंच का लिफाफा (PE-56A) एवं पंच का लिफाफा (PE-55A) रखें।

परिशिष्ट – 20

राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992 से उद्धृत

मानक हिन्दी वर्णमाला

भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात् हिन्दी वर्णमाला का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है :-

मानक हिन्दी वर्णमाला

स्वर	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ	। ि ी ु ू ॄ ॆ ै ॉ ॊ ो
अनुस्वर, (अं)	
विसर्ग	: (अः)
अनुनासिकता चिह्न	ँ (अँ) (चन्द्रबिन्दु)
व्यंजन	क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ङ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ळ श ष स ह

संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र (घ, द्व, द्ध)
हल् व्यंजन ँ (ङ)

गृहीत स्वन ऑ (ँ) ख़ ज़ फ़ (अर्धचन्द्र नुक्ता)

नाम वापसी की सूचना (सरपंच / पंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,

पंचायत सर्किल

मैं सरपंच / पंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता/लेती हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर/उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री/श्रीमती

ने पंचायत के सरपंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे
बजे दिया।

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर

परिशिष्ट-22

मॉडल फार्म

मीटिंग नोटिस

सरपंच/पंच

पंचायत

पंचायत समिति

जिला

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 65 के अन्तर्गत मैं, रिटर्निंग अधिकारी इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि दिनांक को बजे (स्थान) पर उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचायत की बैठक होगी।

पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर उक्त बैठक में उपस्थित होने के लिए आपसे सादर निवेदन है।

कार्यक्रम

निर्वाचन और अन्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किये गये हैं:-

पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन।

1. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का अन्तिम समय

2. (अ) नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची

बनाना और बैठक में पढ़ना

(ब) नाम निर्देशन पत्रों की जाँच एवं नाम वापसी

..... बजे से बजे तक

(स) बैठक में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों

की सूची बनाना

3. मतदान यदि आवश्यक हो,

..... बजे से बजे तक

दिनांक

रिटर्निंग अधिकारी

उप सरपंच का निर्वाचन,

पंचायत

(विभागीय पदनाम)

.....

परिशिष्ट-23

प्रपत्र-1

सरपंच/पंचायत समिति सदस्यों/जिला परिषद सदस्यों द्वारा चुनाव में नाम वापस लेने अथवा कुल वैध मतों के 1/6 से अधिक मत प्राप्त करने की स्थिति में जमानत राशि लौटाने के आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद

जिला

विषय:- जमानत राशि लौटाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ जमानत राशि रु. /- जरिये रसीद संख्या...../दिनांक जमा करायी गयी थी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी जमा जमानत राशि लौटाने का श्रम करावें, क्योंकि -

1. मैंने नाम निर्देशन पत्र नियत तिथि से पहले वापस ले लिया है।

या

2. मैंने डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 मतों से अधिक मत प्राप्त किये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत समिति
सदस्य/जिला परिषद सदस्य

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी की जमानत राशि क्रम संख्या में वर्णित कारण से लौटाने योग्य है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से ली जाने वाली रसीद का प्रारूप

मेरे द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि /- रसीद संख्या के पेटे आज दिनांक को प्राप्त कर ली गई है।

(भुगतान प्रमाणित)

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम

नोट:- मूल रसीद प्राप्त कर संलग्न की जायें।

प्रपत्र-2

पंचायत का नाम..... पंचायत समिति..... जिला

**रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रपत्र का प्रारूप
आदेश**

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 एवं 58 के अन्तर्गत सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निम्नलिखित अभ्यर्थियों, को निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने के कारण उनकी जमानत राशि जब्त की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी (SC, ST, OBC, Gen., महिला)	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि	जब्त राशि

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति)/
रिटर्निंग अधिकारी (जिला परिषद)
नाम

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6306

जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या-56/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47-क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्रा बंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :-

1. पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में अलग-अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टियां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकर इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर दें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टियां निम्न प्रकार होंगी :-
पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख :-
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टियों में पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. पंचायत समिति सदस्य, या यथास्थिति, जिला परिषद सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,
(आर. के. जैन)
सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6307-09
प्रतिलिपि :-

जयपुर, दिनांक : 18-12-09

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध करावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर. के. पारीक)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.3(76)स्टोर/रानिआ /एसडीएमएम/2019/710

दिनांक:20.01.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) समस्त, राजस्थान।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी निर्वाचनों में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. के उपयोग पर मतगणना उपरान्त एस.डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आमचुनावों में उपलब्धता के आधार पर आयोग के स्वामित्व की मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम का उपयोग किया जावेगा। मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. की कंट्रोल यूनिट में एक डिवाइस लगाया गया है, जिसे एस.डी.एम.एम. (Secure Detachable Memory Module) कहा जाता है। मतदान के दौरान मतदान का डाटा उक्त एस.डी.एम.एम. में संकलित हो जाता है। एस.डी.एम.एम. को कंट्रोल यूनिट से हटाए जाने के पश्चात् कंट्रोल यूनिट में नवीन एस.डी.एम.एम. लगाया जाकर ई.वी.एम. का पुनः निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

मतदान के पश्चात् मतगणना के लिए उक्त ईवीएम की एस.डी.एम.एम. युक्त कंट्रोल यूनिट से परिणामों की घोषणा के बाद एस.डी.एम.एम. को कंट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना होगा ताकि विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर मतदान संबंधी रिकार्ड को पुनः देखा जा सके।

मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम से जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव एक साथ करवाये जा सकते हैं। इसके लिए एक कंट्रोल युनिट एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों (नोटा सहित) की संख्या के अनुसार दोनों पदों के लिए आवश्यकतानुसार अलग-अलग बैलेट युनिट लगाई जाएगी। कंट्रोल युनिट में लगी हुई एस.डी.एम.एम. में जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य दोनों के मतदान के डाटा संग्रहित हो जाएंगे।

जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में उपयोग में ली गई एस.डी.एम.एम. को कंट्रोल युनिट से हटाकर सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं:-

1. मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद मतगणना कक्ष में ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में एस.डी.एम.एम. को सील किया जावेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एस.डी.एम.एम. को सील करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय दल (एक सीलिंग प्रभारी व चार सीलिंग सहायक) गठित किया जायेगा।
3. एक निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को कंट्रोल यूनिट से बाहर निकालकर सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि एक निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम.एम. के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम.एम. में मिक्स होने की संभावना नहीं रहे।
4. एस.डी.एम.एम. को सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जावे।

जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया

:-

- a) सीलिंग प्रभारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी. होगा, में रखेंगे।
- b) एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, मतगणना स्थल पर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पेपर सील में खाली स्थान पर प्राप्त कर लेंगे। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।
- c) पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकार चिपक जाये।
- d) छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैंड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।
- e) इस तरह पेपर सील से सील एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।
- f) इस प्रकार चपड़ी से सील किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी. होगा, में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियों के इन्द्राज के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) को डिब्बी पर चिपकाया जाएगा। स्टीकर (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-3** पर उपलब्ध है।
- g) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टीकर चिपकाने के पश्चात् इस डिब्बी को चारों ओर से एक इंच की सेलो टेप (पारदर्शी टेप) से पैक किया जाएगा।
- h) इस प्रकार सील/पैक की गई मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बियों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे, जिसका आकार 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी. होगा, में रखा जायेगा।
- i) मध्यम आकार की डिब्बियों को बड़े प्लास्टिक के डिब्बे में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक बड़े डिब्बे में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मध्यम आकार की डिब्बियां रखी जा सकेंगीं किन्तु निर्वाचन क्षेत्रों को तोड़ा नहीं जाएगा।
- j) इस तरह मध्यम आकार की डिब्बियों युक्त प्लास्टिक के बड़े डिब्बे पर निर्वाचन क्षेत्रों एवं मतदान केन्द्रों के विवरण अंकित करने के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) चिपकाया जाएगा। स्टीकर का प्रारूप **Annexure-4** पर उपलब्ध है।
- k) प्लास्टिक के बड़े डिब्बे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से तीन इंच की सेलो टेप (पारदर्शी) से पैक किया जाएगा।
- l) इस प्रकार सेलो टेप से पैक किए गए प्लास्टिक के सभी बड़े डिब्बे एक लोहे के बक्से में रखे जाएंगे। बड़े प्लास्टिक के डिब्बों को लोहे के बक्सों में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र टूटे नहीं। बक्से का आकार 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच होगा।
- m) उक्त लोहे के बक्से को ताला लगाकर चपड़ी से सील कर कोषालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

पंच एवं सरपंच के निर्वाचनों हेतु एस.डी.एम.एम. को सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:-

पंच/सरपंच के निर्वाचनों में यदि मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम का उपयोग किया जाता है तो निर्वाचन के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया :-

1. मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. से पंच/सरपंच पद के चुनाव में उपयोग लिये जाने की स्थिति में मतगणना के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा पंचायत मुख्यालय पर स्थिति मतदान भवन पर ही एस.डी.एम.एम. को सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी. होगा, में रखेंगे।
3. उक्त प्रक्रिया के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन संबंधी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराकर एस.डी.एम.एम. रखी हुई उक्त छोटी डिब्बी को उक्त पेपर सील से सील किया जायेगा। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।
4. उक्त पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकार चिपक जाये।
5. छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैंड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।
6. इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।
7. उक्त चपड़ी से सील किए गए लिफाफे को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर कॉउन्टर नम्बर-1 पर अन्य मतदान सामग्री के साथ जमा कराया जायेगा।
8. रिटर्निंग अधिकारी को उक्त सीलिंग की प्रक्रिया में उपयोग में आने वाली कागज की पेपर सील (नीला रंग), छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, रबर बैंड, चपड़ी तथा लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल की रवानगी के समय ही उपलब्ध कराया जायेगा।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लिफाफे (नीला रंग) में सील की गई एस.डी.एम.एम. को जिला मुख्यालय पर जमा कराने के पश्चात् आगे की सीलिंग की कार्यवाही जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में उपयोग में लाई गई एस.डी.एम.एम. को सील करने की ऊपरलिखित प्रक्रिया के बिन्दु संख्या (f) से (m) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित विशेष दल के द्वारा उसी दिन सील करने की प्रक्रिया पूर्ण कर कोषालय के डबल लॉक में रखवाया जाएगा।

साथ ही उल्लेखनीय है कि जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच/सरपंच के निर्वाचनों में उपयोग में लाए गए एस.डी.एम.एम. को उक्तानुसार सील करने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सामग्री का आवश्यकता होगी:—

- a) सेल्फ एडेसिव एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) (30 से.मी. X 3 से.मी.) **Annexure-1**
- b) छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी.)
- c) एस.डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सीलबंद करने का लिफाफा (नीला रंग) (12 से.मी. X 9 से.मी.) **Annexure-2**
- d) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी.) जिसमें **Annexure - 2** में वर्णित एस.डी.एम.एम. युक्त लिफाफा (नीला रंग) रखा जायेगा।
- e) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढक्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-3**
- f) बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी.)
- g) बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढक्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-4**
- h) लोहे का बक्सा (साईज 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच)
- i) रबर बैंड।
- j) सेलो टेप (पारदर्शी) (साईज— एक एवं तीन इंच)
- k) लिफाफे एवं लोहे के बक्से को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपड़ा आदि।

एस.डी.एम.एम. को सील करने के बाद ई.वी.एम. को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इन ई.वी.एम. को नवीन एस.डी.एम.एम. लगाने के बाद अगले चुनाव कार्य में उपयोग में लाई जा सकेंगी।

साथ ही उक्तानुसार प्लास्टिक की छोटी एवं बड़ी डिब्बी, प्लास्टिक का बड़ा डिब्बा, चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपड़ा, सेलो टेप, रबर बैंड की व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावे जबकि सेल्फ एड्रेसिव पेपर सील, स्टीकर एवं नीला लिफाफा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

(राजेश वर्मा)
सचिव

क्रमांक:प.3(76)स्टोर/रानिआ/एसडीएमएम/2019/710

दिनांक : 20.01.2026

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. लेखा शाखा बजट, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. पंचायत शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(मनीषा चौधरी)
सहायक सचिव

एस.डी.एम.एम. पेपर सील का प्ररूप (नीला रंग)
(प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को सील करने हेतु)

D	
Sr. No. 00001	
पृष्ठ भाग	M
SEC	SEC
Rajasthan	Rajasthan
	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एस.डी.एम.एम. पेपर सील क्रमांक पंचायत निर्वाचन जिला जिप/पस/पंचायत का नाम मतदान बूथ सं.
	मतदान केन्द्र का नाम SDMM क्र. मतगणना दिनांक SDMM में उपलब्ध मतगणना परिणाम सरपंच/पंच वार्ड सं. ग्रामपंचायत पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र संख्या जिप सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या आर.ओ./ए.आर.ओ. हस्ताक्षर/सील
M	

लिफाफे का प्ररूप (नीला रंग)
(Size - 12cm X 9cm)

(पेपर सील से पैक एस.डी.एम.एम. युक्त प्लास्टिक की
छोटी डिब्बी को रखकर चपड़ी से सील करने हेतु)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान	S E C
पंचायत निर्वाचन	Rajasthan
जिला	
.....	
जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत का नाम.....	
निर्वाचन का विवरण	
.....	
बूथ संख्या	
मतदान बूथ का नाम	
एस.डी.एम.एम. क्रमांक	
मतगणना दिनांक	
एस.डी.एम.एम. में उपलब्ध परिणाम	
सरपंच, ग्राम पंचायत/वार्ड पंच-वार्ड सं.	
पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र सं.	
जि.पं. सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सं.	
	आर.ओ./ए.आर.ओ. हस्ताक्षर एवं सील

छोटे स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)
(Size - 8cm X 5cm)

(मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन	S E C
जिला	Rajasthan
.....	
जिला परिषद/पं. समिति/ग्रामपंचायत का नाम	
निर्वाचन का विवरण	
.....	
बूथ संख्या 	
मतदान केन्द्र/बूथ का नाम	
एस.डी.एम.एम. क्र.	

बड़े स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)
(Size - 20cm X 6cm)

(प्लास्टिक के बड़े डिब्बे पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन	
जिला जिला परिषद/पं. समिति/ग्रामपंचायत का नाम पद (जिसके निर्वाचन से संबंधित है) पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं. सरपंच/पंच वार्ड सं.	S E C Rajasthan
बूथ संख्या	
से	तक
* जिस पद से संबंधित है उसे ✓ किया जावें।	